



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221821
CG-DL-E-19092020-221821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2840]
No. 2840]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3188(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसार, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार डेका, न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, की अध्यक्षता वाले अधिकरण का आदेश, जिसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के तहत यह न्यायनिर्णय करने के लिए संदर्भ भेजा गया था कि असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, को आम लोगों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:

[फा. सं.11011/04/2019-एनई.V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

एएआई बिल्डिंग, मजिस्ट्रेट कॉलोनी,

हेदायतपुर, गुवाहाटी

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के मामले में

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार डेका

पीठासीन अधिकारी

के समक्ष

असम राज्य के लिए	:	श्री डी. सैकिया, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. नायक, अधिवक्ता ए. चलिहा, अधिवक्ता
भारत संघ के लिए	:	श्री एस. सी. केयाल, भारत के सहायक महाधिवक्ता
एनडीएफबी (आरडी) और एनडीएफबी (धीरेन्द्र बोरो समूह)	:	सुश्री एन. दाईमारी, अधिवक्ता
एनडीएफबी (एस) समूह के लिए	:	श्री ए. नारजरी, अधिवक्ता
सुनवाई/बहस की तारीख	:	01.08.2020
अधिनिर्णय की तारीख	:	18.08.2020

आदेश

1. श्री सत्येन्द्र जैन, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2019 को इस आशय की एक अधिसूचना संख्या का.आ. 4255(अ) जारी की गयी थी कि केंद्रीय सरकार का यह मत है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (जिसे यहाँ इसके पश्चात एनडीएफबी कहा गया है) के कार्यकलाप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं और कि यह एक विधिविरुद्ध संगठन है।
2. केंद्रीय सरकार का यह भी मत था कि यदि एनडीएफबी के विधिविरुद्ध कार्यकलापों पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है और उसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो, यह संगठन पुनः संगठित हो सकता है और पुनः हथियारबंद हो सकता है, नई भर्तियाँ कर सकता है, हिंसक, आतंकी और अलगाववादी क्रियाकलाप कर सकता है, पैसे जुटा सकता है तथा निर्दोष नागरिकों एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों के जीवन को खतरे में डाल सकता है और इसलिए विद्यमान परिस्थितियों में एनडीएफबी को, इसके सभी समूहों, गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक हो गया। तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे यहाँ इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनडीएफबी को, इसके सभी समूहों, गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया।
3. केंद्रीय सरकार का यह भी मत था कि एनडीएफबी को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक था और तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेशित किया कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए किसी आदेश के अधीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।
4. उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय सरकार का यह मत था कि एनडीएफबी निम्नलिखित कार्यकलापों में शामिल रहा है: (i) अलग बोडोलैंड प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तथा हिंसक क्रियाकलाप कर रहा है जिनका आशय भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता भंग करना है, या जिनसे यह भंग होने की संभावना है; (ii) अलग बोडोलैंड प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर के अन्य विधिविरुद्ध संगठनों के साथ मिलीभगत; (iii) विधिविरुद्ध और हिंसक कार्यकलापों में शामिल होना और इस प्रकार

भारत सरकार तथा असम सरकार के अधिकार को नकारना एवं लोगों में आतंक तथा भय फैलाना; (iv) एक अलग बोडोलैंड बनाने के लिए अपनी योजना के लिए पैसे जुटाने और उसे अमली जामा पहनाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से धन की उगाही; (v) अपनी आतंकी तथा विद्रोही कार्यकलापों को जारी रखने के लिए नए लोगों की भर्ती हेतु सुव्यवस्थित तरीके से ड्राइव चलाना; (vi) गैर-बोडो लोगों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए असम के बोडो प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में रहने वाले गैर-बोडो लोगों की हत्या और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए नरसंहार और जातीय हिंसा करना; (vii) अपने अलगाववादी कार्यकलाप चलाने के लिए देश की सीमा पर कैंप और गुप्त ठिकाने बनाना; और (viii) एक अलग बोडोलैंड बनाने के लिए अपने संघर्ष में हथियार और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों के भारत विरोधी तत्वों से सहायता प्राप्त करना।

5. केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि एनडीएफबी द्वारा किए गए विधि विरुद्ध और हिंसक कार्यकलापों में - (i) जनवरी, 2015 से हिंसक घटनाओं में 19 (उन्नीस) नागरिकों की हत्या; और (ii) जनवरी, 2015 से लगभग 62 (बासठ) हिंसक घटनाओं में संलिप्तता, जिनमें 55 (पचपन) उग्रवादी मरे गए हैं, 450 (चार सौ पचास) उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 444 (चार सौ चवालीस) हथियार बरामद किए गए हैं।
6. इन परिस्थितियों में, और उक्त अधिनियम की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिनिर्णय करने के लिए कि एनडीएफबी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे या नहीं, श्री सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 4577(अ) दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 द्वारा "विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 4(3) के कारण, अधिकरण के लिए, जांच करके, यह अधिनिर्णय करना अपेक्षित था कि उक्त अधिनियम की धारा 2(प) के तहत यथापरिभाषित अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एनडीएफबी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे या नहीं।
7. इस मामले के समर्थन में, केन्द्रीय सरकार ने अधिकरण को एक संदर्भ दिया और एनडीएफबी के उद्देश्यों/लक्ष्यों तथा हिंसक कार्यकलापों के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।
8. अधिकरण के रजिस्ट्रार को यह संदर्भ दिनांक 20.12.2019 को प्राप्त हुआ था। माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्दियों की छुट्टी के बाद यह संदर्भ दिनांक 02.1.2020 को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह प्राप्त होने पर, दिनांक दिनांक 02.1.2020 के आदेश के तहत, इस अधिकरण में असम सरकार को यह सूचित करने के लिए एक पत्र जारी करने का निदेश दिया कि वह कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अवसंरचना के साथ-साथ अधिकरण के लिए स्थान उपलब्ध कराए। तदनुसार, असम सरकार ने 02.3.2020 को अधिकरण को एक स्थान आबंटित किया। उसके बाद, अधिकरण ने 14.3.2020 को प्रारम्भिक सुनवाई के लिए संदर्भ सूची तैयार की। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने और गृह मंत्रालय, भारत सरकार, गृह और राजनीतिक विभाग, असम सरकार तथा असम पुलिस के प्रतिनिधियों की दलील सुनने के बाद, एनडीएफबी को उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के तहत इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया कि वह नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर यह बताए कि उक्त संगठन को विधिविरुद्ध क्यों नहीं घोषित किया जाए और उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के तहत इस घोषणा की पुष्टि का आदेश क्यों नहीं किया जाए। इस नोटिस का निम्नलिखित रीति से तामील करने का निदेश दिया गया:-

- (क) एनडीएफबी को उनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों के साथ तथा उनके प्रमुख पदधारियों के अंतिम ज्ञात पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा।
- (ख) एनडीएफबी के पदाधिकारियों को असम में उनके पतों पर, यदि कोई हो या यदि हिरासत में हो तो, संबंधित अधीक्षक (कारागार) के माध्यम से, नोटिस की तामील।
- (ग) आज से 14 दिन के भीतर दिनांक 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति के साथ तीन दैनिक समाचार-पत्रों में इसका प्रकाशन, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में (अंग्रेजी में) और दो अन्य प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में (क्षेत्रीय भाषा) जो क्रमशः असमी और बोडो भाषा में हो और जिसका उन क्षेत्रों में व्यापक परिचालन हो जहां आमतौर पर एनडीएफबी सक्रिय हो।
- (घ) एनडीएफबी के साथ उसके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों तथा उनके प्रमुख पदधारियों के अंतिम ज्ञात पतों पर 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति के साथ इस नोटिस को चिपकाना।

- (ड) उन क्षेत्रों में जहां सामान्यतः एनडीएफबी अपने कार्यकलाप चलाता है, ड्रम बजाकर और लाउडस्पीकर द्वारा इस नोटिस तथा 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना की सामग्री की घोषणा की जाए।
- (च) एनडीएफबी की सक्रियता वाले क्षेत्रों के राज्य (राज्यों) के उन सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के साथ इस नोटिस को प्रदर्शित किया जाए।
- (छ) असम सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार को नोटिस की तामीली।
- (ज) इस नोटिस तथा 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना की घोषणा आकाशवाणी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्राइम टाइम पर की जाए और इसे उन राज्यों में प्रमुख स्थानों पर भी दर्शाया जाए जहां एनडीएफबी के कार्यकलाप हुए थे या होते हैं।
- (झ) एनडीएफबी के कार्यालयों, यदि कोई हो, के कुछ प्रमुख हिस्सों पर नोटिस की प्रतियां चिपकाई जाएं।
- (ञ) गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह और राजनीतिक विभाग, असम सरकार की वेबसाइटों पर इसे प्रकाशित किया जाए।
- (ट) ई-मेल सहित किसी अन्य संभावित मोड से।
9. अगली सुनवाई 2 मई, 2020 को 10:30 बजे अधिकरण के कार्यालय, एएआई बिल्डिंग मजिस्ट्रेट कालोनी, हिदायतपुर, गुवाहाटी में होगी।
10. दिनांक 14 मार्च, 2020 के आदेश के अनुसरण में, श्री सीमांत कुमार दास, संयुक्त सचिव, असम सरकार, गृह एवं राजनीतिक विभाग ने प्रकाशन सहित विभिन्न तरीकों से एनडीएफबी पर नोटिस की तामीली के संबंध में असम सरकार की ओर से 30 अप्रैल, 2020 को अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष एक शपथ-पत्र दायर किया जिसे 02 मई, 2020 को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार, श्री आर.के. पांडेय, उप-सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, एनई प्रभाग ने अधिकरण के निदेशानुसार एनडीएफबी पर नोटिस के विहित तामीली के संबंध में केन्द्रीय सरकार की ओर से 30 अप्रैल, 2020 को एक शपथ-पत्र दायर किया। अधिकरण के समक्ष दिनांक 02 मई, 2020 की कार्यवाही में, केन्द्र सरकार और असम सरकार के विद्वान अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद और एनडीएफबी को नोटिस तामील करने के तरीके के अभिलेख के साथ-साथ शपथ-पत्रों का अवलोकन करने के बाद, यह पाया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के तहत यथाअपेक्षित कारण बताओं नोटिस एनडीएफबी को विहित रीति से तामील किया गया है।
11. नोटिस प्राप्त होने के बाद, श्रीमती नियोथॉन्सोना दाईमारी, एनडीएफबी के दो गुटों, अर्थात् एनडीएफबी (रंजन दाईमारी) (जिसे यहां इसके पश्चात एनडीएफबी (आरडी) कहा गया है) और एनडीएफबी (प्रोग्रेसिव)(धीरेन्द्र बोरो) (जिसे यहां इसके पश्चात एनडीएफबी (धीरेन्द्र बोरो) कहा गया है) की विद्वान अधिवक्ता, और श्री ऑस्टीन नार्जरी, एनडीएफबी (सोंगबीजित समूह) (जिसे यहां इसके पश्चात एनडीएफबी (एस) कहा गया है) का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता दिनांक 02.5.2020 को अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। किंतु, एनडीएफबी के बाकी गुटों, अर्थात् एनडीएफबी (पी) (गोविंद बासुमतारी) नोटिस तामील किए जाने के बाद भी पूरी कार्यवाही में अनुपस्थित रहे। इसलिए, गोविंद बासुमतारी के नेतृत्व वाले एनडीएफबी (प्रोग्रेसिव) के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से यह कार्यवाही चली।
12. एनडीएफबी (एस) का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 02.5.2020 को अपना लिखित बयान दर्ज किया, अर्थात् शपथ-पत्र के रूप में कारण बताओ नोटिस का उत्तर, जिसमें उन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा कि दिनांक दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने, दिनांक 30.1.2020 को हथियार डालने और दिनांक 09.3.2020 को एनडीएफबी (एस) को विघटित करने के बाद दिनांक 23.11.2019 की राजपत्र अधिसूचना निष्फल हो गई है। इसी प्रकार, एनडीएफबी (आरडी) और एनडीएफबी (पी) (धीरेन्द्र बोरो) का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने किसी अन्य तारीख को कारण बताओ नोटिस का उनका उत्तर दायर करने के लिए अधिकरण से समय मांगा क्योंकि लॉकडाउन के कारण उनका उत्तर तैयार नहीं हो पाया था। अधिकरण की अनुमति मिलने के बाद, एनडीएफबी के उक्त दो गुटों अर्थात् एनडीएफबी (आरडी) और एनडीएफबी (धीरेन्द्र बोरो) ने दिनांक 04.5.2020 को एक शपथ-पत्र के रूप में संयुक्त लिखित बयान (कारण बताओ का उत्तर) दायर किया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक

- 27.01.2020 के समझौता ज्ञापन की भावना, हथियार डालने और संगठन के विघटित होने के आधार पर संगठन को विधिविरुद्ध संगठन नहीं माना जाना चाहिए।
13. असम सरकार ने, अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री सीमांत कुमार दास, संयुक्त सचिव, गृह और राजनीतिक विभाग के माध्यम से एनडीएफबी के गुटों के उपर्युक्त लिखित बयानों के प्रत्युत्तर में दिनांक 08.05.2020 को एक जवाबी हलफनामा दायर किया और दिनांक 16.05.2020 को उक्त लिखित बयानों पर एक अतिरिक्त जवाबी हलफनामा भी दायर किया।
 14. श्री आर.के. पांडेय, उप-सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ने दिनांक 09.05.2020 को अधिकरण के समक्ष केन्द्रीय सरकार की ओर से दिनांक 06.5.2020 का शपथ-पत्र के रूप में एक साक्ष्य दायर किया। एनडीएफबी के गुटों के विद्वान अधिवक्ताओं ने श्री आर.के. पांडेय से शपथ पर प्रति-पूछताछ की। कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति में लॉकडाउन के कारण भारत सरकार और असम सरकार के विद्वान अधिवक्ताओं की उपस्थिति में यह प्रति-पूछताछ दिनांक 12.5.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।
 15. ऊपर उल्लिखित एनडीएफबी गुटों के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ताओं ने दिनांक 12.05.2020 को उनके गवाहों के शपथ-पत्र पर साक्ष्य दायर कर दिए हैं। अधिकांश से समय प्राप्त करने के बाद दिनांक 15.06.2020 को उक्त गवाहों के अतिरिक्त शपथ-पत्र पर साक्ष्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने कुल तीन गवाह पेश किए हैं, अर्थात्, श्री धीरेन्द्र बोरो, श्री बी. ओंजालू उर्फ अभिराम बासुमतारी और श्री साईकॉंग बासुमतारी। दूसरी ओर, श्री सीमांत कुमार दास, संयुक्त सचिव, के माध्यम से असम सरकार दिनांक 23.05.2020 को प्रदर्शों के साथ शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा, उसी तारीख को, असम के 12 जिलों, जहां एनडीएफबी के विरुद्ध मामले पंजीकृत किए गए हैं, के पुलिस अधीक्षकों ने प्रस्तुत दस्तावेजों की सामग्री के समर्थन में उनके शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किए।
 16. इस अधिकरण को शीघ्रातिशीघ्र और किसी भी स्थिति में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपना मंतव्य देना है। अधिसूचना दिनांक 23.11.2019 को जारी की गई थी और छह महीने की अवधि दिनांक 23.5.2020 को समाप्त हो गई। इस बीच, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 23.03.2020 के आदेश के तहत आरई : समय सीमा बढ़ाने के लिए संज्ञान में स्वतः स्फूर्त रिट याचिका संख्या 3/2020 में समय सीमा को दिनांक 15.3.2020 तक अगले आदेश तक बढ़ा दिया। उक्त आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पारित किया गया था और यह इस अधिकरण पर लागू होता है। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के आदेश के अनुसार छह महीने की निर्धारित अवधि अगले आदेश तक बढ़ गई है।
 17. अधिकरण ने दोनों पक्षों से साक्ष्य के लिए दिनांक 12.05.2020, 09.05.2020, 28.05.2020, 30.5.2020, 01.06.2020, 06.6.2020, 09.06.2020, 24.6.2020 की तारीख निर्धारित की थी। साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद, प्रारंभ में जिरह के लिए दिनांक 01.07.2020 की तारीख तय की गई थी। लेकिन कामरूप (एम) (अर्थात् गुवाहाटी सिटी) जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू होने के कारण, लोगों का एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया। नतीजतन, विद्वान अधिवक्ता, जो दूसरे जिलों में निवास करते हैं, दिनांक 01.07.2020 और फिर अगली तारीख अर्थात् दिनांक 18.07.2020 को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। तदनुसार, स्थगन की अनुमति दी गई। अंत में, दिनांक 01.08.2020 को इस कार्यवाही में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भारत के विद्वान सहायक महाधिवक्ता श्री सुभाष चंद्र केयाल, और असम सरकार के प्रतिनिधि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देवजीत सैकिया, और साथ ही साथ एनडीएफबी के दो गुटों, अर्थात् एनडीएफबी (आरडी) और एनडीएफबी (धीरेन्द्र बोरो) की प्रतिनिधि श्रीमती नियोथॉन्सोना दाईमारी और एनडीएफबी (एस) के प्रतिनिधि श्री ऑस्टीन नार्जरी की जिरह सुनी।
 18. अधिकरण ने एनडीएफबी के मामले में अंतिम आदेश देने के लिए 10.08.2020 की तारीख निर्धारित की, किंतु राज्य सरकार द्वारा कोविड -19 को देखते हुए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इसे तैयार नहीं किया जा सका। सभी कार्यवाही अधिकरण के कार्यालय में हुई। जांच में किसी आम नागरिक ने भाग नहीं लिया। एनडीएफबी (गोविंदा बासुमतारी समूह) अंतिम आदेश तक कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ।

19. अधिकरण के समक्ष संदर्भाधीन अधिसूचना में एनडीएफबी को उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया था। अधिनियम की धारा 4 के तहत यह संदर्भ इस अधिनिर्णयन के लिए है कि विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। अधिकरण द्वारा जांच की प्रकृति को **जमात-ए-इस्लामी हिंदू-बनाम-भारत संघ के मामले** में सर्वोच्च न्यायालय के (1995) / एससीसी 428 में निर्णय से समझा जा सकता है जिसके अनुसार उस सामग्री का मूल्यांकन करना अपेक्षित है जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी की गयी है, संगम को जारी नोटिस के जवाब में दिखाए गए कारण पर विचार और संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण की विद्यमानता पर निर्णय के लिए अधिकरण द्वारा मांगी गयी ऐसी अन्य सूचना पर विचार अपेक्षित है। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्षों द्वारा अधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर निष्पक्ष निर्धारण का विचार है, और इस जांच की प्रकृति दो पक्षों के बीच एक सुनवाई की है, जिसका परिणाम उनके द्वारा प्रस्तुत सामग्री के महत्व पर निर्भर करता है। इस निर्धारण में अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि घोषणा का समर्थन करने के लिए सामग्री इसके खिलाफ प्रस्तुत सामग्री से अधिक ठोस है और घोषणा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त महत्व इसके लिए पर्याप्त है। इस संदर्भ में अधिक संभावना का परीक्षण व्यावहारिक परीक्षण प्रतीत होता है।
20. उक्त एनडीएफबी गुटों ने भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन दिनांक 23 नवंबर, 2019 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 4255 (अ) के जारी करने के प्रति आपत्ति की। इस आपत्ति के निम्नलिखित कारण बताए गए: -
- (i) दिनांक 11.01.2020 को एनडीएफबी के सभी नेता, विभिन्न गुटों के नेताओं सहित, और हथियार छोड़कर सामने आने और भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल होने की आशा से म्यांमार में अपने बेस कैंप से भारत आए। इसके बाद संगठन के शेष सभी सदस्यों ने भी यही किया।
 - (ii) संयुक्त सचिव (उत्तर पूर्व), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, कमिश्नर और सचिव, गृह और राजनीति, असम सरकार और एनडीएफबी (एस) के गुट प्रमुख के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
 - (iii) दिनांक 27.01.2020 के समझौता ज्ञापन पर विभिन्न एनडीएफबी के विभिन्न गुट, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू), मुख्य सचिव के माध्यम से असम राज्य और संयुक्त सचिव (एनई, गृह मंत्रालय), भारत सरकार सहमत हुए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मुख्य कार्यकारी सदस्य, बीटीसी, कैबिनेट मंत्री, असम और मुख्यमंत्री, असम की उपस्थिति में हुआ। एनडीएफबी काडरों ने हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का आश्वासन दिया।
 - (iv) एनडीएफबी के सभी चार गुटों ने दिनांक 27.01.2020 के समझौता ज्ञापन के खंड 9.1 के अनुसार एनडीएफबी संगठन को भंग कर दिया। "नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड" नाम और शैली के तहत कोई संस्था/संगठन मौजूद नहीं है।
 - (v) अधिनियम के प्रावधान विघटित संगठन, एनडीएफबी पर लागू नहीं होते हैं जब उसके सभी सदस्यों ने समझौता ज्ञापन के अनुरूप आत्मसमर्पण कर दिया है और भंग कर दिया गया है।
21. यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि लिखित आपत्तियों में संदर्भाधीन अधिसूचना के उन आधारों से इंकार नहीं किया गया जिनसे भारत सरकार संतुष्ट हुई और दिनांक 23.11.2019 को उसे जारी किया।
22. श्री आरके पांडे, उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ने शपथ-पत्र पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। इसमें यह कहा गया कि शुरू में अधिनियम के तहत एनडीएफबी को दिनांक 23.11.1992 से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था और समय-समय पर उक्त घोषणा का समय बढ़ाया गया था। दिसंबर 2008 में संगठन की जनरल असेंबली में संगठन वस्तुतः दो धड़ों में बंट गया अर्थात् धीरेंद्र बोरो एनडीएफबी (पी) के नेतृत्व में और एनडीएफबी (बातचीत के पक्ष में) और रंजन दायमारी, एनडीएफबी (आरडी) की अगुवाई में एनडीएफबी (बातचीत के विरोध में)। एनडीएफबी (पी) भारत के संविधान के ढांचे के भीतर अपनी मांग के समाधान के लिए तैयार था और एनडीएफबी (आरडी) ने बोडोलैंड की संप्रभुता पर जोर दिया।

23. अगस्त 2012 में आई के सोंगबीजित, जो पूर्व में एनडीएफबी (आरडी) के स्वा-घोषित कमांडर-इन-चीफ था, के नेतृत्व में एनडीएफबी (सोंगबीजित) नामक एक अन्य गुट, एनडीएफबी (एस) सामने आया और उन्होंने असम में हिंसा जारी रखी। बाद में सौरीगवरा इस गुट का प्रमुख बना।
24. एनडीएफबी (पी) और एनडीएफबी (आरडी) ने क्रमशः मई, 2005 और नवंबर 2013 से अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। एनडीएफबी (एस) ने भी दिनांक 16.01.2020 को भारत सरकार और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तथ्य को स्वीकार किया। समझौते की शर्तों के अनुसार एनडीएफबी गुटों ने मार्च 2020 में एनडीएफबी से उत्पन्न अपने संबंधित गुटों को भंग कर दिया।
25. एनडीएफबी (पी) और एनडीएफबी (आरडी) के कांडर कोकराझार और बक्सा जिलों में क्रमशः तीन और दो शिविरों में रखे गए थे। एनडीएफबी (एस) गुट अपने कांडरों के माध्यम से बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला (बीटीएडी) में, जहां गैर-बोडो (विशेषकर हिंदी भाषी और मुस्लिम समुदाय) को निशाना बनाता था और बीटीएडी के आसपास के इलाकों में सक्रिय था। एनडीएफबी (एस) का म्यांमार के तगा क्षेत्र में कैंप था। उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जनवरी 2019 में अपने ऑपरेशन में म्यांमार सेना ने कई एनडीएफबी (एस) कांडरों को गिरफ्तार किया। म्यांमार में अपने ठिकानों के अलावा संगठन ने बांग्लादेश और भूटान में अपने ठिकाने स्थापित करने का प्रयास किया। अन्य संगठनों के साथ मिलकर एनडीएफबी (एस) की परिचालन रणनीति, बीटीएडी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और गैर आदिवासी लोगों को निशाना बनाना था। धन का स्रोत अपहरण, जबरन वसूली और कर लगाना आदि थे। एनडीएफबी के शीर्ष कांडरों का म्यांमार में ठिकाना है जहां से वे जबरन वसूली, अपहरण, संगठन में नए युवाओं की भर्ती और देश की अखंडता और संप्रभुता के प्रतिकूल गतिविधियां चलाते हैं।
26. असम सरकार, रक्षा मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल ने दिनांक 22.11.2019 के बाद भी एनडीएफबी को "विधिविरुद्ध संगठन" करने की घोषणा को जारी रखने की सिफारिश की थी। तदनुसार, उक्त अनुशंसा के आधार पर दिनांक दिनांक 23.11.2019 की संदर्भाधीन अधिसूचना जारी की गई थी।
27. एनडीएफबी गुटों के लिए उपस्थित होने वाले दोनों विद्वान अधिवक्ताओं ने दिनांक 12.05.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री पांडेय से जिरह की जिसे आयुक्त द्वारा अभिलेखित किया गया। अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के समय सभी गुटों को कथित रूप से भंग नहीं किया गया था। केन्द्रीय सरकार एनडीएफबी के समान उद्देश्य वाले भावी संगठनों के गैरकानूनी गतिविधियों में भाग लेने की संभावना से सुरक्षा चाहती है। उन्होंने दिनांक 23.11.2014 से 12.06.2019 की अवधि के दौरान हिंसा की विभिन्न घटनाओं के बारे में बताया। मई 2005 और नवंबर 2013 में हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद भी कई विधिविरुद्ध घटनाएं हुईं। समझौता ज्ञापन उन लोगों के लिए है जो शांति वार्ता के लिए आए और हिंसा और गैरकानूनी गतिविधियां छोड़ दीं।
28. श्री सीमांत कुमार दास, संयुक्त सचिव, गृह और राजनीतिक विभाग, असम सरकार के ने शपथपत्र पर विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एनडीएफबी (मूल रूप से बोडो सुरक्षा बल के रूप में जाना जाता है) का गठन दिनांक 03.10.1986 को असम के बोडो आबादी वाले क्षेत्रों को भारत से आजाद कराने और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र और संप्रभु बोडोलैंड बनाने के लक्ष्य और उद्देश्य से किया गया था। अपने अलगाववादी उद्देश्य के लिए एनडीएफबी ने कोकराझार, सोनितपुर, चिरांग, उदलगुरी, बक्सा, बारपेटा और बोंगाईगांव जिलों में बोडो आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवादी और विध्वंसक कार्य किया। इससे दहशत फैल गई और गैर बोडो लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। संगठन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, एनडीएफबी को भारत सरकार ने दिनांक 23.11.1992 की अधिसूचना के तहत उक्त अधिनियम के अधीन एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया। एनडीएफबी पर लगाए गए प्रतिबंध को समय-समय पर बढ़ाया गया और दिनांक 23 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 2956 (अ) के तहत पिछली बार समय बढ़ाया गया था और दिनांक 07.08.2015 को अधिकरण द्वारा पांच वर्ष के लिए इसकी पुष्टि की गई थी। उक्त अधिसूचना के समयातीत होने पर, अधिसूचना में उल्लिखित विभिन्न आधारों पर 23 नवंबर, 2019 को वर्तमान अधिसूचना जारी की गयी। दिनांक 23.11.2014 से 22.11.2019 तक प्रतिबंध की पिछली अवधि के दौरान, एनडीएफबी 129 घटनाओं में शामिल था, जिनमें 85 नागरिकों और सुरक्षा बल के 1 (एक) जवान की मौत हुई और 09 व्यक्तियों का अपहरण हुआ। उक्त अवधि के दौरान

लिकमैन के साथ एनडीएफबी के 1292 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से अलग-अलग हथियार बरामद किए गए।

29. श्री दास ने कहा के शीर्ष नेताओं के डीब्रीफिंग बयान के आधार पर शपथ पत्र पर साक्ष्य में निम्नलिखित बातें कही: -

(25) यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि साओराईग्वरा के नेतृत्व में साओरैग्वरा के नेतृत्व वाले एनडीएफबी के तत्कालीन वार्ता-विरोधी गुट को केवल परिचालन कारणों और सुविधा के लिए एनडीएफबी (एस) के रूप में संदर्भित किया गया था। किंतु, एनडीएफबी की इकाई जिसमें सभी गुट शामिल हैं यथा एनडीएफबी (एस), एनडीएफबी (पी) और एनडीएफबी (आरडी) मिलकर एक ही विधिविरुद्ध संगठन हैं।

(26) एनडीएफबी (एस) की गतिविधियों का उद्देश्य खुद को एक ऐसे समूह के रूप में बताना था जो संप्रभु बोडोलैंड के लिए सशस्त्र संघर्ष जारी रख रहा है। जब अन्य दो बोडो आतंकवादी समूह, अर्थात् एनडीएफबी (पी) और एनडीएफबी (आरडी), सरकार के साथ शांति प्रक्रिया में लगे हुए थे ताकि उनकी मांगों का राजनीतिक समाधान खोजा जा सके। विधिविरुद्ध कार्यकलापों में एनडीएफबी (आरडी) की संलिप्तता रही जिनमें आंदोलन के कार्यक्रमों में भाग लेने, हथियार रखने, जबरन वसूली करने और नागरिकों पर हमला करने आदि द्वारा, आपसी सहमति से बनाए गए मूलभूत नियमों का उल्लंघन किया गया।

(27) "यूनाइटेड नेशनल फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया (यूएनएफएलडब्ल्यू)" का गठन, (अप्रैल, 2015), जो एनएससीएन (के) के प्रमुख एस एस खापलांग की अध्यक्षता में उत्तर-पूर्व के सभी प्रमुख चरमपंथी समूहों, अर्थात् एनडीएफबी (एस), उल्फा (आई), केएलओ का एक संघ है, उस समय विद्यमान स्थिति में एक खतरनाक संकेत था, क्योंकि एनएससीएन (के) संघर्ष विराम से पीछे हट गया था। संयुक्त समूह यूएनएफएलडब्ल्यू का गठन विध्वंसक गतिविधियाँ करने, जबरन वसूली, और हथियारों की तस्करी आदि के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से किया गया था, जिसमें परिसंघ के प्रत्येक समूह द्वारा आपसी सहयोग से उनके संबंधित प्रभाव क्षेत्रों में सहयोग किया गया था। बड़े लक्ष्य पर हमला करने वाले संयुक्त अभियान शुरू होने की संभावना बढ़ गई थी। एनएससीएन (के) के शांति प्रक्रिया से हटने का यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया (यूएनएफएलडब्ल्यू) के हितधारकों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बुरा प्रभाव पड़ा। म्यांमार में समूह का गठन एसएस खापलांग की अध्यक्षता में उत्तर पूर्व के प्रमुख उग्रवादी संगठनों को मिलाकर, जिनमें उल्फा (आई), एनडीएफबी (एस) और केएलओ शामिल करके सदस्य संगठनों के उद्देश्यों के लिए संयुक्त रूप से लड़ने के लिए किया गया था। सुरक्षा बालों और रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले करना भी इस समूह के एजेंडे में था।

(28) पीडीसीके का गठन

एनडीएफबी (एस) की अध्यक्षता से हटने के बाद, आई.के. सोंगबीजीत निराशा और अवसाद से पीड़ित थे। एनएससीएन (के), विशेष रूप से एसएस खापलांग, के मार्गदर्शन और प्रायोजन से, आई के सोंगबीजीत ने संप्रभु कार्बीलैंड के मुद्दे पर जून/जुलाई 2015 में ताका कैंप में 10/12 कार्बी युवाओं (लगभग) के साथ एक नया कार्बी आतंकवादी संगठन बनाया। इसके बाद, पीडीसीके को 2018 में यूएनएफएलडब्ल्यू में शामिल किया गया।

(29) इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा रंजन दाईमारी और उनके सहयोगियों को 30 अक्टूबर, 2008 के सीरियल ब्लास्ट की घटना के संबंध में आजीवन कारावास की सजा से संगठन के हेरारकी में असंतोष उत्पन्न हुआ।

(30) विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ सांठगांठ :-

आत्मसमर्पण करने वाले एनडीएफबी (एस) के विदेश सचिव एन. एसारा द्वारा पृच्छताछ में दिए गए बयान के अनुसार, यूएनएलएफडब्ल्यू के लक्ष्य को पूरा करने और हासिल करने के लिए यूएनएलएफडब्ल्यू का प्रस्ताव तीसरे राष्ट्र से सहायता लेने का भी था। तदनुसार, यूएनएलएफडब्ल्यू ने पहले सहायता के लिए चीन को प्राथमिकता दी। परेश बरुआ और युंग आंग @ थोइबा ने चीनी अधिकारियों से संपर्क किया। किंतु, चीन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने से इनकार कर दिया।

एक विकल्प के रूप में, यूएनएलएफडब्ल्यू ने किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ जल्द से जल्द संबंध स्थापित करने की कोशिश की। बी आर फेरेंगा (जीएस, एनडीएफबी-एस) को यह कार्य सौंपा गया। अतः, बी आर फेरेंगा ने केवाईकेएल (एन. ओकेन, अध्यक्ष और अफेबा, विदेश सचिव) के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। कथित तौर पर केवाईकेएल को लंबे समय से पाकिस्तान (आईएसआई) से सहायता प्राप्त होती थी। इसलिए, केवाईकेएल ने

सहमति व्यक्त की और इस मामले में मदद करने का आश्वासन दिया। संपर्क करने पर यह पता चला कि यूएनएलएफडब्ल्यू 15 दिनों के भीतर आईएसआई से संपर्क कर सकता है। तदनुसार, यूएनएलएफडब्ल्यू ने एक प्रतिनिधि समिति का गठन किया, जिसमें प्रत्येक सदस्य संगठन (एनएससीएन-के, उल्फा-आई, एनडीएफबी-एस, केएलओ, पीडीसीके और एनएलएफटी) के एक-एक सदस्य शामिल थे और सभी संबंधितों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। निका सुमी ने सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया, वास्तव में वह पैसे देने की अवधि के लिए तैयार था। खांगो कोंगयंग के एनएससीएन-के की अध्यक्षता में 15 जुलाई से 01 अगस्त के दौरान यह सब घटित हुआ।

यह पता चला कि पाकिस्तान (आईएसआई) भारत के खिलाफ लड़ने वाले सभी संगठन समूहों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा था। पाकिस्तान (आईएसआई) ऐसे समूहों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रहा था, हथियार गोला बारूद और विस्फोटक प्रदान कर रहा था। पाकिस्तान (आईएसआई) ने ऐसे समूहों को भारत सरकार की अधिक से अधिक संपत्तियों, रेलवे, पुलों, सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों, तेल रिफाइनरियों और अन्य सरकारी संपत्तियों को नष्ट करने के लिए कहा। हालांकि, दो मुख्य कारणों से यह योजना सफल नहीं हो सकी - i) एनएससीएन-के के खांगो कोंगयंग पर मुकदमा और ii) भारतीय और म्यांमार सेना द्वारा संयुक्त रूप से ताका कैम्प पर हमला।

(31) बांग्लादेश बेस के बारे में :-

एन. एसारा ने एनडीएफबी (एस) के विदेश सचिव के अपने कार्यकाल के दौरान, केवाईकेएल के नेतृत्व (अफायबा, विदेश सचिव) से संपर्क किया और एनडीएफबी (एस) के बांग्लादेश में आधार शिविर स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। केवाईकेएल ने भी सहमति व्यक्त की और उनकी ओर से सहायता का आश्वासन दिया। इस कारण से, उन्होंने जनवरी 2019 के मध्य में इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए ताका कैम्प का दौरा किया। विपरीत परिस्थिति के कारण यह सौदा अधूरा रह गया।

(32) प्रचालन रणनीति :-

आत्मसमर्पण करने वाले एनडीएफबी (एस) के विदेश सचिव एन. एसारा द्वारा किए गए बयान के अनुसार, बीटीएडी क्षेत्रों में एनडीएफबी (एस) द्वारा अकेले ऑपरेशन चलाया गया था। सीमा और बाहरी क्षेत्रों में, एनडीएफबी (एस) ने सहयोगी गुटों के साथ संयुक्त अभियान चलाया। उनका मुख्य लक्ष्य भारतीय सुरक्षा बल और पुलिस और बीटीएडी क्षेत्रों में गैर-आदिवासी लोग थे। सामान्य रूप से, धन के स्रोत अपहरण, जबरन वसूली, कर और शुभचिंतकों से दान थे।

एनडीएफबी (एस) ने सुरक्षाकर्मियों से छीनकर, पुलिस स्टेशनों, फोर्स बटालियनों और पुलिस रिजर्व पर हमले करके और खरीद के माध्यम से हथियार/गोला बारूद प्राप्त किया। भर्ती के लिए, असम में सक्रिय एनडीएफबी (एस) काडर, आमतौर पर बोडो युवाओं को फोन पर प्रेरित करते थे, जिसमें राज्य से बाहर काम करने वाले लोग भी शामिल थे और उन्हें एनडीएफबी (एस) में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता था। सहमत युवाओं को प्रशिक्षण के लिए म्यांमार में आधार शिविरों में भेजा गया था। इस संबंध में, नागा लोगों ने i) दीमापुर से मों मार्ग या ii) दीमापुर से एनसांग मार्ग से भारत-म्यांमार सीमा पार करने में सहायता की। आम तौर पर, नए भर्ती हुए लोगों को प्रशिक्षण के बाद तीन साल के लिए म्यांमार में रहना होता था, जब तक कि उन्हें भारत में विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं बुलाया जाता। तीन साल के बाद, उन्हें ऑपरेशन कार्यों के लिए वापस असम भेज दिया जाता था।

(33) भूटान और बांग्लादेश में ऑपरेशन बेस स्थापित करने का प्रयास

एनडीएफबी (एस) के नेताओं ने भूटान में ऑपरेशन बेस स्थापित करने के लिए भूटान के अधिकारियों से संपर्क किया। एनडीएफबी (एस) के वाइस चेयरमैन जी. बीदेई भारतीय सुरक्षाबलों द्वारा कार्रवाई से बचने के अलावा असम में ऑपरेशन शुरू करने के लिए भूटान के अंदर सामरिक मजबूती पाने के लिए बेताब थे।

संगठन के म्यांमार स्थित नेताओं ने विकल्प के रूप में त्रिपुरा के लंबे समय से सक्रिय विद्रोही समूह एनएलएफटी (बी) के साथ मिलकर बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में अपने आधार के पुनर्निर्माण का प्रयास किया।

(34) विदेशी धरती पर भर्ती और प्रशिक्षण :-

एनडीएफवी नेतृत्व ने संप्रभु बोडोलैंड बनाने की अपनी विचारधारा को प्राप्त करने के लिए उनके संगठनात्मक आधार को मजबूत करने की दृष्टि से अपने संगठन के लिए नए काडरों की भर्ती जारी रखी। संघर्ष विराम के दौरान भी, संगठन ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से युवाओं की संगठन में भर्ती की। एनडीएफवी (एस) ने एनएससीएन (के) और मेतई उग्रवादी संगठनों के संरक्षण में म्यांमार के ताका में जीएचक्यू (सामान्य मुख्यालय) और प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की थी। नए भर्ती लोगों को हथियार, विस्फोटक आदि चलाने के प्रशिक्षण के लिए बैचों में म्यांमार भेजा जाता था। इस संगठन ने शिक्षित युवाओं की भर्ती पर भी ध्यान केंद्रित किया।

म्यांमार में तागा क्षेत्र में एनजीएफवी (एस) और एनएससीएन (के) के कोन्याक क्षेत्र में थोरिलो के पास तैनात इसकी इकाई, एनडीएफवी (एस) काडरों के एक बड़े समूह के कार्यों का समन्वय कर रहे थे। प्रशिक्षण में - पीटी, ड्रिल, हथियार का प्रशिक्षण, हथियार चलाना, बाधाएं, चढ़ाई, आदि शामिल थे। हथियारों में, सभी एके सीरीज राइफलें, एचके, एम -16, एमक्यू, एके-81, पिस्तौल, आरपीजी, लॉन्चर हथियार और एलएमजी शामिल थे। ताका क्षेत्रों में, एनडीएफवी (एस) शिविर के आस-पास उल्फा (आई), एनएससीएन (के), केवाईकेएल, केसीपी, प्रीपाक, प्रीपाक (वीसी), केएलओ, पीएलए, एमपीए (यूएनएलएफ) के शिविर थे।

एनडीएफवी (एस) के 42 नं. बैच ने 4 (चार) प्रशिक्षकों के तहत संगठन के लुंगमैक ट्रेनिंग सेंटर में हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो 24-12-2014 से 28-02-2015 तक चला। कुल 100 युवाओं को एनडीएफवी (एस) में भर्ती किया गया (82 पुरुष और 18 महिलाएं)। केवाईकेएल का एक पांच सदस्यीय समूह भी उनके साथ प्रशिक्षण ले रहा था। प्रशिक्षण में शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, विभिन्न परिष्कृत हथियारों की हैंडलिंग शामिल थी जिनमें एके-सीरीज राइफल, एम -16, एचके -33, एमक्यू -81 थे।

बीटीएडी से तेजी से भर्ती की जा रही थी क्योंकि यह समूह का गढ़ था जिसमें ओजीडब्ल्यू और सहानुभूति रखने वालों का व्यापक नेटवर्क था।

(35) एनडीएफवी (एस) की जनरल काउंसिल की बैठक

अगस्त, 2015 में, एनडीएफवी (एस) की जनरल काउंसिल की बैठक तीन दिनों के लिए ताका में आयोजित की गई थी। उस बैठक में, एन ई एसारा को एनडीएफवी (एस) का विदेश सचिव और आई सुलंग को प्रचार सचिव की जिम्मेदारी दी गयी।

(36) एनडीएफवी (एस), होयत बेस के जीएचक्यू की शस्त्र शक्ति।

म्यांमार सेना के ऑपरेशन के शुरू करने से पहले होयत शिविर में 10 व्यक्ति थे (एनडीएफवी (S) काडर -09 और 1 (एक म्यांमार नेशनल आर्म्स)। शस्त्र इस प्रकार थे:-

एके -77 राइफल = 1

एके -56 राइफल = 2

एके 47 राइफल = 1

एचके 33 राइफल = 2

एम -16 = 1

एमक्यू राइफल = 1

शैल = 2

(37) अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ सांठगांठ:

अप्रैल, 2015 के महीने में, एनएससीएन (के) की पहल पर चार क्रांतिकारी संगठनों (एनएससीएन-के, उल्फा-आई, एनडीएफवी-एस और केएलओ) ने मिलकर शुरू में, भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने के लिए "युनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया" संक्षेप में यूएनएलएफडब्ल्यू नाम और शैली का एक अम्ब्रेला समूह का गठन किया। इस तरह का एक अम्ब्रेला समूह बनाने का पहला विचार 2011 में आया था। पश्चिमी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को जल्द ही "डब्ल्यूईएसईए" कहा जाने लगा।

(38) जीएनएलए के साथ सांठगांठ: -

आत्मसमर्पण करने वाले एनडीएफबी (एस) उग्रवादियों द्वारा यह महत्वपूर्ण सूचना दी गयी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 2017 में एनडीएफबी (एस) के नेतृत्व ने गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए), जीएनएलए के अध्यक्ष (चैंपियन संगमा), के साथ संपर्क किया और ताका क्षेत्र में बेस कैंप स्थापित करने के उनके इरादे पर चर्चा की। उन्होंने इलाके, भौगोलिक स्थिति, रसद सुविधाओं और समर्थन, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, संचार सुविधा और संयुक्त संचालन के लिए सहयोग के बारे में जानकारी ली। उस समय, वह कार्बी आंगलों क्षेत्रों में थे। उनके अनुरोध के अनुसार, दो एनडीएफबी (एस) सदस्यों (अर्थात् - 40^{वें} बैच के मिनिसब्रांग और 42^{वें} बैच के स्वमजिंखांग) को कार्बी आंगलों क्षेत्रों में संयुक्त अभियान के उद्देश्य के लिए चैंपियन संगमा के पास भेजा गया, विशेष रूप से गेंडे के अवैध शिकार, जबरन वसूली एवं निधि संग्रह के लिए अपहरण के उद्देश्य से। लेकिन, यह योजना सफल नहीं रही। एक महीने के बाद, मिनिसब्रांग चैंपियन संगमा से छिपकर भाग गया और सोनितपुर जिले में पकड़ा गया। स्वमजिंखांग (अब सक्रिय) चैंपियन संगमा से मुलाकात किए बिना जी बिदेई और बी बाथा से मिलने भूटान चला गया। इसके बाद, जीएनएलए के साथ कोई संपर्क नहीं था।

(39) एनडीएफबी (साओरैगरा गुट) द्वारा राज्य भर में जबरन वसूली के असंख्य उदाहरण हैं। उन्होंने गुपचुप तरीके से आम लोगों, व्यापारियों और ठेकेदारों से जबरन वसूली की और फिरौती लेने के लिए अपहरण का भी सहारा लिया। इस संगठन के सदस्य संगठन के लिए दान के नाम पर फोन कॉल, व्हाट्सएप संदेशों पर पैसे की मांग करने, विभिन्न नागरिकों को मांग पत्र जारी करने, चालू परियोजनाओं के प्रमुखों/राजनीतिक नेताओं आदि से पैसे की मांग करने में शामिल पाए गए। यह संगठन द्वारा दान के नाम पर पैसे निकालने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति थी। हथियार और गोला-बारूद से लैस काडर बंदूक की नोक पर अलग-अलग व्यक्तियों, व्यापारियों आदि से पैसे वसूलते थे।

(40) आत्मसमर्पण करने वाले एनडीएफबी (एस) सदस्य दिप्ती बासुमतारी उर्फ बी. डूफौलू, जिसने 2013 में ताका के लुंगमार्क ट्रेनिंग सेंटर में एनडीएफबी (एस) के 40^{वें} बैच में हथियारों की ट्रेनिंग ली थी और 2017 के अंत तक वहां रही थी, के इकबालिया बयान के अनुसार, उसे 6 (छह) अन्य काडरों के साथ असम में एनडीएफबी (एस) के नेता बाथा के समूह में शामिल होने का काम सौंपा गया था। चिरांग के आस-पास के वन क्षेत्रों में बाथा और उसके समूह के साथ लगभग 9 (नौ) महीनों की इस अवधि के दौरान पास, समूह के पास अत्याधुनिक हथियार थे जिनमें एक एचके-33 और एके-47 राइफल, 2 M20 राइफल शामिल थे। उस अवधि के दौरान समूह ने एनडीएफबी (एस) के नाम से लगभग 100 लकड़ी काटने वालों से 8000/- रूपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वसूली की।

(41) विशिष्ट समूहों की हत्या: आदिवासी

यह नृशंस घटना दिसंबर 2014 के अंत में हुई। एनडीएफबी (एस) द्वारा आदिवासी ग्रामीणों को निशाना बनाकर शुरू किए गए इस नरसंहार में, जो 23 दिसंबर 2014 से 25 दिसंबर 2014 तक चला, 63 आदिवासी और दो बंगाली मारे गए। इसके अलावा, जवाबी कार्रवाई में 13 बोडो लोग मारे गए। आदिवासी लोगों पर यह क्रूर हमला इस संगठन पर एक गंभीर कार्रवाई के बाद हुआ, जिसमें संगठन के एक्शन ग्रुप के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य मारे गए थे और हथियार जब्त हुए थे, जब 21 दिसंबर 2014 को चिरांग जिले के रुनीखाता थाना के तहत चिरांग-कोकराझार सीमा क्षेत्र में चिरांग रिजर्व जंगल के अंदर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो कट्टर एनडीएफबी (एस) काडर मारे गए, जिसमें भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया। इसके बाद से एनडीएफबी (एस) के काडर ने 23 दिसंबर, 2014 की दोपहर से 25 दिसंबर, 2014 तक कई हमले किए। प्रभावित जिले कोकराझार, चिरांग, सोनितपुर और उदलगुरी के कुछ हिस्से थे।

घटना घटने के तुरंत बाद, स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए पूरा कानून और व्यवस्था तंत्र सक्रिय हो गया। दिनांक 12 फरवरी, 2015 तक बेंगलुरु, कर्नाटक से 2 (दो) लोगों सहित एनडीएफबी (एस) के 179 सदस्यों और लिंकमैन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कुछ शीर्ष स्तर के नेता शामिल थे। भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए जिनमें एके 47 / एके -56, एचके-33, एम-16, एम -22, 9mm पिस्तौल आदि जैसे परिष्कृत हथियार गोला-बारूद, ग्रेनेड आदि शामिल थे।

(42) एनडीएफबी (एस) द्वारा विस्फोट संबंधी इनपुट

संगठन द्वारा पूरे राज्य में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिशों के संबंध में कई खुफिया सूचनाएं थीं। हालांकि, हाल के दिनों के दौरान, पर्याप्त निवारक उपायों के कारण, उनकी कई नापाक योजनाएं विफल की गयी हैं।

(43) उल्फा (आई) के साथ सांठगांठ

नवंबर, 2015 में, उल्फा के बम-ट्रेनर अर्थात् ए जेड हिरुआम (ट्रेनर) और ब्रिन्दाबन मोराम (डीमोंस्ट्रेटर) उर्फ बिपुल असोम ने ताका स्थित एनडीएफबी (एस) के शिविर में एनडीएफबी (एस) के 17 (सत्रह) सदस्यों को आईईडी बनाने का प्रशिक्षण दिया।

(44) सुरक्षा बलों/पुलिस/नागरिकों पर हमला :

एनडीएफबी (एस) ने जबरन वसूली, हत्या, अपहरण आदि के अलावा राज्य में निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की बड़े पैमाने पर हत्या की:

दिनांक 05-08-2016 को, लगभग 11.45 बजे, सशस्त्र एनडीएफबी (एस) के चरमपंथियों के दो सदस्य बालाजान तिनियाली साप्ताहिक बाजार में एक ऑटोरिक्शा में आए और आमलोगों/राहगीरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। उन्होंने निर्दोष जनता पर हथगोले भी फेंके। परिणामस्वरूप, 14 (चौदह) नागरिकों की मृत्यु हो गई और 19 (उन्नीस) नागरिक घायल हुए।

(45) भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का बहिष्कार:

एनडीएफबी (एस) जो यूएनएलएफडब्ल्यू का एक प्रमुख भागीदार था, पूर्वोत्तर के कुछ अन्य विद्रोही समूहों के साथ हमेशा से असम के लोगों से "गणतंत्र दिवस" (26 जनवरी) और "स्वतंत्रता दिवस" (15 अगस्त) समारोह का बहिष्कार करने और राज्य में इन दो विशिष्ट दिनों में आम हड़ताल की अपील करता रहा था। इसने हमेशा भारत विरोधी और सरकार विरोधी प्रचार किया।

(46) सेना द्वारा 2019 में हमले के बारे में: -

म्यांमार की सेना ताका क्षेत्र और भारतीय उग्रवादी समूहों के शिविरों का साल में दो बार (लगभग) दौरा करती थी। इसी तरह, दिनांक 20.01.2019 को म्यांमार सेना (लगभग 1000 सैनिक) ताका क्षेत्र में पहुंचे और अस्थायी शिविरों में रहने लगे। उन्होंने एनडीएफबी (एस) शिविरों का भी दौरा किया और हमेशा की तरह बात की। दिनांक 28-01-2019 को, म्यांमार सेना ने एनएससीएन (के) शिविर के गाड़ों को तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस प्रकार, उन्होंने एनएससीएन (के) के छह उग्रवादियों को गिरफ्तार किया (नाम ज्ञात नहीं)। दिनांक 29-01-2019 को, म्यांमार सेना ने ताका क्षेत्र में अन्य संगठनों को चेतावनी दी और शिविरों को छोड़ने के लिए 20 मिनट का समय दिया। सब हैरान थे; किंतु, हर कोई हथियारों और गोला-बारूद सहित न्यूनतम सामान के साथ शिविरों से निकल गया। इसके बाद, म्यांमार की सेना ने शिविरों पर कब्जा कर लिया और शिविर के सामान को अपने कब्जे में ले लिया और इन्हें अपना बेस बना लिया।

शिविरों पर कब्जे के बाद, म्यांमार सेना ने पहली बार दिनांक 30-01-2019 को उल्फा (आई) शिविर पर हमला किया। उल्फा (आई) म्यांमार सेना का प्रतिकार नहीं कर सका और अंततः भाग गया। उसी दिन, केएलओ, एनएलएफटी, पीडीसीके, उल्फा (आई), एनडीएफबी (एस), केवाईकेएल और केसीपी ने म्यांमार सेना के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करके स्थिति को हल करने की कोशिश की, जिसने इसे स्वीकार नहीं किया। कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर, कुछ { उल्फा (आई)+ पीएलए + एनएससीएन-के}} के सदस्य भाग निकले और अरुणाचल प्रदेश-म्यांमार सीमा के पांगसू दर्रे की ओर बढ़ गए; अन्य (केएलओ + एनडीएफबी-एस + पीडीसीके + एनएलएफटी + केवाईकेएल + केसीपी + प्रीपाक + एमपीए/यूएनएलएफ) ताका नदी को पार करते हुए म्यांमार के काचिन डिवीजन से आगे बढ़े। समूहों(उल्फा-आई + पीएलए) के कुछ सदस्य आश्रय के लिए कोन्याक क्षेत्र शिविर की ओर भाग गए।

म्यांमार की सेना ने ताका क्षेत्रों और लुन्माक क्षेत्रों में उल्फा (आई), पीएलए और एमपीए/यूएनएलएफ के शिविरों में आग लगा दी और सभी उपलब्ध हथियार, गोला-बारूद, संपत्तियां, फाइलें, दस्तावेज, लड़ाकू वर्दी, खाद्य पदार्थ और अन्य सामान अपने कब्जे में ले लिया। इस हमले के कारण, विभिन्न समूहों के लगभग 50-60 नेताओं/सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में शामिल थे - एनडीएफबी-एस के डी. रेबगॉन, बी.

ग्वम्सर, बी. स्वजिसुला, बी. सरोन्थई, बी. रब्बी रवमी, बी. जिरिजिरी; एनएससीएन-के के स्टारसन (वित्त किलोनसर), अंगमई (होम किलोनसर), फॉरेस्ट किलोनसर, एजुकेशन किलोनसर, एग्रीकल्चर किलोनसर, जोसेफ (चेयरमैन के पीएस), और विभिन्न संगठनों के कई अन्य नेता/काडर सदस्य। इसके अलावा, लगभग 10-15 नेता/काडर गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग 05-06 नेता/काडर मारे गए।

शस्त्र-गोला-बारूद के बारे में (ताका क्षेत्र में म्यांमार के हमले से पहले):

हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले एनडीएफबी (एस) के नेता के बयान के अनुसार, म्यांमार सेना के जनवरी 2019 में उनके शिविरों पर हमले से पहले म्यांमार में इस संगठन के पास 60 से 65 असाॅल्ट राइफलें थीं जिनमें एके सीरीज, एम्-16, इंसास, चीनी राइफल, आरपीजी, शेल लांचर, एलएमजी, ग्रेनेड आदि थे।

(47) म्यांमार सेना के हमले के बाद, उपलब्ध खुफिया इनपुट से यह पता चला कि कुछ शीर्ष रैंकिंग एनडीएफबी काडर अभी भी अपने म्यांमार के ठिकानों में डेरा डाले हुए थे और अपने जखीरे को मजबूत करने के लिए अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ नए सांठगांठ कर रहे थे। संगठन के चार कमांड द्वारा भर्ती अभियान भी चलाया गया। उनकी विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों के बावजूद विदेशी माफियाओं से हथियार/गोला-बारूद और विस्फोटक खरीदने के साथ-साथ सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए जबरन वसूली और अपहरण का काम जोरों पर चल रहा था। इस बात की प्रबल आशंका थी कि एनडीएफबी अवसर मिलते ही लोक व्यवस्था और देश की अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करने वाली गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए तैयार था।

राष्ट्र विरोधी विध्वंसक कार्यों में एनडीएफबी की संलिप्तता गंभीर चिंता का विषय था। इस पृष्ठभूमि के साथ, एनडीएफबी एक राष्ट्र-विरोधी संगठन माने जाने के सभी मानदंडों को पूरा करता था, के लिए सभी कारण थे, जो भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता और एक संप्रभु देश बनाना चाहता था। इसलिए, लोक व्यवस्था और देश की सुरक्षा के हित में यह सिफारिश की गई थी कि एनडीएफबी को दिनांक 22-11-2019 से और 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत एक विधिविरुद्ध संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया जाए।

(48) हाल के घटनाक्रम

म्यांमार सेना द्वारा भारतीय विद्रोही समूहों पर जनवरी, 2019 से शुरू किए गए ऑपरेशन सनराइज के परिणामस्वरूप उल्फा (आई) के 50, एनडीएफबी (एस) के 8 और केएलओ के 5 उग्रवादियों ने असम में पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 28 परिष्कृत हथियार, 1429 राउंड गोला बारूद, 5 ग्रेनेड और 42 मैगजीन जमा कर दिए।

राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना द्वारा एकीकृत कमांड संरचना के तहत उग्रवादी संगठनों पर लगातार दबाव बनाए जाने से आतंकवादी छिपने और अवसर मिलने पर सुरक्षित दूरी से सॉफ्ट टारगेट पर हमले करने के लिए मजबूर हुए हैं। एनडीएफबी (एस) संगठन के खिलाफ शुरू किए गए समवेत अभियान ने उनकी एक जगह से दुसरे जगह जाने को अत्यधिक कठिन बना दिया और संगठन को छिपने और हथियारों के साथ बड़े पैमाने पर उनकी एक जगह से दुसरे जगह जाने से बचने के लिए मजबूर कर दिया। उदाहरण के लिए चिरांग और कोकराझार जिलों में क्रमशः दिनांक 05-01-2020 और 15-01-2020 को एनडीएफबी (एस) के साथ सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की दो घटनाएं हुईं। इन घटनाओं में एनडीएफबी (एस) के दो कट्टर काडर मारे गए और उनके पास से 03 (तीन) हथियार, 2 (दो) ग्रेनेड और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

एनडीएफबी के विद्रोह के विरुद्ध निरंतर जवाबी कार्रवाई के रूप में सरकार द्वारा एकीकृत कमांड संरचना के तहत अपनाई गई बहु-आयामी रणनीति तथा वार्ता के माध्यम से समाधान के लिए और गुमराह युवकों के व्यवस्थापन और पुनर्वास के लिए शांति प्रयासों के अच्छे परिणाम हुए। सरकार की इस पहल और समय-समय पर एनडीएफबी के एसओओ समूहों के साथ आवधिक वार्ता, तथा दिनांक 27-01-2020 को एनडीएफबी और एबीबीएसयू के चार गुटों ने भारत सरकार और असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से बीटीआर समझौते के रूप में एक नए युग की शुरुआत हुई। बीटीआर समझौते पर दिनांक 27 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य लोग थे प्रमोद बोरो (अध्यक्ष, एबीएसयू), लॉरेंस इस्लेरी (जनरल

सेक्रेटरी, एबीएसयू), रंजन दाईमारी (एनडीएफबी), गोबिंदा बासुमतारी (एनडीएफबी), बी, सौरीगवरा (एनडीएफबी), धीरेंद्र बोरो (एनडीएफबी), मिहेश्वर बासुमतारी (अध्यक्ष, यूबीपीओ), श्री कुमार संजय कृष्ण, असम सरकार के मुख्य सचिव, श्री सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव, एनई, गृह मंत्रालय। समझौते पर हस्ताक्षर श्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री, श्री हिमंत बिस्वा सरमा, कैबिनेट मंत्री, असम और श्री हाग्रामा मोहिलरी (सीईएम, बीटीसी) की उपस्थिति में हुए।

जैसा कि हिंसा को खत्म करने के बारे में के बिंदु सं.9.1 में उल्लिखित है, 27-01-2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद से एनडीएफबी के किसी भी गुट द्वारा की गई किसी भी हिंसक गतिविधि की कोई रिपोर्ट नहीं है।

दिनांक 30-01-2020 को, एनडीएफबी के सभी चार समूहों के एक शस्त्र छोड़ने के समारोह का आयोजन गृह और राजनीतिक विभाग, असम सरकार और असम पुलिस के संरक्षण में जीएमसीएच सभागार, भानगढ़, गुवाहाटी में किया गया। इस समारोह में कुल 1615 काडर {एनडीएफबी-पी (दोनों गुट) -836, एनडीएफबी (आरडी) - 579 और एनडीएफबी (एस) - 200} ने कुल 178 शस्त्र, 4803 कारतूस और 14 ग्रेनेड जमा किए।

दिनांक 02-03-2020 को, एसओ मुख्यालय में एमओएस पर एक बैठक हुई, जिसकी अपर मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक), असम सरकार ने की और संयुक्त सचिव, एनई, गृह मंत्रालय एवं अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया। बैठक में एनडीएफबी के सभी चार धड़ों के सभी नेताओं जैसे बी. साओरैग्रा, अध्यक्ष-एनडीएफबी (एस), बी स्वमख्वर, अध्यक्ष एनडीएफबी (पी), धीरेन बोरो, अध्यक्ष एनडीएफबी (पी), और बी. ओंजालू, महासचिव एनडीएफबी (आरडी) को दिनांक 9 मार्च, 2020 को संगठन को भंग करने के लिए तथा काडर को 15 मार्च, 2020 तक नामित शिविरों को छोड़ने के लिए कहा गया। इस संबंध में, आईजीपी, बीटीएडी, कोकराझार से 9 मार्च, 2020 को प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया कि एनडीएफबी के सभी गुटों ने संयुक्त रूप से अपने संगठनों को भंग करने की घोषणा की थी।

एनडीएफबी समूहों के सभी नामित शिविरों को नष्ट कर दिया गया है। शिविरों को संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सौंप दिया गया।

यह कि, गृह और राजनीतिक विभाग, असम सरकार को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के बारे में नवीनतम जानकारी के साथ विशेष शाखा मुख्यालय, असम पुलिस के कार्यालय से पुलिस अधीक्षक (एसओयू), असम पुलिस के हस्ताक्षर से दिनांक 11.05.2019 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

दिनांक 11-05-2020 की उक्त रिपोर्ट के तहत विशेष शाखा मुख्यालय, असम पुलिस के कार्यालय ने असम, गृह और राजनीतिक विभाग को सूचित किया कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के 4 (चार) गुटों अर्थात् (i) एनडीएफबी (प्रोग्रेसिव-गोबिंदा बासुमतारी गुट), (ii) एनडीएफबी (प्रोग्रेसिव-धीरेन बोरो गुट), (iii) एनडीएफबी (रंजन दाईमारी गुट) और (iv) एनडीएफबी (एस) ने दिनांक 27-01-2020 को भारत सरकार और असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए थे और बोडोलैंड टैरीटोरियल रीजन (बीटीआर) समझौते के रूप में एक समझौता किया। इस समझौते में दिए गए निर्देशों के अनुसार, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने सरकार के समक्ष दिनांक 30-01-2019 को सामूहिक आत्मसमर्पण (1615 काडर) किया और हथियार एवं गोला-बारूद, विस्फोटक आदि जमा किए।

इसके अलावा, एमओएस के खंड 9 के अनुसार एनडीएफबी के 4 (चार) गुटों ने दिनांक 09-03-2020 को एनडीएफबी संगठन को भंग कर दिया है। तदनुसार, उनके सभी नामित शिविर दिनांक 15-03-2020 को समाप्त कर दिए गए थे।

किंतु, इन सभी हालिया घटनाओं के बीच, उपलब्ध इनपुट के अनुसार, संगठन के कुछ सदस्य दिनांक 27-01-2020 के समझौता ज्ञापन (एमओएस) से संतुष्ट नहीं हैं। इस बात की विश्वसनीय जानकारी है कि संगठन के कुछ नेता और काडर अभी भी विदेशों में हैं, जैसे म्यांमार, आदि, जो अभी तक एनडीएफबी के 4 (चार) गुटों के आत्मसमर्पण किए गए काडर के साथ मुख्यधारा में शामिल नहीं हुए हैं। ये नेता और काडर बीटीआर समझौते का विरोध कर सकते हैं और अलग समूह बना सकते हैं।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एनडीएफबी (एस) के मामले में उन्होंने आत्मसमर्पण के समय केवल 38 शस्त्र और 1558 गोला बारूद जमा किए थे। इसके अलावा, उन्होंने कई बार सुचना मांगे जाने के बावजूद सरकार को अपने सदस्यों की अंतिम सूची नहीं सौंपी है।

उपर्युक्त घटनाक्रम के मद्देनजर, अभी भी आशंका है कि एनडीएफबी के ये बाकी असंतुष्ट नेता और काडर, जो विदेशी धरती पर शरण ले रहे हैं, एनडीएफबी का पुनर्गठन कर सकते हैं और भविष्य में अलगाववादी और उत्तर-पूर्व के समान विचारधारा वाले उन चरमपंथी संगठनों के साथ विध्वंसक कार्यकलापों को जारी रख सकते हैं, जो अभी भी अपने विदेशी आकाओं के संरक्षण में विदेशी धरती से काम कर रहे हैं। इसके अलावा, एनडीएफबी अभी भी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया (यूएनएलएफडब्ल्यूएसईए) का एक प्रमुख घटक है जो उत्तर पूर्व के प्रमुख चरमपंथी संगठनों का एक समूह है।

विशेष पुलिस मुख्यालय, असम पुलिस ने पुलिस अधीक्षक (एसओयू), असम पुलिस द्वारा हस्ताक्षरित 22-05-2020 के पत्र के तहत गृह और राजनीतिक विभाग, असम सरकार को यह भी सूचित किया कि म्यांमार संघीय गणराज्य के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में जेल में बंद एनडीएफबी (एस) के 5 (पांच) सदस्यों की जेल से उनकी रिहाई के बाद दिनांक 15 मई, 2020 को उन्हें विशेष ब्यूरो, भारत सरकार को सौंप दिया। इसके बाद, भारत सरकार ने उसी दिन एनडीएफबी (एस) के इन सदस्यों को असम पुलिस को सौंप दिया।

यह कि उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह अभिसाक्षी सम्मान यह कहता है कि असम सरकार भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 नवंबर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना सं 4255 में कही गयी बातों का समर्थन करती है, जिसके द्वारा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) को विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया है।

30. श्री दास ने विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए और एसपी, एसओयू, गुवाहाटी के कार्यालय की हिरासत से संगठन के शीर्ष नेताओं के बयान प्रस्तुत किए और मूल दस्तावेजों से उनका सत्यापन किया।
31. एनडीएफबी के तीन गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा श्री दास से जिरह की गई, जिसे आयुक्त द्वारा अभिलेखित किया गया। श्री दास ने अपनी जिरह में, एनडीएफबी संगठन पर प्रतिबन्ध जारी रखने के असम सरकार के इरादे की पुष्टि की, हालांकि सरकार के पास एनडीएफबी के विभिन्न गुटों को भंग करने के बारे में रिपोर्टें थीं। उन्होंने सरकार की इस आशंका के सुझाव का खंडन किया कि एनडीएफबी के असंतुष्ट सदस्य फिर से केवल भंग किए जाने की संभावना पर ही हथियार उठा सकते हैं, बल्कि उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा प्राप्त इनपुट के आधार पर था, अर्थात् हाल ही में म्यांमार सरकार द्वारा भारत सरकार को एनडीएफबी के 5 (पांच) सदस्य सौंपे गए थे। यूएनएलएफडब्ल्यूएसईए से एनडीएफबी के हटने के संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार को दिनांक 27.01.2020 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद एनडीएफबी के सदस्यों द्वारा किसी विध्वंसक गतिविधि की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक (एसओयू), असम से सरकार को इस आशय के इनपुट प्राप्त होने को सही बताया कि कुछ सदस्य इस समझौते से संतुष्ट नहीं थे और वे असंतुष्ट सदस्यों के साथ एक नया समूह बना सकते हैं तथा एनडीएफबी के उद्देश्य, एक स्वतंत्र बोडोलैंड, को प्राप्त करने के लिए हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने एनडीएफबी के नेताओं द्वारा सरकार को एनडीएफबी के सभी काडरों की सूची सौंपे जाने से इनकार किया।
32. एनडीएफबी के विभिन्न गुट के सदस्यों के आतंकवादी और विध्वंसक कृत्यों से प्रभावित असम राज्य के जिलों के पुलिस अधीक्षक अधिकरण के समक्ष पेश हुए और उन्होंने संबंधित प्रमुख साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया। उनके साक्ष्य के अनुसार वे जिले के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। वे आतंकवादी कृत्यों से जुड़े मामलों की जांच की विशेष रूप से निगरानी करते हैं और व्यवस्था के अनुसार रिपोर्ट विशेष शाखा, गुवाहाटी को भेजते हैं। एनडीएफबी सदस्य उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं। वे विधि-व्यवस्था अस्थिर करने के लिए निर्दोष व्यक्तियों की हत्या/अपहरण/धमकाने/जबरन वसूली की घटनाओं को अंजाम देकर राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। उनके संबंधित तर्कों के समर्थन में प्रत्येक पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न मामले के रिकॉर्ड रखे जो उस कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित हैं जिनके तहत उक्त रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उक्त पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों के अनुसार इस प्रकार प्रदर्शित मामलों की केस डायरी से एनडीएफबी के विभिन्न गुटों के सदस्यों की संलिप्तता स्पष्ट होगी।
33. एनडीएफबी के विभिन्न गुटों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने उक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी से जिरह की और अधिकरण के रजिस्ट्रार ने आयुक्त के रूप में उसे अभिलेखित किया।

34. श्री रिपुई दास, एपीएस, वर्तमान में दिसंबर, 2019 से उदलगुडी जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवारत, ने अपनी जिरह में कहा कि उन्होंने एफआईआर की छाया प्रतियां प्रस्तुत की थे जो सभी अपर पुलिस अधीक्षक, उदलगुडी द्वारा प्रमाणित हैं। प्रत्येक एफआईआर की एक प्रति क्राइम ब्रांच में लगी हुई है और प्रत्येक एफआईआर की एक प्रति कोर्ट में भेजी जाती है। प्राथमिकी की मूल प्रतियां उदलगुडी के न्यायालय में हैं।

उन्होंने उदलगुडी जिले के भीतर के सभी 13 मामलों में एफआईआर दायर किए। इन 13 मामलों में से, 3 मामलों में जांच अधिकारी ने चार्ज-शीट प्रस्तुत कर दी है, 5 मामलों में, जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और 5 मामलों में, जांच चल रही है। दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के खिलाफ उदलगुडी जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

सभी 13 मामलों में, एफआईआर में, एनडीएफबी या एनडीएफबी के संदिग्ध सदस्यों के विरुद्ध शिकायतें थीं।

35. श्री प्रतीक वी थूवे, आईपीएस, 21 जनवरी 2019 से पुलिस अधीक्षक, बक्सा जिला के रूप में सेवारत, ने अपनी जिरह में कहा कि उन्होंने शपथ-पत्र पर मुख्य साक्ष्य के साथ एनडीएफबी के खिलाफ 16 मामलों की सूची प्रस्तुत की थी। इन 16 मामलों में से, 5 मामलों में, आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, 7 मामलों में जांच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और शेष 4 मामले में जांच चल रही है। उन्होंने अपने शपथ-पत्र के साथ एनडीएफबी के खिलाफ दिनांक 27.01.2020 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद का कोई भी पंजीकृत मामला प्रस्तुत नहीं किया था। दिनांक 27.01.2020 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, हालांकि उसे उनके शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है और उस मामले की जांच चल रही है।
36. श्री पुष्पराज सिंह, आईपीएस, जो वर्तमान में दिनांक 23.01.2019 से जिला गोलाघाट में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी जिरह में बताया है कि उन्होंने अपने मुख्य साक्ष्य में एनडीएफबी के खिलाफ गोलाघाट जिले में दर्ज दो मामलों का विवरण हलफनामे में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने हलफनामे में वर्णित किए गए अनुसार एनडीएफबी के खिलाफ मामलों और एनडीएफबी काडरों की कथित गतिविधियों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के खिलाफ गोलाघाट में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर के बाद एनडीएफबी काडरों की गतिविधियों के इनपुट मिले हैं। ये इनपुट म्यांमार के कुछ एनडीएफबी सदस्यों के कथित घुसपैठ के बारे में खुफिया जानकारी हैं।
37. श्री अमृत भुइयन, एपीएस, जो वर्तमान में दिनांक 22.01.2019 से जिला दरांग में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी जिरह में बताया है कि उन्होंने अपने मुख्य साक्ष्य में एनडीएफबी के खिलाफ दो सबूतों को शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया। दोनों मामलों में जांच अधिकारी ने अदालत में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है और विचारण चल रहा है। एनडीएफबी द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, एनडीएफबी काडरों के खिलाफ दारांग जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
38. श्री धनंजय घणवत, आईपीएस जो वर्तमान में दिनांक 14.12.2019 से जिला धेमाजी में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी जिरह में बताया है कि पी एस सिमेन चपारी केस नंबर 59/2015 की वर्तमान स्थिति यह है कि जांच अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 387/34 के तहत आरोप पत्र संख्या 58/2015 प्रस्तुत किया है। आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद वर्ष 2020 में दो नए तथ्य सामने आए। आरोप पत्र वर्ष 2015 में दायर किया गया था। नए तथ्य बताते हैं कि इस मामले के दोनों अभियुक्तों यानी मोनेश्वर बासुमतरी और बाना बासुमतरी ने एनडीएफबी के सदस्य रहते हुए कथित अपराध को अंजाम दिया। इसलिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत अपराध के संबंध में केस डायरी खोली गई और अदालत के समक्ष पूरक आरोप पत्र के लिए प्रार्थना की जा रही है। उन्होंने दोहराया कि पी एस सिमेन चपारी मामला संख्या 59/2015 के संबंध में आरोपी व्यक्ति एनडीएफबी काडर के सदस्य हैं। दिनांक 27.01.2020 को एनडीएफबी द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के किसी भी गुट के खिलाफ धेमाजी जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
39. श्री अंकुर जैन, आईपीएस सुपुत्र श्री अशोक कुमार जैन, जो वर्तमान में दिनांक 15.02.2018 से हुजई जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी जिरह में बताया है कि जांच अधिकारी ने पीएस काकी केस नंबर

- 79/2016 में एनडीएफबी काडरों के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 27.01.2020 को एनडीएफबी द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के किसी भी गुट के खिलाफ हुजई जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
40. श्रीसुधाकर सिंह, एपीएस, जो वर्तमान में दिनांक 24.01.2019 से चिरांग जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी जिरह में बताया है कि उन्होंने अपने मुख्य साक्ष्य में एनडीएफबी के खिलाफ 28 मामलों के बारे में हलफनामे में बताया है। जिनमें से 7 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, 14 मामलों को अंतिम रिपोर्ट के रूप में वापस कर दिया गया है, 5 मामलों में जांच चल रही है और बाकी दो मामलों में केवल जीडी प्रविष्टि दर्ज की गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, चिरांग के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से उसी की डुप्लीकेट प्रतियों की तुलना करने के बाद, अपने हलफनामे के साथ एफआईआर/इजहार की प्रतियां प्रस्तुत कीं। एफआईआर की मूल प्रतियां अदालत में उपलब्ध हैं। दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के किसी भी गुट के खिलाफ चिरांग जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
41. डॉ.मानवेंद्र गोगोई, एपीएस, जो वर्तमान में दिनांक 23.01.2019 से दीमा हसाओ जिले में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के पद पर कार्यरत हैं, ने अपने साक्ष्य में कहा कि उन्होंने अपने हलफनामे में उमरंगो पीएस केस नंबर 22/2017 का केस विवरण प्रस्तुत किया। उक्त मामले में, वर्तमान में, जांच चल रही है और आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी लंबित है। लगभग अन्य सारी जांच का काम खत्म हो गया है। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से हलफनामे में उल्लेख नहीं किया है कि दो अज्ञात उग्रवादी एनडीएफबी के हैं, लेकिन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी संलिप्तता का पता लगाया जा सकता है। उनमें से एक रंजीत मुसहरी है जबकि दूसरा अभी भी अज्ञात है। दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के किसी भी गुट के खिलाफ दीमा हसाओ जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
42. श्री राजेन सिंह, एपीएस, जो वर्तमान में दिनांक 04.03.2020 से विश्वनाथ जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी जिरह में बताया है कि उन्होंने अपने मुख्य साक्ष्य में एनडीएफबी के खिलाफ, विश्वनाथ के जिले में दर्ज, 06 (छह) मामलों के बारे में हलफनामे में बताया है। जिनमें से एक मामला (विश्वनाथ चाराली पीएस केस नंबर 311/2014) को अंतिम रिपोर्ट पर वापस कर दिया गया है। बाकी पांच मामलों में जांच लंबित है। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि विश्वनाथ चाराली पीएस केस नंबर 67/2016 में एनडीएफबी (एस) या एनडीएफबी के किसी अन्य गुट की संलिप्तता नहीं थी। अब तक, एफआईआर और पीएम रिपोर्ट बी रंगशां की संलिप्तता पर संदेह करने का आधार है। एनडीएफबी के चार गुट जैसे एनडीएफबी (एस), एनडीएफबी (आरडी), एनडीएफबी (पी) (गोबिंदाबासुमती) और एनडीएफबी (पी) (धीरेन बोरो) हैं। इन गुटों के अलावा, एक एनडीएफबी आत्मसमर्पण गुट है, जिसके सदस्य उपरोक्त चार समूहों में से किसी के साथ संबद्ध नहीं हैं। दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के किसी भी गुट के खिलाफ विश्वनाथ जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
43. श्री मुग्धाज्योति देवमहंत, एपीएस, जो वर्तमान में दिनांक 14.12.2019 से सोनितपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी जिरह में बताया है कि उन्होंने अपने मुख्य साक्ष्य में एनडीएफबी के खिलाफ, सोनितपुर जिले में दर्ज, 11 मामलों के बारे में हलफनामे में बताया है। इनमें से तीन मामलों में जांच अधिकारी ने आरोप-पत्र दायर किया है, एक मामले में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, एक मामला एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को अंतरित कर दिया गया है और शेष छह मामलों में, जांच चल रही है। दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के किसी भी गुट के खिलाफ सोनितपुर जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार, सोनितपुर और विश्वनाथ जिलों में एनडीएफबी (एस) की भर्ती प्रक्रिया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद फिर से शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
44. श्री सुबोध कुमार सोनोवाल, एपीएस, जो वर्तमान में दिनांक 12.05.2020 से बोंगाईगाँव जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी जिरह में बताया है कि उन्होंने अपने मुख्य साक्ष्य में एनडीएफबी के खिलाफ एक मामले, बोंगाईगाँव पीएस केस नंबर 130/2017 को हलफनामे में प्रस्तुत किया है। दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के किसी भी गुट के खिलाफ बोंगाईगाँव जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि, बोंगाईगाँव पीएस केस नंबर 130/2017 भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत ही दर्ज किया गया था और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज नहीं किया

गया था, लेकिन जांच के आधार पर मामले के अभियुक्तों में से एक श्री मिजिंग वैरी, के बारे में ज्ञात हुआ कि वह एनडीएफबी (पी) (गोबिंदाबसुमतरी) गुट का सदस्य है। उसके मामले में केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

45. श्री राकेश रौशन, आईपीएस, जो वर्तमान में दिनांक 23.02.2020 से कोकराझार जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी जिरह में बताया है कि उन्होंने 51 (इक्यावन) मामले तथा 6 (छह) जीडी प्रविष्टियों को हलफनामे में प्रस्तुत किया है। 20 (बीस) मामलों की जांच लंबित है और इन 20 (बीस) मामलों में से, दो मामलों को एनआईए को अंतरित कर दिया गया है। 7 (सात) मामलों में, जांच अधिकारी ने आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और शेष 24 (चौबीस) मामलों में, अंतिम रिपोर्ट दायर की गई। अपने हलफनामे में भेजे गए अधिकांश मामलों में, एनडीएफबी काडरों के सूचीबद्ध सदस्य संलिप्त हैं। कोकराझार के किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एनडीएफबी के सदस्यों की संलिप्तता के लिए जांच का कोई आदेश पारित नहीं किया। 20 (बीस) मामलों में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 उक्त मामलों को दर्ज करने के समय लागू किया गया था। दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एनडीएफबी के किसी भी गुट के खिलाफ कोकराझार जिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। उनकी जानकारी के अनुसार, कोकराझार जिले में, एनडीएफबी के सभी शिविरों को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद नष्ट कर दिया गया है।
46. यहाँ उपरोक्त में 12 (बारह) पुलिस अधीक्षकों के प्रमाण दर्ज किए गए हैं, जिनमें बराबर संख्या में असम राज्य के जिले लिए गए हैं जिनमें दिनांक 23.11.2014 (अधिसूचना जारी होने की तिथि दिनांक 23.11.2014) से अभी हाल तक एनडीएफबी काडरों के कृत्यों को दर्ज किया गया है। क्योंकि एनडीएफबी के प्रतिनिधियों को छोड़कर ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई अन्य आम जनता उपस्थित नहीं हुई थी, संगठन के काडर के आतंकवादी और विध्वंसक कृत्यों से प्रभावित जिलों में वास्तविक जमीनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से बातचीत की जो अपने संबंधित बयान देने के लिए ट्रिब्यूनल में मौजूद थे। उनके आकलन के अनुसार संगठन के विभिन्न गुटों के काडरों ने सभी हथियारों और गोला-बारूद का आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके अलावा, यदि उन्हें एकबारगी बीटीएडी के शासन में राजनीतिक रूप से सत्ता हासिल करना मुश्किल लगा या वे आर्थिक रूप से समृद्ध होने में विफल रहे तो यह समझा जा सकता है कि एनडीएफबी के किसी भी गुट के असंतुष्ट काडरों में से कुछ की फिर से संगठित होने की पूरी संभावना है। यह भी समझा जा रहा है कि दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद हिंसा की स्थिति में काफी गिरावट आई थी।
47. पुलिस अधीक्षक द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए प्रदर्शों के अवलोकन पर, संगठन के काडरों की विध्वंसक कार्यकलापों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: -

(क) जबरन वसूली: -

- I. दिनांक 05 जनवरी, 2015 को, सिलापाथर पुलिस ने मंटू दत्ता (21) पुत्र रतन दत्ता वासी गुटुंग गाँव, पीएस सिलापाथर को गिरफ्तार कर लिया जब वह किसी कौशिक दास वासी नटुन मिजिंग गाँव, ज़िला धेमाजी, पीएस सिलापाथर से एनडीएफबी उग्रवाद के नाम पर जबरन पैसा वसूली के लिए आया। उसे आईपीसी की धारा 387/34 के तहत मामला संख्या 7/2015 पीएस सिलापाथर में गिरफ्तार कर लिया गया। (प्रदर्श 145)
- II. दिनांक 17 अगस्त, 2015 को, पुलिस/सेना ने एनडीएफबी आत्मसमर्पण किए हुए मोनेश्वर बसुमतरी पुत्र बलराम बसुमतरी वासी होसंग गाँव और बना बसुमतरी पुत्र सांबा बसुमतरी वासी 1 बोरबोरी गाँव, (दोनों पीएस सिमोन चपोरी के अधीन) को गिरफ्तार कर लिया। जब वे कथित तौर पर मोहन बर्मन (व्यवसायी) वासी बदलपुर गाँव, (पीएस सिमोन चपोरी) से एनडीएफबी उग्रवाद के नाम पर जबरन पैसा वसूली के लिए आए थे। उन्हें आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 59/2015 पीएस सिमोन चपोरी में गिरफ्तार कर लिया गया। (प्रदर्श 146)
- III. दिनांक 02 नवम्बर, 2015 को, पुलिस ने सुबनसिरी पुल के समीप जाधव स्वर्गीयरी पुत्र थानेश्वर स्वर्गीयरी वासी नंबर 1 सोनपुर नलबाडी, पीएस गोगामुख को गिरफ्तार कर लिया जब वह एनडीएफबी उग्रवाद के नाम पर जबरन पैसा वसूली के लिए आया। उसे आईपीसी की धारा 384/506 के तहत मामला संख्या 210/15 पीएस गोगामुख में गिरफ्तार कर लिया गया। (प्रदर्श 147)

- IV. दिनांक 13 दिसम्बर, 2015 को, भुवनेश्वर गायरी वासी मायरझार , पीएस गोबरधना ने पीएस सलबाड़ी में एफआईआर दर्ज कराई कि उसी दिन (13 दिसम्बर, 2015) तकरीबन 1230 बजे, अज्ञात एनडीआरएफ़ उग्रवादियों ने फोन पर उस से पैसे मांगे। इस संबंध में विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम कि धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 विधि के तहत मामला संख्या 154/15 पीएस सलबाड़ी में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 71)
- V. दिनांक 13 जून , 2016 को, जिनतु दास वासी मूलनपुर , पीएस काकी ने पीएस काकी में इज़हार दर्ज कराया कि उसी दिन (13-06-16), अज्ञात एनडीआरएफ़ उग्रवादी एनडीएफ़बी के ओर से उसके घर के दरवाजे के सामने उक्त गांव के सभी गांव वासियों के लिए 4 (चार) लाख रुपए देने के लिए एक मांग पत्र छोड़ गए। इस संबंध में आईपीसी की धारा 384 के तहत मामला संख्या 79/16 पीएस काकी में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 152)
- VI. दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को तकरीबन 1000 बजे, कथित तौर पर एनडीएफ़बी (एस) के काडर दो अज्ञात बदमाश बुधराम बसुमतरी (22) वासी नंबर 2 बुगलामाड़ी (बरबाड़ी) अपने एक अज्ञात साथी के साथ मुरकुचियापारा (पीएस बरामा) में उस कालोनी के परचून दुकानदार डाढी बर्मन से पहले बताया अनुसार जबरन पैसा वसूली के लिए आए थे। उस समय कुछ स्थानीय लोगों ने बुधराम बसुमतरी को पकड़ कर उसे पीटा और घायल कर दिया। लेकिन उसका साथी भागने में सफल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और इलाज के लिए उसे बरामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया लेकिन उसने रास्ते में ही चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इस संबंध में आईपीसी की धारा 387/34 के तहत मामला संख्या 80/14 पीएस बरामा में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 43)
- VII. दिनांक 24 जनवरी, 2015 को, तकरीबन 1630 बजे, मेराबिल्ल गांव (पीएस रोवटा) के कुछ स्थानीय लोगों ने एनडीएफ़बी (एस) के काडर रोहित बसुमतरी पुत्र खगेन बसुमतरी वासी सरबाहेरुआ (पीएस रोवटा) को अपने गांव में पकड़ लिया जब वह वहां किसी रुद्रमय लिम्बू (मेराबिल्ल का वीसीडीसी अध्यक्ष) से पहले मांगे गए पैसों की जबरन वसूली के लिए आया। बाद में उसे रोवटा पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह आईपीसी की धारा 385/506 के तहत मामला संख्या 10/2015 पीएस ओरांग से संबन्धित है। (प्रदर्श 5)
- VIII. दिनांक 25 जनवरी, 2015 को, तकरीबन 1300 बजे, पुलिस/एसएसबी (54 वाहिनी) कर्मियों ने एनडीएफ़बी लिंकमैन नामतः थानेश्वर बसुमतरी (36) पुत्र बामुन बसुमतरी वासी अमलयगुडी(पीएस बिजनी, ज़िला चिरांग) को गिरफ्तार कर लिया जब वह श्रीमती अणिमा बोडो पत्नी फूडलेन बोडो वासी ऑक्सीगुडी, पीएस गोबरधना, ज़िला बक्सा के घर पैसा वसूली के लिए आया। इस संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम कि धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387/324/34 के तहत मामला संख्या 15/2015 पीएस गोबरधना में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 57)
- IX. दिनांक 1 सितम्बर, 2015 को, तकरीबन 1930 बजे, पुलिस ने किसी अशोक बसुमतरी (22) पुत्र बेंगा बसुमतरी वासी नातून बाशबेड़ी (पीएस कोकराझार) को गिरफ्तार कर लिया जब वह किसी सहजुद्दीन पुत्र बहरुद्दीन प्रामाणिक वासी सिलपोट (पीएस बसुगाँव) से एनडीएफ़बी उग्रवाद के नाम पर मांगा पैसा वसूली के लिए आया। बाद में उसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 125/15 पीएस बसुगाँव में गिरफ्तार किया गया। (प्रदर्श 163)
- X. दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को, कनक दास पुत्र प्रसन्ना दास वासी डीमलपार , पीएस तामूलपुर ने पीएस तामूलपुर में इज़हार दर्ज कराया कि 18 नवम्बर, 2015 को तकरीबन 1840 बजे उसे किसी बी. सीमांग (एनडीएफ़बी-एस का एसएस एरिया कमांडर) से फोन आया जिसने उससे 22 नवम्बर तक पैसे मांगे अन्यथा उसे मार देने की धमकी दी। इस संबंध में विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387/507 के तहत मामला संख्या 295/15 पीएस तामूलपुर में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 53)
- XI. दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को, कोकराझार पुलिस ने एनडीएफ़बी (एस) लिंक मैन हरिमु बसुमतरी (19) पुत्र श्री चरण बसुमतरी वासी बाशबेड़ी (पीएस कोकराझार) को गिरफ्तार कर लिया जब वह बलीजन टिनियाली (पीएस कोकराझार) में किसी परचून दुकानदार से एनडीएफ़बी (एस) के नाम पर

मांग पत्र देने के लिए आया था। पुलिस ने उसके पास से 1 (एक) जबरन वसूली नोट और एक मोबाइल फोन बरामद किया। इस संबंध में आईपीसी की धारा 387/511 के तहत मामला संख्या 916/2015 पीएस कोकराझार में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 288)

- XII. दिनांक 19 मार्च, 2016 को, दिगंता लवारी पुत्र जोगेश लवारी वासी नंबर 1 चपगुडी, पीएस डालीगाँव ने पीएस डालीगाँव में इज़हार दर्ज कराया कि अज्ञात एनडीएफ़बी (एस) काडरों ने फोन पर उस से 1 लाख रुपए मांगे। इस संबंध में आईपीसी की धारा 387/507 के तहत मामला संख्या 46/16 पीएस डालीगाँव में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 164)
- XIII. दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को, भास्कर ज्योति मनता, प्रभारी डीआरडीए निदेशालय, उदलगुडी ने पीएस उदलगुडी में एफ़आईआर दर्ज कराई कि दिनांक 21 अप्रैल, 2016 को तकरीबन 1035 बजे, उसे किसी अज्ञात कॉलर का फोन आया जिसने अपने आप को एनडीएफ़बी (एस) का काडर बताया और उस से पैसे मांगे। यह मामला विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 107/2016 पीएस उदलगुडी से संबन्धित है।
- XIV. दिनांक 2 मई, 2016 को, भरत रामचीआरी वासी मूर्खचियापाड़ा पीएस बरामा ने पीएस बरामा में इज़हार दर्ज कराई कि दो महीने पहले उसे किसी अज्ञात कॉलर का फोन आया जिसने अपने आप को एनडीएफ़बी (एस) का काडर बताया और उस से 1 लाख रुपए मांगे। दिनांक 19 मार्च, 2016 तथा 1 मई, 2016 को फिर से पैसे देने के लिए वही फोन आया अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह मामला आईपीसी की धारा 387/31 के तहत मामला संख्या 70/2016 पीएस बरामा से संबन्धित है। (प्रदर्श 47)
- XV. दिनांक 28 मई, 2016 को, शैलेंद्र नाथ डेका ने पीएस बरामा में इज़हार दर्ज कराई कि दिनांक 2 मई, 2016 को तकरीबन 1220 बजे उसे किसी अज्ञात कॉलर का फोन आया जिसने एनडीएफ़बी (एस) के नाम पर 8 लाख रुपए मांगे। इस संबंध में एक मामला आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 83/16 पीएस बरामा में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 49)
- XVI. दिनांक 2 जून, 2016 को, साबी लाल छेत्री वासी नंबर 2 भेटा गाँव (पीएस बिजनी) ने पीएस बिजनी में इज़हार दर्ज कराई कि 18 मई, 2016 को उसे किसी अज्ञात कॉलर का फोन आया जिसने अपने आप को एनडीएफ़बी (एस) का काडर बताया और उस से एनडीएफ़बी (एस) के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे। इस संबंध में एक मामला आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 80/16 पीएस गोरेश्वर में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 65)
- XVII. दिनांक 20 अगस्त, 2016 को, सुदेम ब्रह्मा वासी छेत्रीगाँव (पीएस गोरेश्वर) ने पीएस गोरेश्वर में इज़हार दर्ज कराई कि 18 अगस्त, 2016 को उसे किसी अज्ञात कॉलर का फोन आया जिसने अपने आप को एनडीएफ़बी (एस) का काडर बताया और उस से एनडीएफ़बी (एस) के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे। इस संबंध में एक मामला आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 80/16 पीएस गोरेश्वर में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 65)
- XVIII. दिनांक 01 अक्तूबर, 2016 को तकरीबन 1205 बजे, भास्कर मजूमदार वासी कोदम ताल (पीएस बरामा) ने पीएस बरामा में इज़हार दर्ज कराई कि 22 सितम्बर को उसे किसी अज्ञात कॉलर का फोन आया जिसने एनडीएफ़बी (एस) के नाम पर उससे पैसे मांगे। इस संबंध में एक मामला आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 137/16 पीएस बरामा में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 45)
- XIX. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 को, तकरीबन 1630 बजे, पुलिस ने एनडीएफ़बी (एस) के लिंकमैन नामतः सत्यजीत बसुमतरी (24) पुत्र प्रदीप बसुमतरी वासी सिलवाजी (पीएस गोसाईगाँव) को वार्ड नंबर 4, गोसाईगाँव शहर, पीएस गोसाईगाँव से गिरफ्तार कर लिया जब वह किसी मंदरा नरजरी वासी वह वार्ड नंबर 4, गोसाईगाँव शहर, पीएस गोसाईगाँव से पहले मांगा गया पैसा वसूली के लिए आया। पुलिस ने उसके पास से 50,000/- रुपए बरामद किए। इस संबंध में आईपीसी की धारा 387/508 के तहत मामला संख्या 550/16 पीएस गोसाईगाँव में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 319)
- XX. दिनांक 25 अक्तूबर, 2016 को, तकरीबन 1145 बजे, पुलिस/सीआरपीएफ़ तथा सेना ने आम जनता की सहायता से बकुलगडी से एनडीएफ़बी (एस) के 2 (दो) काडर नामतः रतन बोडो (22) पुत्र खेगन

- बोडो वासी वामुनझार (पीएस गोरेश्वर) और बिमल राजबोंगशी (20) पुत्र नगेन राजबोंगशी वासी मारेगौव (पीएस सीपाझार, ज़िला दरंग) को गिरफ्तार कर लिया जब वे दिलीप देब नाथ से पहले मांगे गए पैसे वसूली के लिए आए थे। इस संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 448/326/307 के तहत मामला संख्या 99/16 पीएस गोरेश्वर में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 63)
- XXI. दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को, बीजू दास वासी निकाशी पीएस मुशलपुर ने पीएस मुशलपुर में इज़हार दर्ज कराई कि दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को तकरीबन 0724 बजे उसे किसी अज्ञात एनडीएफबी (एस) काडर का फोन आया जिसने शिकायतकर्ता से फोन पर पैसे मांगे। इस संबंध में एक मामला आईपीसी की धारा 387/506 के तहत मामला संख्या 162/16 पीएस मुशलपुर में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 67)
- XXII. दिनांक 8 मार्च, 2017 को, पंकज बर्मन वासी डाइलॉगझार (पीएस पनबारी) ने पीएस पनबारी में इज़हार दर्ज कराई कि उसे किसी अज्ञात कॉलर का फोन आया जिसने अपने आप को एनडीएफबी (एस) का काडर बताया और उसने 3 लाख रुपए मांगे। इस संबंध में एक मामला आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 19/17 पीएस पनबारी में दर्ज किया गया तथा पुलिस ने इस मामले के संबंध में एनडीएफबी (एस) के 2 (दो) लिंकमैन नामतः हरेन मण्डल (42) पुत्र सुनील मण्डल वासी गुवाबारी तथा काजल रे (40) पुत्र जतिन रे वासी पब चन्दनपुर (दोनों पीएस तामूलपुर, ज़िला बक्सा) को गिरफ्तार कर लिया। (प्रदर्श 166)
- XXIII. दिनांक 12 जून, 2017 को तकरीबन 1300 बजे, कमल कान्त नरजरी(अध्यक्ष वीसीडीसी, हाकूया सेरफ्रंग) पुत्र हेमों राम नरजरी वासी नंबर 2, काशीबाड़ी (पीएस पनबारी) ने पीएस पनबारी में एफआईआर दर्ज कराई कि एक एनडीएफबी (एस) काडर सुनी राम दाइमरी पुत्र लेबन दाइमरी वासी बंगद्वगुडी (पीएस गोबरधना, ज़िला बक्सा) 4 (चार) माह पहले उसके घर आया था और उसने एनडीएफबी (एस) संगठन के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। तब से वह लगातार फोन पर उससे पैसे मांग रहा है और वह उसे मना कर रहा है। लेकिन 11 जून, 2017 को तकरीबन 2020 बजे उक्त एनडीएफबी (एस) काडर एक अन्य साथी नामतः गोबला बोडो पुत्र रुपेश्वर बोडो वासी नंबर 5 कहितेमा (पीएस गोबरधना, ज़िला बक्सा) के साथ स्वयं शिकायतकर्ता के घर एके-47 राइफल के साथ आ धमका और बंदूक की नोक पर 1,30,000/- रुपए मांगे। ऐसे में शोर मच गया और शोर सुन कर स्थानीय लोग उसके घर के तरफ दौड़े। यह देख कर, एनडीएफबी (एस) काडर उसे गंभीर परिणाम की धमकी दे कर भाग खड़े हुए। इस संबंध में एक मामला विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 43/17 पीएस पनबारी में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 167)
- XXIV. दिनांक 22 जून, 2017 को तकरीबन 1600 बजे, खगराबाड़ी (पीएस विश्व नाथ चारियाली) के स्थानीय लोगो ने एक एनडीएफबी के संदिग्ध लिंकमैन नामतः केलटेंग बसुमतरी (31) पुत्र स्व पितर बसुमतरी वासी बिनयपुर (पीएस विश्व नाथ चारियाली) को खगराबाड़ी में पकड़ लिया। उक्त एनडीएफबी लिंकमैन अपने 5 (पाँच) साथियों के साथ गांव वासियों से पहले मांगे गए पैसे इकट्ठा करने आया था। तदुपरान्त, उसे आईपीसी की धारा 420/406/387/506/34 के तहत मामला संख्या 164/17 में पीएस विश्व नाथ चारियाली के हवाले कर दिया गया। (प्रदर्श 200)
- XXV. दिनांक 10 जनवरी, 2018 को एक एन. बसुमतरी (ज़िला खेल अधिकारी) ने पीएस मुशलपुर में इज़हार दर्ज करवाई कि कोई अज्ञात कॉलर जो अपने आप को एनडीएफबी (एस) का काडर बताता है गत 10 (दस) दिनों से पैसे मांग रहा है। इस संबंध में एक मामला विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 06/18 पीएस मुशलपुर में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 69)
- XXVI. दिनांक 08 जुलाई, 2018 को एक मनोरंजन कर्माकर, प्रबंधक, एसबीआई शाखा दररंगमेला (पीएस तमूलपुर) ने पीएस तमूलपुर में इज़हार दर्ज कराई कि दिनांक 06 जुलाई, 2018 को तकरीबन 1845 बजे उसे किसी अज्ञात कॉलर का फोन आया जिसने एनडीएफबी (एस) के नाम पर 1,00,000/- रुपए

मांगे। इस संबंध में एक मामला आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 245/2018 पीएस तमूलपुर में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 51)

- XXVII. दिनांक 18 जुलाई, 2018 को, पुलिस/सेना (14वीं गढ़वाल राइफल्स) ने एक एनडीएफबी (एस) के संदिग्ध लिंकमैन नामतः सिकोन दाइमरी (45) पुत्र स्व दलोई दाइमरी वासी मिलाएपुर (पीएस मजबत) को अशराबाड़ी (पीएस मजबत) में पकड़ लिया। उसे विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387/507 के तहत मामला संख्या 34/18 पीएस मजबत के संबंध में गिरफ्तार किया गया। उसने कथित तौर पर एक निलेश्वर बसुमतरी वासी हुप गुडी (पीएस ओरंग) से एनडीएफबी(एस) के नाम पर पैसे मांगे थे। (प्रदर्श 15)
- XXVIII. दिनांक 22 मार्च, 2015 को लगभग 2130 बजे, एक निजेन मेधी, वासी बोगिजुली, पीएस चारिदुअर ने सोनितपुर जिले के पीएस चारिदुआर में एक इजहार दर्ज कि। उसी दिन (22.03.15) को, लगभग 0700 बजे, आत्मसमर्पण किए हुए एक एनडीएफबी (आरडी) नामतः दिव्यज्योति दायमरी पुत्र हेमंत दायमरी ने उन्हें पैसे न देने के लिए हमला किया, जो पहले मांगे गए थे। कथित तौर पर, उक्त दिव्यज्योति दायमरी ने नंबर 4 कथलजुली के एक कार्तिक बासुमतारी, पीएस चारिदुअर से भी पैसे की मांग की। इस सिलसिले में चारिदुअर पीएस में दो मामले आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 43/15 तथा आईपीसी की धारा 384 के तहत मामला संख्या 44/15 दर्ज किए गए थे। (प्रदर्श 228)
- XXIX. 12 मई, 2015 को लगभग 1110 बजे, पुलिस/बीएसएफ (सी-कोय 452 तदर्थ वाहिनी) ने पंच नोई ठेराईबाड़ी क्षेत्र के स्थानीय लोगों की मदद से 2 (दो) एनडीएफबी (आर) काडर नामतः शंकर बसुमतरी उर्फ संजीत (26) पुत्र लॉराराम बसुमतारी वासी खिरोरानी केरकेरा, पीएस तामुलपुर, जिला बक्सा और अनिल बसुमतरी उर्फ बी. संगरी (35) पुत्र स्वर्गीय मोहन बासुमतारी वासी डोबजुली पीएस ठेकियाजुली, को उक्त क्षेत्र से, जबकि वे जबरन धन इकट्ठा करने आए थे, को गिरफ्तार किया। सुरक्षा कर्मियों ने उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई एक पल्सर बाइक (एस -27/4296) जब्त की। इस संबंध में ठेकियाजुली पीएस में आईपीसी की धारा 120 (बी)/323/387/34 के तहत मामला संख्या 267/15 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 236)
- XXX. दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को, बडाल (रंगिया पीएस) के स्थानीय लोगों ने 2 (दो) एनडीएफबी (आरडी) काडर अर्थात् लानी ब्रह्मा उर्फ बी लुखवमवर पुत्र गबनेय ब्रह्मा वासी नं. 2 सिंगिमरी (पीएस गोसईगांव, जिला कोकराझार) और गेरमेसा बासुमतरी उर्फ बी. गुबंग पुत्र बनिकांता बासुमतरी (पीएस रंगापारा, जिला सोनितपुर), को पकड़ लिया जब वे एक सड़क निर्माण ठेकेदार से पैसे की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर, पुलिस पीओ के पास पहुंची और दोनों एनडीएफबी (आरडी) काडरों को पकड़ लिया। इस संबंध में पीएस रंगिया में आईपीसी की धारा 387/34 के तहत मामला संख्या 653/18 दर्ज किया गया है।
- XXXI. दिनांक 31 जुलाई, 2019 को, लगभग 2100 बजे, अत्याधुनिक हथियार से लैस तीन संदिग्ध एनडीएफबी (एस) काडर, सिदबारी अमटेका बाजार के एक छोटे व्यवसायी सुदर्शन सरकार के घर पर (चिरांग जिले के पीएस अमगुरी) आए और उक्त सुदर्शन सरकार से 15 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने हवा में 1 (एक) गोली भी चलाई और कहा कि वे उक्त पैसा लेने के लिए फिर से संपर्क करेंगे। इस संबंध में पीएस अमगुरी में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए)/27 (2) के साथ पठित आईपीसी की धारा 447/387/325 के तहत मामला संख्या 38/19 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 168)
- XXXII. दिनांक 11 नवंबर, 2019 को लगभग 1000 बजे, एक पार्थ सारथी रॉय (47), वासी उदय पथ, हरिगांव (पीएस तेजपुर) ने सोनितपुर जिले के चारिदुआर पीएस में एक एफआईआर दर्ज कराई कि कुछ अज्ञात व्यक्ति, जो खुद की पहचान एनडीएफबी (एस) काडर के रूप में कर रहे हैं, ने उससे टेलीफोन पर 1 लाख रुपये की राशि की मांग की और ऐसा न करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस संबंध में पीएस चारिदुअर में आईपीसी की धारा 387/506 के तहत मामला संख्या 299/2019 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 168)
- XXXIII. दिनांक 13 नवंबर, 2019 को लगभग 1620 बजे, नयन बर्मन पुत्र रमेश च बर्मन वासी सिमलबारी (पनबारी पीएस) से जबरन पैसा वसूलने के लिए संदिग्ध एनडीएफबी (एस) काडर की हलचल के बारे में एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पनबारी गांव में तलाशी ली और चपलाकुची (पीएस/जिला-

नालबाड़ी) के संतोष ब्रह्मा (25) पुत्र बासुदेव ब्रह्मा को पकड़ लिया। इस संबंध में पीएस बारबरी में आईपीसी की धारा 387 के तहत मामला संख्या 93/2019 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 55)

XXXIV. दिनांक 17 नवंबर, 2019 को, लगभग 21.30 बजे, उत्तर बारटारी गाँव (सालबारी पीएस) के स्थानीय लोगों ने दो बदमाशों को पकड़ लिया, जिनका नाम मृदुल रामचियारी (22) और अलोगबार मुचाहारी (14) दोनों लेस्सरा (सलबारी पीएस) के दिलीप रामचियारी के पुत्र थे। उन्होंने कहा कि वे उत्तर बारटारी गाँव में उत्तर बारटारी गाँव के एक धूबा पुत्र स्वर्गीय ब्रजेन नाथ को एनडीएफबी(एस) के नाम से जबरन धन वसूली संबंधी पत्र देने के लिए गए और उन्हें पीएस सालबारी को सौंप दिया गया। उनके रहस्योद्घाटन पर, पुलिस ने उक्त घटना में शामिल अन्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें उत्तर बारटारी गाँव के रंजन कलिता (14), लसेरा के कपिल देव बासुमतरी (25) और पुथमरी (पटचक्रुची पीएस, बारपेटा जिला) के पाटगिरी (30) शामिल थे। इस संबंध में विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/387/506/34 के तहत मामला संख्या 132/2019 पीएस सालबारी में गिरफ्तार किया गया। (प्रदर्श 55)

(ख) मुठभेड़:

- I. दिनांक 5 नवंबर, 2014 को लगभग 0830 बजे, बोंगोन (गोसाईगाँव पीएस) में पुलिस/सेना (2 राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी(एस)काडरों के बीच एक मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक एनडीएफबी(एस)काडर नामतः फिलिप वेरी उर्फ फावथाइ उर्फ पाइला बासुमतरी (26) (एस/एस प्लाटून कमांडर ऑफ बोंगोन) पुत्र लालबरोई वेरी वासी नं. 1 लतामरी (कचौगाँव पीएस) को गोली लगी। उसे इलाज के लिए आरएनबी सिविल अस्पताल, गोसाईगाँव ले जाया गया जहाँ उसने दम तोड़ दिया। उद्धोषित अपराधी से एक (1) 9 एमएम पिस्टल, 1 (एक) 7'65 एमएम पिस्टल, 3 (तीन) जिंदा कारतूस और 2 (दो) ग्रेनेड, 9 (नौ) खाली खोल, 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए। इस संबंध में आयुध अधिनियम की धारा 25 (I- ख)(क)/27, ईएस अधिनियम की धारा 5 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/353/307 के तहत मामला संख्या 379/14 पीएस गोसाईगाँव में मामला दर्ज किया गया। (प्रदर्श 322)
- II. दिनांक 20 दिसंबर 2014 को, लगभग 1030 बजे, सोनितपुर जिले के मिसामारी पीएस के तहत खार्की केंद्र के पास पुलिस/सेना (12 और 36 असम राइफल्स) और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, 2 (दो) एनडीएफबी (एस) के गोली लगने से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एनडीएफबी (एस) काडर में से एक को इलाज के लिए मिसामारी पीएस में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए कनकलाटा सिविल अस्पताल, तेजपुर में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपस्थित चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बेंगेंजौली पीएस मिसामारी के रायरैना नारजारी (27) पुत्र बिशेश्वर नरजारी के रूप में की गई। एक अन्य घायल काडर को इलाज के लिए तेजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे जीएमसीएच रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने जीएमसीएच ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। उनकी पहचान नयनमोनी मेधी (19) पुत्र स्वर्गीय महेश्वर मेधी वासी गंगा तेनकी, पीएस मिसमरी के रूप में हुई। सुरक्षा बल कर्मियों ने उद्धोषित अपराधी से 2 जिंदा कारतूसों के साथ 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्तौल और 1 खाली कारतूस बरामद किया। इस संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 27 (I- ख)/27(2) के साथ पठित आईपीसी की धारा 121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 130/14 पीएस मिसामारी में मामला दर्ज किया गया। (प्रदर्श 229)
- III. दिनांक 21 दिसंबर, 2014 को लगभग 0730 बजे, चिरांग-कोकराझार सीमा पर चिरांग रिजर्व फ़ॉरेस्ट के अंदर पुलिस/सेना और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप, 2 (दो) एनडीएफबी (एस) काडर नामतः रानू नारजारी उर्फ एन. रायखंग (30) पुत्र दवारन नारजारी वासी भानू नगर, पीएस अमगुरी और रंजु बासुमतरी उर्फ कांथल उर्फ बी. ऋगिरिंग (27) पुत्र दिवंगत सोमेश्वर बासुमतारी, वासी नलबारी, पीएस सिदली की मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा बलों द्वारा एनडीएफबी (एस) काडरों द्वारा बंदी बनाए गए दरभंगा गाँव (बिहार) के एक सुशील देव (38) पुत्र ब्रजनानंद देव, वर्तमान पता बोंगई गाँव पीएस बोंगई गाँव जिला के तहत सलबारी को उद्धोषित अपराधी से उसके पैर

में गोली लगने के बाद बरामद किया गया। उद्धोषित अपराधी से 3 (तीन) मैगजीन के साथ एक एके -56 राइफल, 2 (दो) मैगजीन के साथ 1 (एक) आईएनएसएस राइफल, 1 (एक) 7.62 एमएम पिस्तौल 3 (तीन) मैगजीन के साथ, 1 (एक) 9 एमएम पिस्तौल 2 (दो) के साथ मैगजीन, 3 (तीन) हथगोले, 7 (सात) डेटोनेटर, फ्यूज वायर के 46 टुकड़े, 11 (ग्यारह) मोबाइल हैंडसेट, 552 अससोरटेड गोला-बारूद की गोलियां और कुछ एनडीएफबी(एस) संबंधित गुप्त दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इलाज के लिए सुशील देव को अस्पताल ले जाया गया। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/35/27(2) साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/123/353/307 के तहत मामला संख्या 86/2014 पीएस रनिखाटा से संबंधित है। (प्रदर्श 169)

- IV. दिनांक 5 जनवरी, 2015 को लगभग 1800 बजे, गोलाघाट जिले के बोगीजन पीएस के तहत वन क्षेत्र की सीमावर्ती गोलाघाट और कार्बी-एंगलॉग जिलों में पुलिस और संदिग्ध एनडीएफबी (एस) के कांडरों के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप, एक अज्ञात आतंकवादी की मौके पर ही मौत हो गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने मैगजीन के साथ 1 (एक) 9 एमएम पिस्टल बरामद की, 9 एमएम का 1 (एक) जिंदा कारतूस, 7.62 एमएम के 5 जिंदा कारतूस, 2 (दो) हथगोले और 11 गोलियों के खाली खोल बरामद किए गए। इस संबंध में आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क) के साथ पठित पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/387 के तहत मामला संख्या 2/15 पीएस बोगीजन में मामला दर्ज किया गया। आगे जानकारी मिली है कि मृतक आतंकवादी की पहचान विरुद्ध बसुमतारी (32) पुत्र स्वर्गीय धीरन बसुमतारी वासी गणेश तंगला, पीएस गोहपुर, सोनितपुर के रूप में हुई। (प्रदर्श 88)
- V. दिनांक 10 जनवरी, 2015 को लगभग 1300 बजे, पुलिस और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच सेराफंगुरी पीएस के तहत खौसी बाजार से महज 5 किलोमीटर दूर एक जंगल के अंदर मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप, कोकराझार इकाई के एक कट्टर एनडीएफबी (एस) कांडर नामतः जबलंग (25) एस / एस प्लाटून कमांडर की मृत्यु हो गई। कथित तौर पर पिछले साल हुए आदिवासियों और हिंदी भाषी लोगों के नरसंहार के पीछे उसका हाथ था। पुलिस ने उसके कब्जे से एके -56 राइफल 22 कारतूस और पांच लाख नकदी बरामद की। इस संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307 के तहत मामला संख्या 11/15 पीएस सेराफंगुरी में दर्ज किया गया।
- VI. दिनांक 28 जनवरी, 2015 को लगभग 2115 बजे, रिपु वन क्षेत्र (कछुगांव पीएस) में पुलिस और एनडीएफबी (एस) के चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप एक एनडीएफबी (एस) उग्रवादी नामतः एस/एस सार्जेंट प्रमुख जौरनेलुईस नरजरी उर्फ जंगकला (25) की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मैगजीन के साथ 1 (एक) 7.62 मिमी पिस्टल और जिंदा गोला बारूद के 4 (चार) राउंड, 2 (दो) खाली खोल और 2 (दो) हथगोले बरामद किए। कथित तौर पर, वह सरभंगा क्षेत्र (सेराफंगुरी पीएस) से इको टास्क फोर्स टेरिटरियल आर्मी से हथियार छीनने और चिरांग जिले में एक प्रिया बासुमतारी की हत्या के मामलों में शामिल था। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 21/2015 पीएस कछुगांव से संबंधित है। (प्रदर्श 374)
- VII. दिनांक 9 फरवरी, 2015 को 2040 बजे, टिपकई रिजर्व वन के तहत फुलकुमारी (गोसाईगांव पी एस) में एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों को पनाह के बारे में गुप्त सूचना के बाद जब पुलिस/सेना (2 जाट रेजिमेंट) उक्त वन क्षेत्र में तलाशी अभियान कर रही थी तो सुरक्षा बलों और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, सिंगीमारी (गोसाईगांव पीएस) के एक एनडीएफबी (एस) के उग्रवादी नामतः ओरिस्वर नारजरी उर्फ ऑर्गा (24) पुत्र नोजॉय नारजरी की मौके पर मृत्यु हो गई। सुरक्षाबल कर्मियों ने उद्धोषित अपराधी से 2 (दो) मैगजीन और 9 (नौ) राउंड जिंदा गोला बारूद, 5 (पांच) खाली खोल, 1 (एक) ग्रेनेड, 10 (दस) डेटोनेटर, 1 के साथ 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्तौल बरामद किया। एक) एके -47 राइफल की मैगजीन 5 (पांच) राउंड के साथ एके सीरीज जिंदा गोला

बारूद बरामद किया। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)(क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/12/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 59/2015 पीएस गोसाईगांव से संबंधित है।

- VIII. दिनांक 31 मार्च, 2015 को लगभग 2200 बजे, विश्वनाथ चारीवाल पुलिस डिस्ट्रिक्ट के विश्वनाथ चाराली पीएस के तहत लखीपुर गांव में पुलिस/सेना (12 वीं असम राइफल्स) और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक एसएस सैक्टर एनडीएफबी (एस) कमांडर नामतः रतन नारज़री उर्फ बी. रंगसुला (31) पुत्र टिक्किनी नारज़री वासी पसोगली, लखीपुर (विश्वनाथ चाराली पीएस) और एक एनडीएफबी (एस) तीसरी बटालियन का एसएस डिप्टी कमांडर नामतः बी. सोहार्डसुला उर्फ सनातन बसुमतरी (35) पुत्र सेमल बसुमतरी वासी जिला पश्चिम बाताबडी, बामूंगगाँव, पीएस सिदली, जिला चिरांग को गोलियां लगीं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए बिस्वनाथ चाराली सिविल अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन उपस्थित चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा बलों ने उद्धोषित अपराधी से 5 जिंदा कारतूसों के साथ 1 (एक) एके -47 राइफल, 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्तौल के साथ 3 जिंदा कारतूस, 2 (दो) हथगोले और एके -47 राइफल के 10 खाली खोल बरामद किए। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121/121(क)/122/307 के तहत मामला संख्या 92/2015 पीएस बिस्वनाथ चाराली से संबंधित है। (प्रदर्श 204)
- IX. दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को लगभग 1430 बजे, मजबत पीएस, उदालगुरी जिले के तहत असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के साथ नंबर 4 सुदेमजुली में पगला नदी के तट पर पुलिस/सीआरपीएफ (210 कोबरा बीएन) और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक कट्टर एनडीएफबी (एस) उग्रवादी, जिस्केल डूमरी उर्फ जुलुंगा (30) पुत्र वीरशती डूमरी वासी गाँव सिमिलगुरी, पीएस रोवता की मौके पर ही मौत हो गई। तलाशी के दौरान, सर्च पार्टी ने उद्धोषित अपराधी से 1 (एक) 32 फैक्ट्री निर्मित पिस्टल के साथ मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और 3 खाली कारतूस बरामद किए। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121/353/307/34 के तहत मामला संख्या 23 /2015 पीएस मजबत से संबंधित है। (प्रदर्श 17)
- X. दिनांक 19 अप्रैल, 2015 को लगभग 2115 बजे, सोनपुर के चारिदुआर पीएस के तहत असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर लखेश्वर में पुलिस/सेना (36 असम राइफल) और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक एनडीएफबी (एस) काडर उर्फ ई लियोन डोइमरी उर्फ डी. एंगेलांग (28) पुत्र बीजू डोइमरी वासी बोगडीगडी (पीएस मजबत, जिला उदलगुरी) को गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। खोज के दौरान सुरक्षा बलों को उद्धोषित अपराधी से 4 जिंदा कारतूसों के साथ 1 (एक) पिस्टल 1 (एक) मैगजीन, 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट के साथ 7 सिम कार्ड, नकद 2,520 / -रुपये और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया। इस सिलसिले में चारिदुर पीएस में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121/121 (क)/353/307/34 के तहत मामला संख्या 59/15 दर्ज किया गया। (प्रदर्श 234)
- XI. दिनांक 20 अप्रैल, 2015 को लगभग 2010 बजे, जबकि पुलिस/सीआरपीएफ (कोबरा बटालियन) की एक संयुक्त टीम कोकराझार जिले के कछुगांव पीएस के तहत पेप्सु रिजर्व वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही थी तो सुरक्षा बलों और एनडीएफबी (एस) के बीच एक मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एनडीएफबी (एस) के एक उग्रवादी कमांडर नामतः प्राणेश्वर नारज़री उर्फ डोकुमवी (23) पुत्र चिबेन नारज़री, वासी बल्लमझोरा पीएस गोसाईगाँव को गोली लगी और उसे इलाज के लिए कछुगांव पीएस में स्थानांतरित कर दिया गया लेकिन उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा बलों ने मैगजीन के साथ 1 (एक) 7'65 एमएम पिस्तौल और 3 (तीन) जिंदा कारतूस बरामद किए। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के

साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 42/2015 पीएस कछुगांव से संबंधित है। (प्रदर्श 376)

- XII. दिनांक 7 मई, 2015 को लगभग 1930 बजे, पुलिस/सीआरपीएफ़ (कोबरा बटालियन)/एसएसबी (16 बटालियन)/सेना (दूसरी राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) काडरों की एक संयुक्त टीम के बीच कोकराझार ज़िले के कोकराझार पीएस के अंतर्गत उल्टापानी वन क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक अज्ञात एनडीएफबी (एस) काडर की मौके पर ही मौत हो गई और सुरक्षा बलों ने उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस, 3 (तीन) ग्रेनेड और 2 खाली कारतूस बरामद किए। सुरक्षा बलों ने उक्त जंगल में एक एनडीएफबी (एस) शिविर को भी ध्वस्त कर दिया। आगे जानकारी मिली है कि, मारे गए उग्रवादी की पहचान लबनापुर (कोकराझार पीएस) के बुश ब्रह्म उर्फ बुशम (28) पुत्र स्वर्गीय राहिन ब्रह्मा के रूप में की गई। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 467/2015 पीएस कोकराझार से संबंधित है। (प्रदर्श 282)
- XIII. 31 मई, 2015 को लगभग 0515 बजे, जबकि पुलिस/सीआरपीएफ़ (210 वें कोबरा बटालियन) ने कोकराझार जिले के गोसाईगांव पीएस के तहत रिपु रिजर्व वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, सुरक्षा बलों और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, रूपनाथपुर के 1 (एक) एनडीएफबी (एस) के उग्रवादी, दादा बसुमतरी उर्फ ख्वामथा उर्फ लादार (28) पुत्र सिबेन बसुमतरी, पीएस कचुगारा की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य घने जंगल की आड़ में भागने में सफल हो गए। खोज के दौरान सुरक्षा बलों ने उद्घोषित अपराधी से मैगज़ीन के साथ 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस, 2 (दो) ग्रेनेड, 3 (तीन) 7.65 एमएम खाली कारतूस और 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट बरामद किया। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-ख)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 467/2015 पीएस गोसाईगांव से संबंधित है। (प्रदर्श 325)
- XIV. दिनांक 10 जून, 2015 को लगभग 0430 बजे, कोकराझार जिले के काजीगांव पीएस के तहत पथराडुबी पॉइंट-1 में पुलिस/सेना (7वीं जाट रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक एनडीएफबी (एस) काडर नामतः परजीत ब्रह्मा उर्फ बी. लॉडर, पुत्र गोविंदा ब्रह्मा, वासी गोरोलमारी, पीएस बोगरीबारी, जिला कोकराझार की मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने उद्घोषित अपराधी से मैगज़ीन के साथ 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस, 2 ग्रेनेड और 6 खाली कारतूस बरामद किए। इस संबंध में आईपीसी की धारा 365 के तहत मामला संख्या 253/14 बिजनी पीएस दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 170)
- XV. चुंगजन पीएस के तहत दुर्गापुर इलाके में एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों की हलचल के बारे में एक गुप्त सूचना के बाद, लगभग 1200 बजे, 22 जून, 2015 को, जब पुलिस/सीआरपीएफ़ (कोबरा बटालियन) की एक संयुक्त टीम वहां तलाशी अभियान चला रही थी तो सर्च पार्टी और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से किसी के हताहत/घायल होने की सूचना नहीं है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) 9 एमएम पिस्टल बरामद की। आगे की जानकारी मिली कि सुरक्षा बलों के जवानों ने उद्घोषित अपराधी से 9 एमएम के 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इस सिलसिले में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/307/34 के तहत मामला संख्या 13/15 चारिदुर पीएस में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 84)
- XVI. दिनांक 01 जुलाई, 2015 को लगभग 0540 बजे, रिपु रिजर्व फॉरेस्ट (गोसाईगाँव पीएस) में पुलिस/सीआरपीएफ़ (210 कोबरा बटालियन) और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच एक मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप मोकरापारा (कोकराझार पीएस) के एक एनडीएफबी (एस) काडर नामतः ख्वामथा गोयरी (27) पुत्र धर्मेन्द्र गोयारी की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने उसके कब्जे से 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्टल, 4 (चार) जिंदा कारतूस, 2 (दो) खाली कारतूस, 2 (दो) ग्रेनेड और 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट

बरामद किया। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-ख)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 307/15 पीएस गोसाईगांव से संबंधित है। (प्रदर्श 328)

- XVII. दिनांक 17 जुलाई, 2015 को लगभग 1700 बजे, कोकराझार जिले के गोसाईगांव पीएस के तहत बोरगांव में पुलिस और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक एनडीएफबी (एस) काडर नामतः जूनू ब्रह्मा उर्फ बी. सिजौ (14 वें बटालियन का एसएस डिप्टी कमांडर) पुत्र रंजीत ब्रह्मा वासी बोरो बेलगुरी पीएस बागबरी की मौके पर ही मौत हो गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) मैगजीन के साथ 1 (एक) 9 एमएम पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 2 (दो) ग्रेनेड और 3 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-ख)(क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 337/15 पीएस गोसाईगांव से संबंधित है। (प्रदर्श 330)
- XVIII. दिनांक 21 जुलाई, 2015 को लगभग 0345 बजे, पुलिस/सीआरपीएफ (कोबरा 210 बटालियन) और एनडीबीएफ (एस) काडरों के बीच चिरांग जिले के अमगुरी पीएस के तहत बागानसुती में मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप, एक एनडीएफबी (एस) काडर, रिंगसर बसुमतरी उर्फ गीता (24) पुत्र पीठा बासुमतारी वासी रंगिघोरा, पीएस अमगुरी की मौके पर ही मौत हो गई। तलाशी के दौरान उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) 9 एमएम पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 1 (एक) ग्रेनेड बरामद हुआ। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122 के तहत मामला संख्या 43/15 पीएस अमगुरी से संबंधित है। (प्रदर्श 171)
- XIX. दिनांक 25 अगस्त, 2015 को लगभग 2205 बजे, कोकराझार जिले के ननखौवा गांव गोसाईगांव पीएस में पुलिस और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक एनडीएफबी (एस) काडर नामतः लछित ब्रह्मा उर्फ लुखुमवत (22) (एसएस प्रभारी टिपकाई प्लाटून) पुत्र नीलकमल ब्रह्मा वासी चोटो भेलपुरी, पीएस बोगरिबरी को गोली लगी। उसे इलाज के लिए आरएनबी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) 7.62 एमएम पिस्टल और 1 (एक) मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस, 2 (दो) ग्रेनेड, 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट और 4 (चार) खाली कारतूस बरामद किए। इस सिलसिले में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/353/307 के तहत मामला संख्या 393/15 पीएस गोसाईगांव में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 333)
- XX. 29 अगस्त, 2015 को लगभग 0515 बजे, ऑक्सिगुडी गांव (अमगुरी पीएस) के नजदीकी जंगल क्षेत्र में पुलिस/सेना (7 सिख एलआई) और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप, दो एनडीएफबी (एस) उग्रवादी अर्थात् ग्वमसंग नार्जरी उर्फ एन. गुंडवी पुत्र स्व उपेन नार्जरी वासी ऑक्सिगुडी और जैसथ बासुमतरी उर्फ बी. जवेन्थि पुत्र पिसन बासुमतरी वासी डोटोमा गाँव (अमगुरी पीएस के अंतर्गत दोनों) को गोली लगी। घायल आतंकवादियों को इलाज के लिए जेएसबी अस्पताल, काजलगाँव में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन दोनों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) एम-16 (यूबीजीएल) राइफल के साथ 4 (चार) मैगजीन, 1 (एक) एके-56 राइफल के साथ 3 (तीन) मैगजीन, 1 (एक) 7'65 एमएम पिस्तौल और 136 जिंदा कारतूस बरामद किए। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13/15/16 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27/35 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/ 353/307 के तहत मामला संख्या 48/15 पीएस अमगुरी से संबंधित है। (प्रदर्श 172)
- XXI. दिनांक 3 सितंबर, 2015 को लगभग 0540 बजे, कोकराझार पीएस के तहत उल्टापानी वन क्षेत्र में पुलिस/सीआरपीएफ (129 वें बटालियन)/सेना (3 राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) काडरों के

बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, 1 (एक) एनडीएफबी (एस) काडर नामतः भालगो बोरो उर्फ बी. बिलिगरा (एसएस सेक्शन कमांडर, सेराफेंगुरी) पुत्र सुनीराम बोरो वासी सागालुहर, पीएस पनेरी, जिला उदलगुरी की मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) एके -56 राइफल के साथ मैगज़ीन, 32 जिंदा कारतूस, 2 (दो) हथगोले और 18 खाली कारतूस बरामद किए। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 16/20 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 728/215 पीएस कोकराझार से संबंधित है। (प्रदर्श 285)

- XXII. दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 को लगभग 1910 बजे, उदलगुरी जिले के मजबत पीएस के तहत रोवाटा गेट के पास, टोवता नदी तट पर पुलिस और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, 1 (एक) एनडीएफबी (एस) काडर नामतः थोपा बसुमतरी उर्फ बी. ओनसाई पुत्र मेबला बसुमतरी वासी बानोगुरी, हुगराजुली, पीएस डेकियाजुली, जिला सोनितपुर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उसके कब्जे से 1 (एक) 7.65 मिमी पिस्टल के साथ 1 (एक) मैगज़ीन, 4 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस और 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट बरामद किए। इस सिलसिले में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/353/307 के तहत मामला संख्या 76/15 पीएस मजबत में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 19)
- XXIII. दिनांक 13 नवंबर, 2015 को लगभग 0505 बजे, रुनिखाटा पीएस के तहत द्वीगुडुंग गांव में सेना (7 वें सिख एलआई) और एनडीएफबी (एस) के बीच एक मुठभेड़ हुई। नतीजतन एक एनडीएफबी (एस) काडर को गोली लगी। उसे जेएसबी सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। तलाशी के दौरान सेना ने उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) 9 एमएम पिस्टल के साथ 1 (एक) मैगज़ीन, 4 (चार) जिंदा कारतूस, 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट के साथ 3 (तीन) सिम कार्ड और 4 (चार) मोबाइल बैट्री बरामद की। कथित तौर पर मारे गए आतंकवादी की पहचान उक्त गांव के जौला मुचैहरी (33) पुत्र हापराम मुचैहरी के रूप में हुई। इस सिलसिले में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 16/18/20 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/29 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/353/307 के तहत मामला संख्या 60/15 पीएस रुनिखाटा में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 173)
- XXIV. दिनांक 17 नवंबर, 2015 को लगभग 0830 बजे, पुलिस/सेना (36 वीं असम राइफल्स) और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें खामखम डूमरी पुत्र स्मृती खगौनी डूमरी वासी थानाबंग (धेकियाजुली पीएस) की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) पिस्टल और 1 (एक) ग्रेनेड बरामद किया। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27(ख) के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/353/307/384/34 के तहत मामला संख्या 706 /2015 पीएस डेकियाजुली से संबंधित है। (प्रदर्श 235)
- XXV. दिनांक 8 दिसंबर, 2015 को लगभग 0545 बजे, सिलिमाथा (बागिबरी पीएस) में पुलिस/ सेना (7 वीं जाट रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप एक एनडीएफबी (एस) काडर नामतः नेरस्वान ब्रह्मा उर्फ नायदाई पुत्र सुनील च. ब्रह्मा वासी भौमका (गोसाईगांव पीएस) के की मौके पर ही मौत हो गई। खोज के दौरान सुरक्षा बल कर्मियों ने उद्घोषित अपराधी से 2 (दो) मैगज़ीन के साथ 1 (एक) एके -47 राइफल, 44 (चवालीस) जिंदा कारतूस, 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट के साथ 6 (छह) सिम कार्ड और 11530 / - रुपए नकदी बरामद किए। यह बागिबरी पीएस मामले संख्या 160/15 को संदर्भित करता है जो पंजीकृत किया गया है। (प्रदर्श 384)
- XXVI. दिनांक 8 फरवरी 2016 को, लगभग 0330 बजे, रानीपुर (रुनिखाटा पीएस) में पुलिस/सेना (7 वें सिख एलआई) और एनडीएफबी (एस) काडर के बीच एक मुठभेड़ हुई। नतीजतन एक एनडीएफबी (एस) काडर नामतः उदय नारज़री उर्फ एन. उडंग उर्फ खिलखंग (एनडीएफबी- एस सेरफेंगुरी का एसएस दूसरा प्रभारी) पुत्र जंबो नारायणरी वासी इडेनबरी (रुनिखाटा पीएस) को चोटें लगीं और उसे इलाज के

लिए अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसने दम तोड़ दिया। उसके कब्जे से 1 (एक) एके-56 राइफल के साथ 9 (नौ) जिंदा कारतूस, 10 (दस) खाली कारतूस और 31000/- रु नकद बरामद किए गए। इस सिलसिले में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 16/18/20 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27(2) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/122/353/307 के तहत मामला संख्या 09/16 पीएस रुनिखाटा में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 174)

- XXVII. दिनांक 14 फरवरी, 2016 को लगभग 0600 बजे, पुलिस/सेना (तीसरी राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच खाशी बाज़ार रिज़र्व फ़ॉरिस्ट (सेराफंगुरी पीएस) के समीप मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप दो एनडीएफबी (एस) काडर नामतः जंगस्वरंग बसुमतारी उर्फ लडाई (22) पुत्र रोबिन बसुमतारी वासी औज़ारगुरि और संजीव बासुमतारी उर्फ कार्देश (19) पुत्र सुनीलाल बसुमतारी वासी पद्मबिल (दोनों सेराफंगुरी पीएस के तहत) घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए डोटमा अस्पताल ले जाया गया जहां उपस्थित चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा बलों ने उद्घोषित अपराधी से 2 (दो) मैगज़ीन के साथ 2 (दो) 7.65 एमएम पिस्तौल, एके -47 राइफल की 1 (एक) मैगज़ीन, 13 (तेरह) एके-सीरीज के कारतूस, 2 (दो) हथगोले, कुछ विस्फोटक पदार्थ, 12 खाली कारतूस और 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट बरामद किए। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 16/20 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 12/16 पीएस सेराफंगुरी से संबंधित है। (प्रदर्श 357)
- XXVIII. दिनांक 10 मार्च, 2016 को लगभग 0830 बजे, पुलिस/कमांडो बटालियन (210 वें कोबरा) और एनडीएफबी (एस) काडर के बीच जीडीभारली नदी (चारिदुआर पीएस) के पास गराली चापोरी में एक मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक एनडीएफबी (एस) काडर नामतः थुलुंगा बसुमतारी (30) पुत्र प्रसंता कु बसुमतारी वासी गुजुंगापुरी गुवाहाटी शहर में बशिस्ता पीएस गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए कनालाटा सिविल अस्पताल, तेजपुर ले जाया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा बलों के जवानों ने उद्घोषित अपराधी से 1 (एक) पिस्टल, 1 (एक) मैगज़ीन, 2 (दो) जिंदा कारतूस और 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट बरामद किया। इस सिलसिले में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/122/387/307 के तहत मामला संख्या 35/16 पीएस चारिदुआर में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 230)
- XXIX. दिनांक 15 मार्च, 2016 को लगभग 0800 बजे, उदलगुरी जिले के मज्जबत पीएस के तहत मिलापपुर में पुलिस/सेना (रेड हॉर्न डिवीजन) और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के एक समूह के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, एक कट्टर एनडीएफबी (एस) उग्रवादी नामतः स्वमला बसुमतारी (22) पुत्र गैन्दा बसुमतारी वासी पचिम नोकाटा, पीएस गोरेश्वर, जिला बक्सा की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य लोग पीओ से भागने में सफल रहे। सुरक्षा कर्मियों ने उद्घोषित अपराधी से मैगज़ीन के साथ 1 (एक) 7'65 एमएम पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस, 1 ग्रेनेड, 5 खाली कारतूस और 1 जबरन वसूली रसीद बुक बरामद की। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 21/16 पीएस मजबत से संबंधित है। (प्रदर्श 21)
- XXX. दिनांक 11 मई, 2016 को लगभग 0630 बजे, रिपु रिज़र्व वन क्षेत्र में पुलिस/सेना (तीसरी राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप एक एनडीएफबी (एस) काडर, बीरबल इस्लेरी उर्फ बंजल (30) पुत्र राजेन इस्लेरी वासी पब डोमगांव, पीएस रुनिकाता, चिरांग की मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने उद्घोषित अपराधी से मैगज़ीन के साथ 1 (एक) एके -56 राइफल बरामद की, 31 (इकतीस) जिंदा कारतूस, 14 (चौदह) खाली कारतूस, 5 (पांच) मोबाइल हैंडसेट, 3 सिम कार्ड आदि बरामद किया। सुरक्षा कर्मियों ने उसी दिन (11-05-16) को डंपवाला/ लालभीता क्षेत्र में एनडीएफबी (एस) के एक अस्थायी शिविर का भी भंडाफोड़ किया। इस सिलसिले में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की

धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 274/16 पीएस कोकराझार में दर्ज किया गया। (प्रदर्श 279)

- XXXI. दिनांक मई, 18, 2016 को लगभग 1700 बजे, पुलिस/सेना (168 वीं रेजिमेंट) तथा कथित एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच असम-अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ चंदगुरी इलाके में एक मुठभेड़ हुई। यह मामला जीडीई संख्या 359 दिनांक 18.05.2016 और एक अन्य जीडीई संख्या 375 दिनांक 18.05.2016 पीएस मजबूत से संबंधित है। (प्रदर्श 31)
- XXXII. दिनांक 16/17 जुलाई, 2016 की मध्यरात्रि में खलाशी वन क्षेत्र (सेराफंगुरी पीएस) में पुलिस सेना (तीसरे राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी(एस) के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप एक एनडीएफबी(एस) काडर नामतः सुदाम बोगोयरी उर्फ गरम (19) पुत्र रेनन बोगोयरी वासी ऊनांगश्री (कोकराझार पीएस) को चोटें आयीं और उसे इलाज के लिए आरएनबी सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ उपस्थित चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उद्धोषित अपराधी से दो (2) पिस्तौल के साथ 7.65 एमएम के 4(चार) जिंदा कारतूस, 12 (बारह) एके-श्रृंखला के खाली कारतूस, 2 (दो) खाली कारतूस 9 एमएम गोला बारूद, 3 (तीन) के खाली कारतूस 7.65 एमएम गोला बारूद, 2 (दो) हथगोले और 1 (एक) एनडीएफबी (एस) का जबरन वसूली नोट बरामद किया गया। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27(II) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307/35/387 के तहत मामला संख्या 49/2016 पीएस सेराफंगुरी से संबंधित है। (प्रदर्श 359)
- XXXIII. दिनांक 16/17 जुलाई, 2016 की रात में, पुलिस/सेना (तीसरी राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच अल्टापानी वन क्षेत्र (कोकराझार पीएस) में मुठभेड़ हुई। नतीजतन, दो एनडीएफबी (एस) काडरों नामतः रितु बासुमतरी उर्फ रंगंगशा पुत्र बलराम बासुमतारी वासी समबाड़ी सिंभ्रागाँव और राहुल बासुमतरी उर्फ बी. राखाओ पुत्र बरुभन बासुमतारी वासी लबनीपुर उल्टापानी (दोनों कोकराझार पीएस के तहत) को चोटें लगीं। उन्हें इलाज के लिए आरएनबी सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उपस्थित चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उद्धोषित अपराधी से दो (2) 7.65 एमएम पिस्तौल के साथ 5 (पाँच) जिंदा कारतूस, 1 (एक) एके-श्रृंखला मैगज़ीन, 2 (दो) हथगोले, 1800 / - रुपए नकद, 2 (दो) एनडीएफबी (एस) के लेटर पैड इत्यादि बरामद किए गए। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27(II) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307/35/387 के तहत मामला संख्या 412/2016 पीएस कोकराझार से संबंधित है। (प्रदर्श 306)
- XXXIV. दिनांक 24/25 जुलाई, 2016 की रात को सर्कनगुरी पीएस के तहत उत्तरी झारबाड़ी में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस/सीआरपीएफ (210 वीं कोबरा)/सेना (3 आरडी राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। नतीजतन, दो एनडीएफबी (एस) काडरों नामतः फुनाका नारज़री (22) पुत्र रणेन नारज़री वासी नमनपारा (कोकराझार पीएस) और ज्वंगसर बासुमतारी उर्फ लाओदुम (23) पुत्र काशीराम बासुमतारी वासी बागवानपारा (सेराफंगुरी पीएस) को गोली लगी। उन्हें तुरंत आरएनबी सिविल अस्पताल, कोकराझार में इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ उपस्थित चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा कर्मियों को उद्धोषित अपराधी से 2 (दो) 7.65 एमएम पिस्तूल के साथ कुछ जिंदा कारतूस और 2 (दो) चीनी हथगोले बरामद किए। यह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(I-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307/353/387 के तहत मामला संख्या 50/2016 पीएस सर्कनगुरी से संबंधित है। (प्रदर्श 361)
- XXXV. दिनांक 19 अगस्त, 2016 को लगभग 0500 बजे, असम-अरुणाचल सीमा के साथ पहाड़पुर वन क्षेत्र में पुलिस/सीआरपीएफ/सेना और एनडीएफबी(एस) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप 3 (तीन) एनडीएफबी(एस) के उग्रवादियों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में, मारे गए उग्रवादियों में से

एक की पहचान बोथोल उर्फ बिपुल बोरो (28) (एस एस सेक्शन कमांडर) पुत्र फुलेश्वर नारज़री वासी अओबी केंद्र, बथुपारा (ढेकियाजुली पीएस) के रूप में की गई है और दूसरे की पहचान नहीं की जा सकी है। तलाशी के दौरान पुलिस ने एनडीएफबी(एस) के एक शिविर का भंडाफोड़ किया और 3 (तीन) पिस्टल 2 (दो) ग्रेनेड, 8 (आठ) जिंदा कारतूस, 5 (पांच) मोबाइल हैंडसेट आदि बरामद किए और उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए शिविर को भी ध्वस्त कर दिया।। आगे की जानकारी मिली है कि, दो अज्ञात मारे गए उग्रवादियों में से एक की पहचान के हुलंगा गोयारी (23) पुत्र हेमन गोयारी वासी लाईगंगपारा (रंगापारा पीएस)के रूप में की गई है। इस सिलसिले में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/2734(2) के साथ पठित आईपीसी की धारा 121/121(क)/120(ख)/384/353/307/34 के तहत मामला संख्या 98/2016 पीएस रंगापारा में दर्ज किया गया। तीसरे मारे गए आतंकवादी की पहचान राजीव नारज़री उर्फ रवखा (25) (एसएस प्लाटून कमांडर) पुत्र बाबूराम नारज़री वासी नंबर 1 दाओऋगबनी (सरफंगुरी पीएस) के रूप में की गई है।(प्रदर्श 232)

XXXVI. दिनांक 06 सितंबर, 2016 को लगभग 0420 बजे, उत्तरी क्षेत्र मेनोपुर गाँव (काचुगांव पीएस) में स्थित जंगल क्षेत्र में पुलिस कर्मियों और दो एनडीएफबी(एस) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप, भूटान में स्थित एनडीएफबी (एस) शिविर के (एस/एस प्रभारी लॉजिस्टिक और राशन आपूर्ति) अर्थात् बंजुदबाड़ी के अगुन बासुमेटरी पुत्र राजेन बासुमतारी (बसुगरा पीएस, चिरांग जिले) को गोलियां लगीं जबकि दूसरा घने जंगल की आड़ में भागने में कामयाब रहा। घायल उग्रवादी को आरएनबी सिविल अस्पताल, कोकराझार में पहुंचाया गया था, लेकिन उपस्थित चिकित्सक ने उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया। पुलिस ने मैगजीन के साथ 1 (एक) एके-81 राइफल, 11 (ग्यारह) राउंड 7.62 एमएम जिंदा कारतूस, 21 (इक्कीस) राउंड खाली केस, 2 (दो) एचई ग्रेनेड, नकद 21000 रुपए, 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट, एनडीएफबी (एस) के संविधान की 1 (एक) कॉपी, आदि बरामद की। इस संबंध में कछगांव पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (आई-ए)/27, ईएस अधिनियम की धारा 4/5 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/11/13/17 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(बी)/121/121(ए)/122/353/307/387 के तहत संख्या 63/16 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 381)

XXXVII दिनांक 22 सितंबर, 2016 को पुलिस/एनडीएफबी (एस) के बीच लबन्यपुर, बिस्मुरी (कोकराझार पुलिस स्टेशन) में मुठभेड़ हुई। इसके परिणामस्वरूप, एक एनडीएफबी (एस) काडर नामतः राजीव बासुमात्रे मरगांग (35), सुपुत्र जिसवे बासुमात्रे, निवासी थाईसुगुडी लालमती (रूनिखता पुलिस स्टेशन, चिरांग जिला) के शरीर पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए तुरंत आरएनबी सिविल अस्पताल, कोकराझार पहुंचाया गया लेकिन उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पी.ओ. से 3 (तीन) आरडीएस जिंदा गोला बारूद के साथ 1 (एक) .22 पिस्तौल, 7.62 एमएम की 6 (छह) आरडीएस जिंदा गोला बारूद, 2 (दो) हैंड ग्रेनेड और 2 (दो) खाली केस बरामद किए हैं। यह कोकराझार पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ई.एस. अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (आई-ए)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी)/121/121 (ए) /122/353/307 के तहत दर्ज मामला संख्या 542/2016 के संदर्भ में है। (प्रदर्श 309)

XXXVIII. दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को सुबह लगभग 0630 बजे विश्वनाथ चरियाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास दिरिंगनाला में पुलिस/सेना (24 असम राइफल्स) और एनडीएफबी (एस) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन किसी भी तरफ से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, एसएफ कर्मी एनडीएफबी (एस) के एक उग्रवादी नामत विक्रम मुशाहरी उर्फ एम बरलॉंग बुथुर (24) सुपुत्र बाबुल मुशाहरी निवासी नंबर 8 गेजेजुली बटाशीपुर, पुलिस स्टेशन धेकियाजुली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसके पास से 1 (एक) हैंडमेड गन बरामद की। वहां के एसएफ कर्मियों द्वारा दो छोटे अस्थायी शिविरों का भी भंडाफोड़ किया गया है और एक अन्य काडर नामतः बदीशा भाग गया है। इस संबंध में विश्वनाथ चरियाली पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(आई-ए)/27 के

साथ पठित आईपीसी की धारा 120(बी)/121/121(ए)/122/307 के तहत मामला संख्या 308/2016 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 208)

- XXXIX. दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को सुबह लगभग 1130 बजे टंगला पुलिस स्टेशन के तहत नंबर-1 हाहिनी गांव में पुलिस और एनडीएफबी (एस) के काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके परिणामस्वरूप, एक संदिग्ध एनडीएफबी (एस) काडर नामतः सुबन बासुमात्रे उर्फ गेलंग (22) पुत्र स्वर्गीय अजाय बासुमात्रे, निवासी बालीपाडा, पुलिस स्टेशन हरिसिंगा को गोली लगने से चोटें आईं। उसे इलाज के लिए पनेरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच को रेफर कर दिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने पीओ के पास से जिन्दा गोला बारूद के साथ 3 (तीन) आरडीएस के साथ 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्टल, 1 (एक) खाली केस और 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट बरामद किया। यह टंगला पुलिस स्टेशन में दर्ज आयुध अधिनियम की धारा 25 (आई-बी) /27 के साथ पठित धारा 353/307 के तहत मामला संख्या 137/16 के संदर्भ में है। (प्रदर्श 13)
- XL. दिनांक 20 अक्टूबर 2016 को लगभग 2230 बजे चंपा नदी पुल और चिरांग-कोकराझार जिला सीमा (सिडली पुलिस स्टेशन) के साथ लमोटी में मोबाइल नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने सिडली की ओर से आ रहे एक टाटा मैजिक वाहन को रकने के लिए सिग्नल दिया। इस पर वाहन में सवार लोगों (एनडीएफबी-एस उग्रवादियों के संदिग्ध) ने भागने के लिए अपने वाहन को वापस मोड़ लिया और पुलिस पार्टी की ओर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्ध अज्ञात उग्रवादी पर भी गोली चलाई। इसके परिणामस्वरूप, एक संदिग्ध अज्ञात उग्रवादी गोली लगने से घायल हो गया और अन्य भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल व्यक्ति को चिरांग सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपस्थित चिकित्सक ने उक्त घायल व्यक्ति को मृत लाया गया घोषित कर दिया। पुलिस ने पीओ से 1 (एक) 7.62 एमएम पिस्टल, 1 (एक) मैगजीन, 2 (दो) राउंड जिंदा कारतूस, 2 (दो) खाली केस, 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट और एक वॉलेट तथा उक्त वाहन से 740 राउंड एके सीरीज के जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके अलावा जानकारी मिली है कि मारे गए आतंकी की पहचान दक्षिण बाटाबाड़ी (सिल्ली पुलिस स्टेशन) के अरुण बोरगोयारी (29), पुत्र रिजेन बोरगोयारी के रूप में हुई है। इस संबंध में सिडली पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(बी)/121/121(ए)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 48/16 दर्ज किया गया था। (प्रदर्श 175)
- XLI. दिनांक 9 दिसंबर, 2016 को रात्रि लगभग 2030 बजे पुलिस/सीआरपीएफ (कोबरा बटालियन) और सेना (तीसरी राजपूत रेजिमेंट) के संयुक्त दल द्वारा जब सरायबील जंगल इलाके, ऑक्सीगुडी गांव (गोसाईगांव पुलिस स्टेशन) में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तो उक्त एसएफ कर्मियों और एनडीएफबी (एस) उग्रवादियों के एक समूह के बीच मुठभेड़ हुई। दिनांक 10 दिसंबर, 2016 की सुबह तलाशी के दौरान एसएफ कर्मियों ने एनडीएफबी (एस) के काडरों के दो शवों को बरामद किया जिनकी पहचान रंजीत गोयरी उर्फ रंगजसुला (24) पुत्र ओंगथला गोयरी निवासी तकमपुर गांव (कछगांव पुलिस स्टेशन) और गोराव नारजरी (21) पुत्र स्वर्गीय गणक सिंह नरजारी निवासी ऑक्जीगुरी (बसाई गांव पुलिस स्टेशन) के रूप में हुई और पीओ से 1 (एक) एके-56 राइफल, 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्टल, एके श्रृंखला के 21 आरडीएस जिंदा कारतूस, 7.65 एमएम गोला बारूद के 2 (दो) आरडीएस, 11 (ग्यारह) खाली केस, 600/- रुपये नकद और कुछ राशन और दवाई भी बरामद की। यह गोसाईगांव पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी) /121/121 (ए) / 122/353/307 के तहत दर्ज मामला संख्या 669/16 के संदर्भ में है (प्रदर्श 336)
- XLII. दिनांक 28 दिसंबर, 2016 को लगभग 0130 बजे लाओपानी नदी (कोकराझार पुलिस स्टेशन) के समीप असराबाड़ी गांव में पुलिस/सेना (7वीं सिख एलआई) और संदिग्ध एनडीएफबी (एस) के काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके परिणामस्वरूप, एक अज्ञात एनडीएफबी (एस) काडर को चोटें आईं। उसे उपचार के लिए आरएनबी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। पीओ के पास से एक मैगजीन के साथ 1 (एक) एके-56 राइफल, 11 (ग्यारह) राउंड जिंदा कारतूस, 9 (नौ) खाली केस, 1 (एक) ग्रेनेड और 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए। आगे यह जानकारी भी मिली है कि मारे गए अज्ञात काडर की पहचान कुमगुडी (रूणीहाटा पुलिस स्टेशन,

चिरांग जिला) के रतन नरजरी (40) पुत्र स्वर्गीय देवबर के रूप में हुई है। इस संबंध में कोकराझार पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 और ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी) /121/121 (ए) /122/353/307 के तहत दर्ज मामला संख्या 734/16 दर्ज किया गया है।

- XLIII. दिनांक 31 दिसंबर, 2016 को लगभग 1530 बजे धुपगुड़ी (ओरंग पुलिस स्टेशन) में पुलिस/सीआरपीएफ (कोबरा बटालियन) और एनडीएफबी (एस) के काइरों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके परिणामस्वरूप, एक एनडीएफबी (एस) काइर नामतः अंथल राजा (30) गोली लगने से घायल हो गया और सीआरपीएफ का एक कर्मी नामतः पोरीतोश रे (सीटी/आईएनटी) भी घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए उदलगुड़ी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से अंथल राजा को बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। तलाशी के दौरान एसएफ कर्मियों के पास से 1 (एक) 7.66 एमएम पिस्टल मेगजीन के साथ, 3 (तीन) आरडीएस के साथ जीवित गोला बारूद, 1 (एक) ग्रेनेड, 2 (दो) खाली केस बरामद हुए। इस संबंध में ओरंग पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी) /121/121 (ए) /122/353/307 के तहत दर्ज मामला संख्या 81/16 दर्ज किया गया है। यह सूचना भी मिली है कि उक्त घायल एनडीएफबी (एस) काइर ने उसी दिन (31.12.16) जीएमसीएच में दम तोड़ दिया। (प्रदर्श 7)
- XLIV. दिनांक 02 जनवरी, 2017 को लगभग 0200 बजे, पुलिस/सेना (20वीं असम राइफल) ने डेकियाजुली पुलिस स्टेशन के तहत लाओडांगी और बतिशीपुर क्षेत्र के पास अचराबाड़ी इलाके में तलाशी अभियान चलाया। और एसएफ कर्मियों तथा एनडीएफबी (एस) काइर के बीच मुठभेड़ हुई। एसएफ कर्मियों ने एनडीएफबी (एस) काइर नामतः रहाणे मुशादरी उर्फ एम र्खेंग उर्फ एम जेलोंग (48) पुत्र बिपिन मुशहरी और एनडीएफबी (एस) के एक लिंकमैन नामतः दानलाल मुशहरी (58) पुत्र स्वर्गीय दुबसु मुशहरी, दोनों दलफंगजुली, पुलिस स्टेशन डेकियाजुली निवासी को गिरफ्तार किया। एसएफ कर्मियों ने उसके कब्जे से 1 (एक) 7.65 एमएम चीनी पिस्टल, 3 आरडीएस जिंदा गोला बारूद 1 (एक) मैगजीन, 6 सिम कार्डों के साथ 3 मोबाइल सेट हैंडसेट आदि बरामद किए। यह धेकिअजुली पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी) /121/121 (ए) /122/353/307 के तहत दर्ज मामला संख्या 10/17 के संदर्भ में है। (प्रदर्श 231)
- XLV. मार्च, 2017 को लगभग 0445 बजे शिमलागुड़ी (आमगुड़ी पुलिस स्टेशन) में पुलिस/सेना और एनडीएफबी (एस) के काइरों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके परिणामस्वरूप, एनडीएफबी (एस) के दो काइरों, जिनकी पहचान इयोब इस्लारी उर्फ डेविड उर्फ दायूब (23) पुत्र बिनेश्वर इस्लारी, निवासी नंबर 2 अईधुबरी और लुकाश नारजरी उर्फलैंगफा (39) पुत्र नारायण नारजरी (दोनों आमगुड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत) के रूप में पहचाने गए थे, घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एसएफ कर्मियों ने पीओ से 1 (एक) इंसास राइफल के साथ 10 (दस) राउंड जिंदा गोला बारूद, 1 (एक) चीन निर्मित ग्रेनेड और कुछ खाली केस बरामद किए। इस संबंध में आमगुड़ी पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13/16/18 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /35 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी) /121 (ए) /122/353/307 के तहत मामला संख्या 12/17 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 176)
- XLVI. दिनांक 09 मई, 2017 को लगभग 1600 बजे भारत-भूटान सीमा (बिजनी पुलिस स्टेशन) के साथ कुकलुंग इलाके में पुलिस/सेना/एसएसबी (15वीं बटालियन) और एनडीएफबी (एस) के काइरों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, एक अज्ञात एनडीएफबी (एस) काइर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य उग्रवादी गोली लगने से घायल हो गए। बताया गया है कि एसएसबी के एक एसआई नामतः अमल सरकेर की भी मौके पर ही मौत हो गई। यह जानकारी भी मिली कि उसी दिन (9 मई) को, एसएफ कर्मियों ने 1 (एक) इंसास राइफल, इंसास के 101 जिंदा गोला बारूद, एके-श्रृंखला के 131 आरडीएस जिंदा गोला बारूद, एसएलआर के 23 आरडीएस जिंदा गोला बारूद बरामद किए। कथित

तौर पर बरामद इंसास राइफल कोकराझार जिले में प्रादेशिक सेना से वर्ष 2014 में एनडीएफबी (एस) के बाठ-बादल समूह द्वारा लूटी गई थी। बाद में मारे गए उग्रवादी की पहचान बीरबल इस्लारी उर्फ बंसो (35) पुत्र राजेंद्र इस्लारी निवासी पब दमगांव, बेंगताल (रूणीखता पुलिस स्टेशन) के रूप में हुई है। इस संबंध में बिजनी पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी) /121 /353/307/302 के तहत मामला संख्या 60/2017 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 177)

XLVII. दिनांक 21 मई 2017 को लगभग 1655 बजे सिशुवाड़ी वन ग्राम (आमगुडी पुलिस स्टेशन) के समीप मानस रिजर्व फॉरेस्ट में पुलिस/सेना (7वीं सिख एलआई) और एनडीएफबी (एस) उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, एसएस पर एनडीएफबी (एस) की तीसरी बटालियन के सी-इन-सी नामतः जिरिमिया मुचाहरी उर्फ जरीवालिन गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। एसएफ कर्मियों ने पीओ से 1 (एक) एम-16 राइफल के साथ 2 आरडीएस जिंदा गोला बारूद के साथ, 1 (एक) 9 एमएम बेरेटा पिस्टल, 2 (दो) मैगजीनें, 4 (चार) आरडीएस 9 एमएम जिंदा गोला बारूद एएमएमएन और 18 खाली केस भी बरामद किए। कथित तौर पर मारा गया उग्रवादी कोकराझार में सरलपाड़ा आदिवासी नरसंहार सहित, सोनितपुर से एनएचपीसी के महाप्रबंधक का अपहरण, प्रिया बासुमतरी की हत्या सहित विभिन्न जघन्य अपराधों में शामिल था और वह एनआईए का वांछित आरोपी भी था। इस संबंध में आमगुडी पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ए)/35 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13/16/18 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 अधिनियम की 120 (बी) /121 (ए) /122/353/307 के तहत मामला संख्या 21/17 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 178)

XLVII. दिनांक 1 जून 2017 को लगभग 1945 बजे जब सेना (तीसरी राजपूत रेजिमेंट) ने सोराईबिल बीओपी (गोसाईगांव पुलिस स्टेशन) के तहत ऑक्सीगुडी गांव में घात लगाकर हमला किया था, तबघात लगाने वाली पार्टी और संदिग्ध एनडीएफबी (एस) के कार्यकर्ताओं के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक सिविल नागरिक नामतः रूपन तिग्गा (34) पुत्र हरहा तिग्गा, निवासी अमृतपुर (गोसाईगांव पुलिस स्टेशन) गोली लगने से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए आरएनबी सिविल अस्पताल कोकराझार भेजा गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मुठभेड़ में सेना के कैप्टन टीपी सिंह को भी गोली लगने से चोटें आईं। उसे इलाज के लिए 151 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह जानकारी भी मिली कि दिनांक 04.06.17 को उक्त रूपन तिग्गा ने जीएमसीएच में घायल अवस्था में दम तोड़ दिया। इस संबंध में गोसाईगांव पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 27, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी) /121 (ए) /122/353/323 के तहत मामला संख्या 234/2017 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 338)

XLIX. दिनांक 24 जुलाई, 2017 को गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 0130 बजे, जबकि पुलिस न्यू बशवारी गांव (कोकराझार पुलिस स्टेशन) में तलाशी अभियान चला रही थी, पुलिस और एनडीएफबी (एस) के काडरों के बीच मुठभेड़ हुई, इसके परिणामस्वरूप, एक एनडीएफबी (एस) काडर अर्थात् नामतः जनीमुन बासूमेत्रे उर्फ बीवदोवा उर्फ गैलोर गोली लगने से घायल हो गया लेकिन अन्य लोग अंधेरा होने के कारण भागने में सफल हो गए। घायल आतंकवादी को इलाज के लिए तुरंत आरएनबी सिविल अस्पताल कोकराझार पहुंचाया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। पुलिस ने पीओ के कब्जे से 1 (एक) एके-सीरीज राइफल के साथ 15 (पंद्रह) राउंड जिंदा गोला बारूद और मैगजीन, एके-सीरीज राइफल के 10 (दस) खाली केस, 1 (एक) हैंड ग्रेनेड, 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट भी बरामद किए। कोकराझार पुलिस स्टेशन के एक रामचरण एसआइ (यूबी) राभा के पैर में भी मामूली चोट आई। इस संबंध में कोकराझार पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ए) के साथ पठित, ईएस अधिनियम की धारा 4/5 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी) /121/121 (ए) /122/353/307 के तहत मामला संख्या 480/17 दर्ज किया गया है।

- L. दिनांक 02 नवंबर, 2017 को लगभग 1900 बजे एनडीएफबी (एस) नेता बिदई और उसके साथियों की आवाजाही के संबंध में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कालामाटी (आमगुडी पुलिस स्टेशन) के वन क्षेत्र में घात लगाकर हमला किया। दिनांक 3 नवंबर को लगभग 0600 बजे उक्त पुलिस दल और एनडीएफबी (एस) उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई लेकिन, उग्रवादी साथ के जंगल में भागने में कामयाब हो गए। तलाशी के दौरान पुलिस ने उग्रवादियों के 2 (दो) सिम कार्ड और कुछ निजी सामान बरामद किया। इस संबंध में आमगुडी पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ए) /27 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 121/121(ए)/120(बी)/307/353 के तहत मामला संख्या 48/17 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 179)
- LI. दिनांक 4 दिसंबर, 2017 को लगभग 0530 बजे बोलमवाडी बागान (रुनीखता पुलिस स्टेशन) में पुलिस और एनडीएफबी (एस) उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके परिणामस्वरूप, एक अज्ञात एनडीएफबी (एस) लिंकमैन की मौके पर ही मौत हो गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने पीओ से मैगजीन के साथ एक 9 एमएम पिस्टल, 5 आरडीएस 9एमजिंदा गोला बारूद, कुछ लोहे की गोले, 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट, 1 (एक) खुखरी आदि बरामद किए। इस संबंध में रुनीखता पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 और डब्ल्यूएल (पी) अधिनियम की धारा 51 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी)/121/121(ए) /122/353 के तहत मामला संख्या 41/17 दर्ज किया गया है। यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि मृतक लिंकमैन की पहचान राजीव बासुमात्रे उर्फ फिला गबदा (34), पुत्र श्यामा चरण बासुमात्रे, निवासी नम्बर 4 समुदविसा (रुनीखता पुलिस स्टेशन) के रूप में हुई है। (प्रदर्श 180)
- LII. दिनांक 11 दिसंबर, 2017 को लगभग 2100 बजे नंबर-2 बुरीझर गांव (रुनीखता पुलिस स्टेशन) के पास पुलिस और एनडीएफबी (एस) उग्रवादी के बीच मुठभेड़ हुई। किसी भी तरफ से मारे जाने/घायल होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बेंगटोल ओपी जीडीई नंबर 309 दिनांक 11-12-17 (प्रदर्श 190)
- LIII. दिनांक 13 दिसंबर, 2017 को लगभग 2015 बजे दम बाजार (गोसाईगांव पुलिस स्टेशन) में पुलिस और एनडीएफबी (एस) के काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके परिणामस्वरूप, एनडीएफबी (एस) का एक काडर नामतः सोहेतन नरजारी उर्फ सैंडव, पुत्र स्वर्गीय धरम दास नरजारी, निवासी आँक्सीगुडी, दम बाजार (गोसाईगांव पुलिस स्टेशन) की मौके पर ही मौत हो गई और 2 (दो) एपीआर कमांडो हाथों में गोली लगने से घायल हो गए। एनडीएफबी (एस) के अन्य काडर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने पीओ से मैगजीन के साथ एक एके-56 राइफल, एके-सीरीज के 219 आरडीएस जिंदा गोला बारूद, एके-सीरीज के 16 आरडीएस खाली केस, 1 (एक) देश में निर्मित राइफल, 2 (दो) ग्रेनेड, 1 (एक) डेटोनेटर, 2 (दो) पिस्टल मैगजीन, 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट, 4 (चार) सिम कार्ड, नकद 10,000 रुपये आदि बरामद किए। इस संबंध में गोसाईगांव पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27 के साथ पठित, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 और ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ए)/121/121/122/323/387/506/34 के तहत मामला संख्या 482/2017 दर्ज किया गया है। दिनांक 15.12.2017 को यह जानकारी भी मिली थी कि पुलिस/सेना (तीसरी राजपूत रेजिमेंट) के एक संयुक्त दल ने एनडीएफबी (एस) के गोली लगने से घायल एक काडर नामतः मार्टियार्ज नर्जरी उर्फ एन मोथी (24) पुत्र धोजेन नर्जरी, निवासी दम बाजार (गोसाईगांव पुलिस स्टेशन) को उक्त इलाके के वन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसएफ कार्मिकों ने पीओ से 1 (एक) मैगजीन के साथ 1(एक) 9एमएम पिस्टल और 5 (पांच) राउंड जिंदा गोला बारूद बरामद किए। एनडीएफबी (एस) के घायल काडर को इलाज के लिए बारपेटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। (प्रदर्श 340)
- LIV. दिनांक 15 दिसंबर, 2017 को लगभग 2330 बजे पुलिस (असम और मेघालय/43वीं असम राइफल्स) ने संयुक्त रूप से खलीहरायत पुलिस स्टेशन में दिनांक 04 दिसंबर को पायरदुंग गांव, पूर्वी जयंती हिल्स खलीहरायत के पाइरदुंग गांव से अज्ञात बदमाशों द्वारा खलीहरित (मेघालय) के मोहेन्द्र राय पुत्र स्वर्गीय जॉय राय के अपहरण के संबंध में यू/एस 363 आईपीसी की धारा 363 के तहत दर्ज मामला संख्या 404/(12)/2017 के बारे में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। दिनांक 16 दिसंबर को लगभग 0540 बजे उक्त असम खदान में एसएफ कर्मियों और अपहर्ताओं के बीच मुठभेड़ हुई जिसके परिणामस्वरूप एनडीएफबी (एस) के दो संदिग्ध उग्रवादियों को गोली लगी और अपहृत व्यक्ति को

बरामद किया गया। घायल उग्रवादियों को इलाज के लिए तुरंत उमरांगसो अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उपस्थित डॉक्टर ने उन्हें मृत लाया गया घोषणा कर दिया। इस संबंध में उमरांगसो पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) के साथ पठित, आईपीसी की धारा 120(बी)/364(ए)/30/353 के तहत मामला संख्या 22/17 दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त यह जानकारी भी प्राप्त हुई थी कि एसएफ दल ने पीओ से 1 (एक) ऑस्ट्रिया निर्मित पिस्टल, 9 एमएम के 7 (सात) आरडीएक्स जिंदा गोला बारूद और 1 (एक) खाली केस बरामद किया है। आगे यह जानकारी भी प्राप्त हुई थी कि अज्ञात मृत उग्रवादी में से एक की पहचान उसकी मां द्वारा रंजीत मुशाहारी उर्फ मोंगला (25) पुत्र स्वर्गीय अर्जुन मुशाहारी, निवासी बोसाबिल (गुसाईगांव पुलिस स्टेशन) की गई है। (प्रदर्श 194)

- LV. दिनांक 27 जनवरी, 2018 को लगभग 0530 बजे रिपू रिजर्व फॉरेस्ट (गोसाईगांव पुलिस स्टेशन) के राइड नंबर 4 में पुलिस/सेना (तीसरी राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) के काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके परिणामस्वरूप, एनडीएफबी (एस) के एक काडर नामतः रिकार्डो हाजुरी उर्फ रेखाई (26), पुत्र बिजॉय हाजुवारी, निवासी नंबर 2 कुसुमबिल (गोसाईगांव पुलिस स्टेशन) की मौके पर ही मौत हो गई लेकिन उसके साथी घने जंगल में भागने में सफल हो गए। एसएफ कर्मियों ने पीओ से 1 (एक) 9 एमएम पिस्टल के साथ 1 (एक) मैगजीन, 4 आरडीएस जिंदा गोला बारूद और 26 आरडीएस खाली केस, 2 (दो) सिम कार्डों के साथ 2 (दो) मोबाइल हैंडसेट, किसी को संबोधित किए बिना 17 नग जबरन वसूली नोट, एनडीएफबी (एस) के कोरे पत्र बरामद किए। इस संबंध में गोसाईगांव पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी)/121/121(ए)/122/387/506/34 के तहत मामला संख्या 32/18 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 352)
- LVI. दिनांक 4/5 फरवरी की मध्य रात्रि में बेलगुडी गांव (आमगुडी पुलिस स्टेशन) के एक मकान में दो संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा शरण लेने के बारे में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस/सेना ने उक्त गांव में तलाशी अभियान चलाया। तलाशीदल को देखकर आतंकियों ने उक्त गांव के एक मकान से तलाशी दल की ओर गोली-बारी की। तलाशी दल ने भी इसके जवाब में गोली चलाई। बाद में तलाशी दल को एक उग्रवादी घायल अवस्था में मिला और बाद में जिसकी पहचान एनडीएफबी (एस) काडर जॉर्डन नर्जरी, निवासी नंबर 1 ऑक्सीगुडी (अमगुडी पुलिस स्टेशन) के रूप में हुई। उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। तलाशी दल ने 1 (एक) मैगजीन के साथ .22 पिस्टल, जिंदा गोला-बारूद के 2 (दो) राउंड और मिश्रित गोला-बारूद के 12 (बारह) खाली केस भी बरामद किए। यह अमगुडी पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27/35 के साथ पठित, ईएस अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13/17/18 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(बी)/121(ए)/122/353/307 के तहत दर्ज मामला संख्या 08/2018 के संदर्भ में है। (प्रदर्श 181)
- LVII. दिनांक 5 मार्च, 2018 को लगभग 0330 बजे रिपू रिजर्व फॉरेस्ट (सेरफानगुडी पुलिस स्टेशन) की सीमापथ (राइड) नंबर 7 और 9 में पुलिस/सेना (तीसरी राजपूत रेजिमेंट) और एनडीएफबी (एस) के काडरों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके परिणामस्वरूप, एक अज्ञात एनडीएफबी (एस) काडर को गोली लगने से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए तुरंत आरएनबी सिविल अस्पताल कोकराझार पहुंचाया गया जहां उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। एस एफ कर्मियों ने पीओ से 1 (एक) मैगजीन के साथ 1 (एक) एके-47 राइफल, 16 आरडीएस जिंदा गोला बारूद, 13 खाली केस, भूटान सिम कार्ड के साथ 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट, 10 जबरन वसूली के नोट, कुछ बर्तन, नकद 2740 रुपये आदि बरामद किए। इस संबंध में सेरफानगुडी पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27 के साथ पठित और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी)/121(ए)/122/353/307 के तहत मामला संख्या 13/18 दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त यह सूचना मिली थी कि मृत उग्रवादी की पहचान मानश ब्रह्मा उर्फ बी. मुक्तांग (24) पुत्र जगत ब्रह्मा, निवासी लाबन्यपुर उल्टापानी (कोकराझार पुलिस स्टेशन) के रूप में हुई है। (प्रदर्श 364)

- LVIII. दिनांक 16 जून, 2018 को, जनालीगांव (गोसाईगांव पुलिस स्टेशन) में घंटों के तलाशी अभियान (1300 बजे से 1630 बजे) तक के दौरान पुलिस और एनडीएफबी (एस) के काडरों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई लेकिन एनडीएफबी (एस) के काडर घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। किसी भी ओर से किसी के मरने/घायल होने की कोई सूचना नहीं दी गई है। यह सोराईबिल वीओपी जीडीई नंबर 213/2018 और 214/2018 को संदर्भित करता है।
- LIX. दिनांक 5 जनवरी, 2020 को लगभग 1230 बजे चिरांग जिले के रूनीखता पुलिस स्टेशन के तहत डुवाईमलूपारा (नई बस्ती) गांव के जंगल क्षेत्र में पुलिस/सेना (5 गढ़वाल राइफल्स) और एनडीएफबी (एस) के काडरों के बीच मुठभेड़ हुई, इसके परिणामस्वरूप एक अज्ञात उग्रवादी गोली लगने से घायल हो गया और उसे जेएसबी सिविल अस्पताल, काजोलगांव पहुंचाया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक को मृत लाया गया घोषित कर दिया। एसएफ कर्मियों ने पीओ से 2 (दो) मैगजीनों के साथ 2 (दो) 762 एमएम पिस्टल, 15 (पंद्रह) राउंड जिंदा कारतूस, 2 (दो) हैंड ग्रेनेड, 2 (दो) डेटोनेटर, 1 (एक) मोबाइल हैंडसेट, 5 (पांच) जबरन वसूली के पत्र, 9 (नौ) खाली केस, नकद 58,500 रुपये, कुछ पहनने के परिधान आदि भी बरामद किए। आगे यह जानकारी भी मिली है कि जो आतंकवादी घायल हुआ था उसकी पहचान संसुला बासुमात्रे उर्फ वी सतबंगशा, पुत्र बलीराम बासुमात्रे, निवासी नंबर 1 ग्वाजवनपुरी (रूनीखता पुलिस स्टेशन) के रूप में हुई है। रूनीखता पुलिस स्टेशन में उक्त घटना के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) /27(1) और ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(बी)/121/121(ए)/122/353/384 के तहत मामला संख्या 03/2020 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 182)
- LX. 15 जनवरी, 2020 को लगभग 1530 बजे विश्मुरी ओपी (पुलिस स्टेशन/जिला-कोकराझार) के अंतर्गत डेकाडामरा गांव में सेना (12वीं सिख एलआई) द्वारा एक मुठभेड़ में एनडीएफबी (एस) का एक काडरनामत: तेमांग मारा गया है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि मारे गए एनडीएफबी (एस) उग्रवादी की पहचान सेरफानागुडी पुलिस स्टेशन के तहत थाईसुगुडी के ज्वेल नरजरी उर्फ तेमांग उर्फ एन. जवनवाम पुत्र जाँयभोद्र नरजरी के रूप में हुई है। एसएफ पार्टी ने पीओ के पास से 1 (एक) ग्लॉक 19 ऑस्ट्रिया निर्मित पिस्टल के साथ 5 (पांच) राउंड जिंदा कारतूस, 2 (दो) मैगजीन, 1 (एक) यामाहा मोटरसाइकिल आदि भी बरामद की। बाद में सेना ने विश्मुरी पीपी (कोकराझार पुलिस स्टेशन) में बरामद सामान के साथ शव को सौंप दिया। इस संबंध में कोकराझार पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) /27(2) और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी)/121/121(ए)/122/307 के तहत मामला संख्या 29/20 दर्ज किया गया है।

(ग) अपहरण:-

- I. दिनांक 14 फरवरी 2017 को वार्ड नंबर 5 बारपारा (बोंगईगांव पुलिस स्टेशन) की एक महिला श्रीमती इंदु जैन पत्नी नवीन जैन ने बोंगईगांव पुलिस स्टेशन में यह उल्लेख करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई कि वार्ड नंबर 5 बारपारा के उसके पति नवीन जैन (43) 13 फरवरी की करीब 1830 बजे दुकान बंद करने के बाद घर नहीं लौटे। इस संबंध में बोंगईगांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 365 के तहत मामला संख्या 130/2017 दर्ज किया गया था। दिनांक 17.02.2017 को कोकराझार पुलिस और बोंगईगांव जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कोकराझार पुलिस स्टेशन के सलाखती ओपी अंतर्गत कुर्साकाटी गांव में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया और 2 (दो) प्रमुख आरोपी व्यक्तियों नामतः (1) मिजिंग वारी (30) (एनडीएफबी-पीकाडर) पुत्रचंद्रा वारी, गांव थाईगिरगुडी, पुलिस स्टेशन और जिला-कोकराझार और (2) नितुल ब्रह्मा (26) पुत्रअपूर्वा ब्रह्मा, गांव बोरो कुरशाकती, पुलिस स्टेशन और जिला-कोकराझार कोसलाखती क्षेत्र से गिरफ्तार किया। (प्रदर्श 241)
- II. दिनांक 18 नवंबर, 2014 को लगभग 1200 बजे, एक महिला श्रीमती रूपा रे पत्नी चित्ता रे, निवासी क्वातिका चौहान (बिजनी पुलिस स्टेशन) ने बिजनी पुलिस स्टेशन में दिनांक 17 नवंबर 2014 की सुबह बिजनी पुलिस स्टेशन में यह उल्लेख करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनके पति चिट्टा रे (छोटे व्यापारी) गेरुकाबाडी (बिजनी पुलिस स्टेशन) के अमर बासुमात्रे के साथ रेशम कीट खरीदने के लिए

पानबाड़ी क्षेत्र में गए थे। तब से वह घर नहीं लौटे हैं। दिनांक 18 नवंबर, 2014 को लगभग 0700 बजे श्रीमती रूपा रे के पास एक अज्ञान व्यक्ति का फोन आया, जिस पर एनडीएफबी (एस) के उग्रवादी होने का संदेह है, कि उसके पति का अपहरण कर लिया गया है और उसकी रिहाई के लिए 20 लाख रुपये की राशि की मांग की गई है। आगे जानकारी मिली है कि उक्त अपहृत चिट्ठा रे दिनांक 29 नवंबर 2014 को लगभग 1100 बजे अपने घर सुरक्षित पहुंच गया था। इस संबंध में बिजनी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 364(ए) के तहत मामला संख्या 331/14 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 183)

- III. दिनांक 24 नवंबर, 2014 की सुबह रूनीखता पुलिस को चिरांग जिला के रूनीखता पुलिस स्टेशन के तहत संतीपुर इलाके में चंपा नदी के पास लावारिस पड़ी एंबुलेंस बरामद की। ज्ञात हुआ है कि दिनांक 23 नवंबर, 2014 को लगभग 1030 बजे उक्त एंबुलेंस को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सैनितपुर से मरीज उठाने के लिए किराय पर ली गई थी जिन पर एनडीएफबी (एस) उग्रवादियों होने का संदेह है और तदनुसार, न्यू कॉलोनी, बोंगईगांव शहर (बोंगईगांव पुलिस स्टेशन, बोंगईगांव जिला) के चालक चिरंजीत डे (25) उक्त वाहन के साथ बोंगईगांव से इसी के लिए गए थे और तब से वह लापता हैं। इस संबंध में रूनीखता पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 365 के तहत मामला संख्या 78/14 दर्ज किया गया है। आगे यह सूचना भी प्राप्त हुई कि दिनांक 05.12.2014 की रात रूनीखता पुलिस ने रूनीखता पुलिस स्टेशन के तहत चंपा नदी के पास मदती से चिरंजीत डे का शव, को गोली लगने से चोट के निशान के साथ बरामद किया। (प्रदर्श 184)
- IV. दिनांक 2 दिसंबर, 2014 को लगभग 0930 बजे, एक गुप्त जानकारी के बाद, इंचार्ज, लाबडानगुडी पीपी (गोबरधना पुलिस स्टेशन) ने अपने स्टाफ के साथ जमाल खंडाकर (50) पुत्र स्वर्गीय अनोवर खंडाकर और इसाब अली (40) पुत्र अब्दुल कादर, दोनों निवासी बारापेटा (गोबरधना पुलिस स्टेशन) के शवों जिन पर गोली लगने के निशान थे और उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे, को लबदंगुरी पीपी (गोबरधना पुलिस स्टेशन) के अंतर्गत मोयनामाता पाथर के वन क्षेत्र से बरामद किया। कथित तौर पर जब उपरोक्त व्यक्ति धान के तिनके खरीदने के लिए हेलोचीगुडी (गोबरधना पुलिस स्टेशन) गए तो एनडीएफबी (एस) उग्रवादी होने के संदिग्ध होने के अज्ञात बदमाशों ने उन्हें हेलोचीगुडी से उन्हें अगवा कर लिया और मोइनमाता जंगल इलाके की ओर चले गए और वहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में गोबरधना पुलिस स्टेशन में दो मामले यथा आईपीसी की धारा 120(बी)/364/302/34 के तहत मामला संख्या 235/14 और आईपीसी की धारा 120(बी) /364/302/34 के तहत मामला संख्या 236/14 दर्ज किए गए थे। यह सूचना भी प्राप्त हुई थी कि दिनांक 03.12.2014 को गोबरधना पुलिस ने उपर्युक्त मामलों के संबंध में 3 (तीन) व्यक्तियों नामतः नकुल बासुमात्रे (35) पुत्रमहादेव बासुमात्रे, महेश्वर दैमेरी (48) पुत्र धनंजय दैमेरी, दोनों लाबडानगुडी, निवासी और बुधवार बासुमात्रे (32) पुत्रस्वर्गीय रामेश्वर बासुमात्रे, निवासी मोयनामाता हेलोसिगुरी, सभी गोबरधना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, को गिरफ्तार किया है। (प्रदर्श 59)
- V. दिनांक 09 दिसंबर, 2014 को, आगाह करने वाली एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए, चिरांग पुलिस ने बोंगईगांव पुलिस/सेना (18 महार रेजिमेंट) की सहायता से एनडीएफबी(एस) के 6 (छह) काडरों नामतः अजय बासुमात्रे (33) पुत्रनिखिल बासुमात्रे, सूरत बासुमात्रे (22) पुत्र जितेन बासुमात्रे, दोनों पतगांव निवासी, डेराहसत नरजारी (19) पुत्र अजीत नरजारी, निवासी सेरफनगुडी (सभी सेरफनगुडी पुलिस स्टेशन के तहत), रिंगखांग नरजारी (18) पुत्र एंथार्ड नरजारी, निवासी मोयनागुडी (कचुगांव पुलिस स्टेशन, सभी कोकराझार जिले में), राखन नरजारी उर्फ बीजू (29) पुत्र स्वर्गीय बाबू राम नरजारी, निवासी बंदुगुडी और जीवन बासुमात्रे (22) पुत्र विष्ठी बासुमात्रे, शांतिपाड़ा निवासी, बेखुंदगांव (दोनों धालीगांव पुलिस स्टेशन के) निलीबाड़ी (धारीगांव पुलिस स्टेशन) से गिरफ्तार किया जब वे उसी इलाके के एक किराना दुकानदार विमल भोमिक को अगवा करने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास से एक मैगजीन सहित 1 (एक) 7.65 एमएम पिस्टल, 4 (चार) राउंड 7.65 एमएम जिंदा गोला बारूद, 1 (एक) हैंड ग्रेनेड और 5 (पांच) राउंड 9 एमएम जिंदा गोला बारूद बरामद किए गए। पुलिस ने उनके द्वारा इस्तेमाल की गई 1 (एक) मारुति वैन (एएस-01-एडी/2055) भी जब्त की। यह धालीगांव पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25(ए)/35 के साथ पठित, ईएस अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की

धारा 120 (बी) /121/121 (ए) /122/346 (ए) /511 के तहत दर्ज मामला संख्या 222/2014 के संदर्भ में है। (प्रदर्श 185)

- VI. दिनांक 27 दिसंबर, 2014 को लामाबाड़ी के एक व्यक्ति विशु सावरा पुत्र स्वर्गीय प्रोपिनो सावरा ने मझबत पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई और उल्लेख किया कि उनका पुत्र सोना सावरा (12) और अन्य तीन व्यक्ति, नामतः कबीर सावरा (10) पुत्र रूपेन सावरा, बिरजू सावरा (42) पुत्र अपेना सावरा और युबराज मुंडा (40 वर्ष) पुत्र नगेंद्र मुंडा सभी उदलगुडी जिला के मझबत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लामाबाड़ी के हैं। दिनांक 24.12.14 से लापता हैं। इस संबंध में मझबत पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 365 के तहत मझबत पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 74/2014 दर्ज किया गया है। (प्रदर्श 23)
- VII. दिनांक 02 जनवरी 2015 को उक्त गांव से नंबर 2 खोराबाड़ी चिरांग जिले के पुलिस स्टेशन रूनीखता के किशू हसदा (25) की पुत्र झलका हसदा की लाश बरामद हुई। कथित तौर पर वह दिनांक 25 दिसंबर, 2014 से लापता था। यह आईपीसी की धारा 147/447/436/302 के तहत दर्ज मामला संख्या 01/2015 के संदर्भ में है। (प्रदर्श 186)

(घ) घात लगाना/हमला करना:

- I. दिनांक 2 नवंबर 2014 को लगभग 0935 बजे दारंज जिले के सिपझर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कहतौली में संदिग्ध एनडीएफबी (एस) के काडरों की आवाजाही के बारे में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 5 (पांच) व्यक्ति जिन पर एनडीएफबी (एस) के काडर होने का संदेह है वहां दो मोटरसाइकिलों पर आए और फिर पुलिस पार्टी ने उन्हें रोकने का संकेत दिया तो उन्होंने पुलिस पार्टी की ओर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। इसके परिणामस्वरूप एक संदिग्ध एनडीएफबी (एस) काडर नामतः बिमल राजबोंगशी (27) पुत्र नागेन राजबोंगशी, निवासी बामनझर, पुलिस स्टेशन सिपझर गोली लगने से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए मंगलदोई सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए जीएमसीवीएच रेफर कर दिया गया। पुलिस ने उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ खाली कारतूस और 2 (दो) मोटरसाइकिलें (एएस-23 ए/8384 और एएस-21 डी/3189) भी बरामद किए। यह सिपझर पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए)/27 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 353/307/34 के तहत मामला संख्या 675/2014 के संदर्भ में है। (प्रदर्श 138)

48. श्री बी ओनजालू उर्फ अभिराम बासुमात्र पूर्व महासचिव एनडीएफबी (आरडी) ने हलफनामे पर अपने साक्ष्य में कहा है कि वह एनडीएफबी (रंजन दैमारी समूह) के पूर्व महा सचिव हैं और उन्होंने दिनांक 27.01.2020 के एमओएस, एनडीएफबी गुटों की दिनांक 09.03.2020 को संयुक्त विघटन समारोह और नामोदिष्ट शिविरों को समाप्त करने के बारे में बताया। भारत सरकार और असम सरकार के वकील द्वारा अपनी जिरह में उन्होंने एनडीएफबी (आरडी) की ओर से पूर्व महासचिव के रूप में ट्रिब्यूनल के समक्ष हलफनामे में मुख्य रूप से साक्ष्य दाखिल करना स्वीकार किया। उन्होंने एनडीएफबी के ट्रिब्यूनल से कारण बताने का नोटिस मिला। उन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 23.11.2019 की राजपत्र अधिसूचना के बारे में जानकारी थी। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को काडर स्ट्रेथ की सूची सीधे केंद्र सरकार को नहीं सौंपी थी लेकिन उसे असम सरकार की असम पुलिस की विशेष शाखा के माध्यम से इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। इस सुझाव से इनकार किया कि एनडीएफबी (आरडी) के सभी काडर सदस्यों ने आत्मसमर्पण नहीं किया था और अपने हथियार नहीं रखे थे और उनमें से कुछ अभी भी विधिविरुद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं और उन्होंने सरकार के समक्ष अपने सभी हथियार और गोला-बारूद नहीं रखे थे और उनके साथ कुछ हथियार और उन्होंने कुछ हथियार और गोला-बारूद छिपाकर अपने पास रख लिए थे।

राज्य सरकार की ओर से जिरह

उन्हें संगठन द्वारा एनडीएफबी (आरडी) की ओर से हलफनामे पर प्रमुख में लिखित साक्ष्य दायर करने के लिए अधिकृत किया था क्योंकि इसके पूर्व महासचिव और पूर्व अध्यक्ष रंजन दैमारी जेल में हैं। समूह में चर्चा के आधार पर ट्रिब्यूनल से कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद यह प्राधिकार दिया गया था। एनडीएफबी में विभाजन वर्ष 2008 में अपने सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेदों और मांग पत्र प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप मतभेदों के कारण हुआ। यह सच नहीं है कि एनडीएफबी में विभाजन हुआ क्योंकि धीरे-धीरे बोरो समूह ने सरकार के साथ बातचीत शुरू की जिसे उनके गुट ने मंजूरी

नहीं दी। एनडीएफबी (आरडी) समूह ने वर्ष 2011 में एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की थी। उन्हें सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2011, 2012, 2013 आदि में एनडीएफबी की गैरकानूनी गतिविधियों का उल्लेख करने की जानकारी नहीं है। यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने श्री सिमांत कुमार दास द्वारा दायर हलफनामे पर अपने साक्ष्यों में असम सरकार के दावे से इनकार नहीं किया कि एनडीएफबी वर्ष 2011, 2012, 2013 आदि में गैर-कानूनी गतिविधियों में लगा हुआ था, क्योंकि उसे सरकारी अभिलेखों में इस तरह के उल्लेख के बारे में जानकारी नहीं है। श्री आईके सोंगबिजित ने एक और समूह का गठन किया क्योंकि वह शायद कुछ कठिनाइयों के कारण म्यांमार से नहीं आ सके। उन्हें श्री आईके सोंगबिजित के साथ किसी वैचारिक मतभेद की जानकारी नहीं थी और क्या सोंगबिजित ने सरकार के साथ बातचीत में अपनी व्यस्तता को नापसंद करने के कारण एक और समूह का गठन किया था। यह स्वीकार किया गया कि हलफनामे पर मुख्य रूप से अपने साक्ष्य में दिए गए उन आधारों को उन्होंने विशिष्ट रूप से इनकार नहीं किया जिनके बारे में केंद्र सरकार ने एनडीएफबी को गैरकानूनी संघ घोषित करने के लिए दिनांक 23.11.2019 की अधिसूचना में जोर देकर कहा था।

49. श्री सैकॉंग बासुमतरी उर्फबी सावरायेगवरा, पूर्व अध्यक्ष और एनडीएफबी(एस) के प्रतिनिधि ने हलफनामे में मुख्य रूप से अपने सबूतों में बताया कि वह पूर्व अध्यक्ष और अब भंग एनडीएफबी(एस) गुट के प्रतिनिधि हैं। उन्हें ट्रिब्यूनल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस मिला। उन्होंने दिनांक 27.01.2020 के समझौता ज्ञापन पर पिछले 27 वर्षों के भीतर तीसरा बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनडीएफबी के एकअन्य गुट सहित सभी काडरों ने दिनांक 30-01-2020 को अपने हथियार डाल दिए और दिनांक 09-03-2020 को सभी गुटों ने अपने संगठन एनडीएफबी को भंग कर दिया। उक्त तथ्य को काजलगांव के पुलिस अधीक्षक चिरांग ने स्वीकार किया। यह अधिसूचना एमओएस के कारण निष्फल हो गई है और यदि अधिसूचना लागू रहती है तो एमओएस का उद्देश्य निरस्त होजाएगा, इसलिए भी कि जब एनडीएफबी (एस) गुट ने बीटीसी के आगामी चुनाव में भागीदारों से एक व्यक्ति को पूर्व अध्यक्ष का अनुमान लगाया था। उन्होंने केंद्र सरकार से एनडीएफबी को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की अनुसूची 1 से एनडीएफबी को आतंकवादी संगठन के रूप में दर्शाने संबंधी एनडीएफबी को डिनोटिफाई करने के लिए कहा था।

50. केंद्र सरकार और असम राज्य दोनों के वकील द्वारा उनसे जिरह की गई। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने एनडीएफबी (एस) गुट के पूर्व अध्यक्ष के रूप में हलफनामे पर मुख्य रूप से अपने साक्ष्य दाखिल किए। जैसा कि केंद्र सरकार की दिनांक 23.11.2019 की अधिसूचना में दर्शाया गया है, एनडीएफबी को उसमें उल्लिखित गैरकानूनी घटनाओं के आधार पर गैरकानूनी संघ घोषित किया गया था। उन्होंने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने दिनांक 23-11-2019 की अधिसूचना में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए दावे को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया था, कि केंद्र सरकार की राय है कि एनडीएफबी की हिंसक गतिविधियों में जनवरी, 2015 से हिंसा की घटनाओं में 19 व्यक्तियों की हत्या करना और लगभग 62 हिंसक घटनाओं में संलिप्तता शामिल हैं। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि एनडीएफबी (एस) के सभी सदस्यों ने आत्मसमर्पण नहीं किया है और उनमें से कुछ अभी भी गैरकानूनी गतिविधियों में लगे हुए हैं और एनडीएफबी (एस) ने केवल कुछ हथियारों और गोला-बारूद कासमर्पण किया है हथियारों तथा बाकी गोला-बारूद को छुपा लिया है।

असम सरकार की ओर से जिरह

उन्होंने स्वीकार किया कि एनडीएफबी (एस), एनडीएफबी (आरडी) का एक टूटे हुए गुट है। बंटवारे के समय वह एनडीएफबी (आरडी) के राष्ट्रीय परिषद सदस्य नहीं थे, हालांकि, वह केवल एक काडर सदस्य थे। वैचारिक मतभेद फूट पड़ने का कारण था। उन्होंने वर्ष 2012 में एनडीएफबी (आरडी) समूह से पद छोड़ा था श्री आई.के. सोंगबिजित एनडीएफबी (आरडी) के अध्यक्ष थे। गुट को तोड़ने के समय युद्धविराम चल रहा था।

एनडीएफबी (एस) के सभी काडर सदस्यों ने दिनांक 30-01-2020 को हथियार समर्पण समारोह के शिलान्यास के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरे शब्दों में, अभी तक एनडीएफबी (एस) का कोई सदस्य नहीं है जिसे अभी आत्मसमर्पण करना है। सभी पांच व्यक्तियों जिनके नाम श्री प्रदर्श 410 में दर्शाए गए सभी पांच व्यक्ति नामतः श्री राजेन दैमरी, श्रीसंसुमा बासुमात्रे, श्री गंगाराम बासुमात्रे, श्री सुरजू ब्रह्मा और श्री सुकूराम ब्रह्मा एनडीएफबी (एस) के सदस्य हैं और वे अपने क्वारंटाइनके बाद अपने-अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन वहश्री शीबा बासुमात्रे उर्फ सुजलान के बारे में नहीं जानते हैं हालांकि समाचार-पत्र में उनके बारे में पढ़ा है। वह एनडीएफबी (एस) का सदस्य नहीं था।

एनडीएफबी (पी) (धीरेंद्र गुप) के पूर्व अध्यक्ष श्री धीरेंद्र बोरो ने भी हलफनामे पर प्रमुख रूप से अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और कहा कि वह एनडीएफबी (पी) धीरेंद्र समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। एनडीएफबी के उद्देश्य को स्वीकार करते हुए कहा कि बोरो और असम के अन्य स्वदेशी आदिवासी लोगों को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सत्तारूढ़ गुट द्वारा जबरन वर्चस्व से मुक्त किया जाए। संगठन पर प्रतिबंध लगाने और 2005 में उसके द्वारा हस्ताक्षरित युद्ध विराम के निष्पादन और दिनांक

27-01-2020 के बाद के समझौता ज्ञापन को स्वीकार किया। इसके अलावा एनडीएफबी के विघटन को स्वीकार किया। अपनी जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि वह एनडीएफबी (पी) के पूर्व अध्यक्ष हैं। अपनी जिरह में उन्होंने बताया कि उन्हें दिनांक 23.11.2019 की अधिसूचना की जानकारी है। वह उस तारीख को बताने में विफल रहे जिस तारीख को काडरों की सूची केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि एनडीएफबी के सभी काडरों ने आत्मसमर्पण नहीं किया।

उन्हें साक्ष्य और लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए एनडीएफबी (पी) (धीरेंद्र बोरो गुप) द्वारा अधिकृत किया गया था। दिनांक 09.03.2020 के बाद एनडीएफबी (पी) (धीरेंद्र बोरो) के अस्तित्व के बारे में सुझाव से इनकार किया। एनडीएफबी के अस्तित्व में आने से पहले वह बीएसएफ (बोरो सिक्वोरिटी फोर्स) के एक सदस्य थे। बीएसएफ और एनडीएफबी एक ही संघ हैं। लिखित बयान का सामना करने पर अपने लिखित बयान में 2004 में युद्धविराम के बाद से एनडीएफबी द्वारा की गई हिंसक गतिविधियों से इनकार न करने की बात स्वीकार की।

एनडीएफबी (पी) (धीरेंद्र बोरो गुप) और एनडीएफबी (आरडी) के बीच अंतर मौजूद था क्योंकि पूर्व ने संप्रभुता की मांग को छोड़ दिया था और इससे एनडीएफबी का बंटवारा हुआ था। प्रदर्श 405 से उन्होंने इनकार नहीं किया।

चर्चा और निष्कर्ष

52. श्री केयल, भारत के विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने अधिसूचना जारी करने में भारत सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने श्री पाण्डेय के साक्ष्यों का उल्लेख किया जिन्होंने कहा कि असम सरकार के इनपुट के आधार पर अधिसूचना जारी की गई थी। पुलिस अधिकारियों के रिकार्ड में दिए गए साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक संगठन के काडरों की गैरकानूनी गतिविधियों का संबंध है, गृह मंत्रालय में अधिकारियों को दी गई जानकारी प्रमाणिक है, उन्होंने यह सुझा भी उठाया कि अधिसूचना जारी करने के विरुद्ध आपत्ति व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के पास कोई आधार नहीं है क्योंकि वे एनडीएफबी के प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि वे या तो पूर्व महासचिव हैं या संगठन के पूर्व अध्यक्ष हैं। एनडीएफबी के काडरों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों के संबंध में लिखित आपत्तियां पूरी तरह से मौन हैं और न ही इससे कोई इनकार किया जा रहा है। समझौता ज्ञापन जो एक स्वीकार्य स्थिति है जो अधिसूचना जारी होने के बाद विकसित हुई है और अधिकरण द्वारा इस पर विचार करने का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता है। अधिसूचना में दिनांक 23.11.2014 को जारी की गई पूर्व अधिसूचना के बाद भी गैरकानूनी गतिविधियों की बात कही गई है। दिनांक 23.11.2014 के बाद और दिनांक 22.11.2019 से पहले संगठन के काडरों की गतिविधियों के संदर्भ में अधिसूचना के लिए विचार कर रहे हैं। भारत सरकार ने अधिसूचना में उल्लिखित आधारों के आधार पर इसे सही जारी किया है।

53. असम सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सैकिया ने श्री केयल के अनुरोध का समर्थन किया। संगठन के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 के तहत अधिकरण की पुष्टि का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एनडीएफबी संगठन को पहले ही भंग कर दिया गया है, श्री सैकिया ने कड़ी आपत्ति जताई। श्री सैकिया ने अपनी आपत्ति के समर्थन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 41 का संदर्भ दिया और बताया कि संगठन के विघटन के केवल औपचारिक कार्रवाई करने से इसे अस्तित्व से बाहर नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसे संगठन के प्रयोजनों के लिए कोई वास्तविक मिश्रण उसके किसी भी सदस्य के बीच बंद नहीं हो जाता। संदर्भाधीन अधिसूचना पर आपत्ति करने वाले तीनों व्यक्ति निश्चित रूप से एनडीएफबी के सदस्य थे। कथित तौर पर उन्होंने अपने-अपने गुटों को भंग कर दिया लेकिन उसके बाद नोटिस मिलने पर उन्होंने फिर से अधिसूचना की पुष्टि पर आपत्ति व्यक्त की, जिसने एनडीएफबी संगठन को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया। श्री सैकिया के अनुसार, इस न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुष्टि संबंधी आदेश या कोई भी आदेश विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 41 के अनुसार संगठन पर बाध्य होगा। श्री सैकिया ने अंत में अपना निवेदन समाप्त किया कि असम सरकार द्वारा भारत सरकार को दी जाने वाली जानकारी का आधार यह है कि संगठन के काडरों ने भारतीय भू-भाग से अध्यर्पण पर एक स्वतंत्र बोरोलैंड के निर्माण के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ आतंकवादी और विध्वंसक कृत्यों में स्वयं को शामिल किया। उक्त कृत्य गैरकानूनी गतिविधियां हैं जिससे भारत सरकार द्वारा इस संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित करना आवश्यक हो गया है।

54. एनडीएफबी (धीरेंद्र) और (आरडी) गुटों के विद्वान वकील सुश्री दैमरी ने अपना लिखित तर्क प्रस्तुत किया। दूसरी ओर श्री नरजरी ने अपना मौखिक तर्क प्रस्तुत किया। दोनों विद्वान वकील ने इस आधार पर संदर्भ के तहत अधिसूचना जारी करने का विरोध किया कि दिनांक 27-01-2020 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सभी गुटों के एनडीएफबी के काडरों ने आत्मसमर्पण पूर्व और आत्मसमर्पण के बाद के चरणों में काडरों संख्या को दर्शाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। हथियार

और गोला-बारूद भी सरेंडर कर दिए गए हैं। असम सरकार ने काडरों के बाद के कृत्यों से संतुष्ट होने के कारण नामोदिष्ट शिविरों को भी बंद कर दिया। वकील के अनुसार, काडरों ने पहले ही अलग राज्य का एजेंडा छोड़ने के बाद हिंसा को त्याग दिया। म्यांमार के आधार शिविरों में कोई सक्रिय काडर नहीं रहा। इस तर्क के समर्थन में यह कहा गया है कि अधिकांश पुलिस अधिकारियों ने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हिंसा का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है।

55. भारत सरकार और असम सरकार ने संगठन के काडरों के पुनर्वास का वादा किया था, जिसमें इसके द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत उन अपराधिक मामलों को छोड़ना शामिल है जो काडरों के विरुद्ध लंबित जघन्य प्रकृति के नहीं हैं। श्री पांडेय और श्री दास के साक्ष्य के संदर्भ में दोनों विद्वान वकीलों ने कहा कि काडरों द्वारा दोबारा हथियार उठाने की संभावना मात्र संदर्भाधीन अधिसूचना को जारी करना अधिसूचना में उल्लिखित आधारों से मेल नहीं खाता है और उक्त संभावित कारण संदर्भ की पुष्टि के लिए आधार नहीं हो सकता है। दोनों वकील ने अनुमान लगाया कि संगठन को भंग करने के बाद एनडीवीएफ जैसी कोई इकाई का कोई अस्तित्व नहीं है जो किसी भी आदेश द्वारा उक्त संगठन को बाध्य कर सके और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 41 को सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार दोनों विद्वान वकीलों ने मुख्य रूप से दिनांक 27-01-2020 के समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने और बाद में काडरों की ओर से किए गए कृत्यों के कारण संदर्भाधीन अधिसूचना की पुष्टि नहीं करने की मांग की थी।

56. मैंने विद्वान वकील द्वारा किए गए निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया है। एनडीएफबी गुटों के विद्वान वकील ने यह मुद्दा उठाया कि भारत सरकार और असम सरकार द्वारा दिनांक 27-01-2020 को समझौता ज्ञापन लागू करने के बाद अधिसूचना अप्रासंगिक हो गई है और समझौता ज्ञापन की शर्तों के आधार पर काडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने और गुट (संगठन) एनडीएफबी को भंग कर दिया। इस निवेदन का भारत सरकार और असम सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा इस आधार पर विरोध किया जाता है कि संदर्भाधीन अधिसूचना की संबंधित तारीख को समझौता ज्ञापन अस्तित्व में नहीं था। इसलिए एक आधार के रूप में विचार करने के लिए समझौता ज्ञापन का निष्पादन करने का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता बल्कि, विचार संगठन के काडरों के विध्वंसक कृत्य थे ताकि भारतीय क्षेत्र से अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बोरोलैंड को प्राप्त किया जा सके।

57. दिनांक 23.11.2019 की संदर्भाधीन अधिसूचना भारत सरकार द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के तहत अधिसूचना में उल्लिखित विशिष्ट आधारों पर गृह मंत्रालय के माध्यम से जारी की गई थी। उक्त धारा में यह निर्धारित किया गया है कि यदि केन्द्र सरकार की राय है कि कोई संगम विधिविरुद्ध है, या विधिविरुद्ध हो गया है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगम को गैरकानूनी घोषित कर सकती है और यह विनिर्दिष्ट करना अनिवार्य है कि इसे किस आधार पर जारी किया गया है और ऐसे अन्य विवरणों के रूप में केंद्र सरकार आवश्यक विचार कर सकती है। हालांकि ऐसी कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ट्रिब्यूनल ने धारा 4 के तहत किए गए आदेश के द्वारा अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि कर दी हो और शासकीय राजपत्र में यह आदेश प्रकाशित किया जाए।

58. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 में यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर यह अनिवार्य है कि संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए कारण मौजूद है या नहीं, का निर्णय लेने के उद्देश्य से अधिसूचना को ट्रिब्यूनल को भेजा जाए। संदर्भ प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल का यह अधिदेशित कर्तव्य है कि संबंधित संगम को कारण बताने के लिए बुलाया जाए कि संगम को विधिविरुद्ध घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद ट्रिब्यूनल जांच करेगा और ऐसी और जानकारी के लिए बुलाने के बाद, जैसा कि केंद्र सरकार या किसी आधिकारिक पदाधिकारी या संगम के सदस्य से आवश्यक हो सकता है, ट्रिब्यूनल के लिए यह अधिदेशित है कि वह संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए दिखाए गए कारणों की पर्याप्तता के संबंध में निर्णय ले।

59. भारत सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के उद्देश्य से यह राय दी कि एनडीएफबी एक अलग बोरोलैंड प्राप्त करने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से अवैध और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है। अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भूमिगत संगठनों के साथ गठबंधन कर रहा है, भारत सरकार और असम सरकार के प्राधिकारियों को नजरअंदाज करने वाली गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है और जबरन वसूली, अपहरण और नए काडरों आदि के अन्य कृत्यों सहित लोगों के बीच आतंक और दहशत फैला रहा है।

60. विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक के साक्ष्यों से यह पाया गया है कि दिनांक 23-11-2014 से 22-11-2019 तक आतंकवादी और विध्वंसक कृत्य, जबरन वसूली और अपहरण हुआ और उसके बाद भी संगठन के काडरों द्वारा कथित रूप से ये कृत्य किए जाते रहे हैं। एनडीएफबी के गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के रुख से ही पता चलता है कि दिनांक 27-01-2020 को समझौता ज्ञापन के बाद काडरों ने हिंसा का रास्ता त्याग दिया। दिनांक 23.11.2019 की अधिसूचना जारी करने में हिंसा के उक्त कृत्यों को समझौता ज्ञापन लागू करने से पहले आधार/कारण माना जाता है। उक्त कृत्य एनडीएफबी के काडरों के गैरकानूनी कृत्य हैं जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के दायरे में संगठन को गैरकानूनी संगठन के रूप में बदल रहे हैं। तदनुसार, एनडीएफबी और भारत सरकार और असम सरकार द्वारा दिनांक 27-01-2020 के समझौता ज्ञापन निष्पादित किए जाने के बाद भी इस संदर्भ में निर्णय लेना अधिकरण के क्षेत्राधिकार में है। एनडीएफबी (एस) का प्रतिनिधित्व करने वाले सैकॉंग बासुमतारी द्वारा लिखित आपत्ति में दिए गए उक्त कारण और अपने साक्ष्य में कहा गया है कि संगठन ने भारत सरकार के पास दायर याचिका में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) और धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत एनडीएफबी संगठन के नाम को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की अनुसूची-1 की सूची (आतंकवादी संगठन का क्रम संख्या 12) को डिनोटिफाइड करने और दिनांक 23 नवंबर, 2019 की का.आ. 4255(अ.) के तहत जारी राजपत्र अधिसूचना, जिसे इस न्यायाधिकरण को भेजा गया है, को वापस लेने के लिए आगे की प्रार्थना के साथ भारत सरकार के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है।

61. इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों से यह पाया गया है कि जनवरी 2015 से शुरू हुई अवधि के दौरान 34 (चौतीस) जबरन वसूली के मामले, 60 (साठ) मुठभेड़ों के मामले, 7 (सात) अपहरण के मामले और एनडीएफबी काडरों और सुरक्षा बलों से जुड़े घात लगाने के 1 (एक) मामले थे। इन मुठभेड़ों में मिश्रित हथियार और गोला-बारूद और एके सीरीज राइफलें भी बरामद हुईं। असम सरकार द्वारा रिकॉर्ड किया गया है कि संगठन के काडर बीटीएडी क्षेत्र में आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोगों की हत्याओं में शामिल हैं। संगठन के लिए गवाहों की क्रॉस जिरह में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उपरोक्त मामलों में संगठन के काडरों की मौजूदगी और 19 नागरिकों की हत्या से इंकार नहीं किया है जैसा कि भारत सरकार ने दिनांक 23.11.2019 की अधिसूचना में भी स्वीकार किया था।

62. उपरोक्त विध्वंसक कृत्य संगठन के काडरों द्वारा एक स्वतंत्र बोरोलैंड प्राप्त करने के लिए एक घोषित इरादे के साथ किए गए थे। यहां तक कि काडरों ने सुरक्षा बलों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध करना भी शुरू कर दिया। बोरोलैंड को भारतीय प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से आगे बढ़ने के लिए काडर सांप्रदायिक टकराव में लिप्त हो गए। फिरौती के लिए लोगों का अपहरण कर लिया गया। संगठन ने लोगों को आतंकित करने के लिए इस तरह के कृत्य किए ताकि समाज में भय की भावना प्रबल हो सके। उक्त कृत्य सशस्त्र संघर्ष को तेज करने के लिए संगठन के सदस्यों के दृढ़-संकल्प का संकेत देते हैं। यह संगठन लोगों को आतंकित करने के लिए ऐसे कृत्यों को अंजाम देने में लिप्त था ताकि भय की मनोवृत्ति उत्पन्न करके लोगों से जबरन वसूली या किसी अन्य मांग के माध्यम से धन की वसूली कर सके, जिसका परिणाम संगठन के लिए अनुकूल है, लेकिन समग्र रूप से समाज के लिए कष्टदायक है। संगठन उस क्रूरता को स्थापित करने में सफल रहा है जिसके साथ वह इसके द्वारा किए गए मिशन को संभालता है और इसके परिणामस्वरूप, जहां तक फिरौती का संबंध है, संगठन को अपहरण के अपने कृत्य से फायदा हुआ। यह आवश्यक नहीं है कि समाज के वाले लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए संगठन द्वारा विध्वंसक कृत्य बार-बार किए जाएं। तोड़फोड़ का उपर्युक्त कोई भी कृत्य जनसमुदाय, जहां संगठन का प्रभुत्व है, के बीच डर की लहर का कारण बनता है। भय की ऐसी लहर समाज की गति को परेशान करने वाली असामान्य घटना की स्थिति पैदा करने के लिए पर्याप्त है।

63. *हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य आदि बनाम - महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में आकाशवाणी 1994 उच्चतम न्यायालय 2623* में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने आतंकवाद शब्द को हिंसा की बढ़ती अराजकता और सांप्रदायिक हिंसा के रूप में व्यक्त किया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को अधिक प्रभावित करना या समाज के सद्भाव को बिगाड़ना या लोगों और समाज को "आतंकित" करना और न केवल उन पर सीधे हमला करना है, ताकि समाज की गति, शांति और सौहार्द में विघ्न डाला जा सके। अनुभव से पता चला है कि "आतंकवाद" आम तौर पर धमकियों से सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने या बनाए रखने का प्रयास होता है और अधिकांश लोगों या किसी भी वर्ग में लोगों के मन में भय और

लाचारी पैदा करता है और यह पूरी तरह से असामान्य घटना है। वर्तमान संदर्भ में इस पर चर्चा किए गए रिकार्ड के साक्ष्यों को पीछे मुड़कर देखें तो यह कहना पर्याप्त है कि असम राज्य के भीतर संगठन के गढ़ वाले जिलों में सामान्य वातावरण नहीं है।

64. संगठन एनडीएफबी का गठन वर्ष 1986 में हुआ था। कुछ शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एनडीएफबी ने दिनांक 15.10.2004 से एकतरफा संघर्ष-विराम की घोषणा की। भारत सरकार, असम सरकार और एनडीएफबी नेतृत्व के बीच दिनांक 01-06-2005 से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) के समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन श्री सिमंत दास के साक्ष्य के अनुसार, एसओओ के हस्ताक्षर किए जाने के बाद वर्ष 2005 के दौरान एनडीएफबी के काडर कई हिंसक घटनाओं में शामिल थे, जिनमें नागरिकों की हत्या की गई थी। एनडीएफबी के तत्कालीन महासचिव गोबिंदा बासुमतारी सहित असम में एनडीएफबी नेतृत्व ने संप्रभुता के मुद्दे को छोड़ते हुए मांग पत्र सौंपा। लेकिन ढाका में अपने ठिकाने पर डेरा डाले हुए एनडीएफबी के स्वयंभू अध्यक्ष श्री रंजन दैमरी ने संप्रभुता के मुद्दे को छोड़ने के कृत्य को स्वीकार नहीं किया और 2008 में एनडीएफबी (आरडी) गुट को जन्म देने वाले संगठन में वास्तविक विभाजन हुआ। इस गुट ने राज्य में हिंसक विध्वंसक कृत्यों में लिप्त होकर, नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एसएस के अध्यक्ष रंजन दैमरी को गिरफ्तार किया गया और इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2011 से शत्रुता की एकतरफा समाप्ति की घोषणा हुई। बाद में 29 नवंबर, 2013 को भारत और असम सरकार द्वारा ऑपरेशन स्थगित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जनवरी 2011 से नवंबर 2013 के बीच की अवधि में म्यांमार स्थित संगठन के नेता आई के सोंगबिजित ने फिर से अपने मकसद के लिए हिंसक संघर्ष जारी रखने का फैसला किया और एनडीएफबी (एस) गुट वर्ष 2013 से अस्तित्व में आया। सोंगबिजित गुट को म्यांमार में उल्फा (आई) और एनएससीएन (के) नेताओं से लॉजिस्टिक समर्थन मिला। शक्ति के इस प्रकार सुदृढ़ हो जाने के कारण आई.के. सोंगबिजित एनडीएफबी (आरडी) के पाखण्डी काडरों को प्रेरित करने में सफल रहे, जिन्होंने राज्य में हत्याओं, जबरन वसूली, अपहरण आदि का सहारा लेना शुरू कर दिया। उपरोक्त तथ्यों को एनडीएफबी के गवाहों द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया गया है।

65. इस प्रकार संगठन के भीतर गुटबाजी का अस्तित्व या तो विचारधारा के अंतर के कारण या किसी अन्य मामले के लिए पाया गया है। यह भी पाया गया है कि संगठन एनडीएफबी के तहत काडर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र बोरोलैंड के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सुर में थे। उक्त उद्देश्य को जनता की सहानुभूति मिली और इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त संख्या में युवा संगठन में शामिल हो गए या उन्होंने किसी अन्य तरीके से संगठन की सहायता की। इसके अलावा, जैसा कि एक पुलिस अधीक्षक ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व आत्मसमर्पण करने वाले एनडीएफबी काडरों ने एक समूह का गठन किया, विभिन्न गुटों के काडर के स्वतंत्र सदस्यों ने दिनांक 27-01-2020 के समझौता ज्ञापन के दायरे में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर किए गए एनडीएफबी काडरों का उक्त क्लस्टर किसी भी गुट से संबद्ध नहीं हैं। सोनितपुर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री मुग्धाज्योति देव महंत ने अपने क्रॉस जिरह में विशेष बयान दिया कि दिनांक 27.01.2020 के समझौता ज्ञापन पर के हस्ताक्षर के बाद सोनितपुर और विश्वनाथ जिलों में एनडीएफबी (एस) में भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक के साथ मेरी बातचीत के दौरान यह बताया गया कि उपरोक्त सूचना श्री महंत को एक बहुत ही विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हुई थी जिसे मैं स्वीकार करने से संतुष्ट हूँ। यह वक्तव्य एनडीएफबी (एस) के काडरों विशेष रूप से उपरोक्त दो जिलों के बीच बढ़ते मोहभंग का एक विशिष्ट संकेत है और यदि हम एनडीएफबी के इतिहास को पीछे मुड़कर देखें तो एक स्वतंत्र और संप्रभु बोरोलैंड के निर्माण के लिए एनडीएफबी के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने और सार्वजनिक सहानुभूति, विशेष रूप से और युवा पीढ़ी की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए एक नए गुट के अस्तित्व में आने की संभावना है। इस संबंध में श्री सिमंत दास का प्रमुख रूप से उनके साक्ष्य में दिया गया यह वक्तव्य कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार संगठन के कुछ सदस्य समझौता ज्ञापन से संतुष्ट नहीं हैं और यह उल्लेखनीय है कि संगठन के काडर अभी भी म्यांमार जैसी विदेशी धरती पर हैं।

66. संदर्भाधीन अधिसूचना का दिनांक 27-01-2020 की अधिसूचना से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि अधिकरण का संबंध अपेक्षित कानून से है जिसे संबंधित पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया जाना है। जमात-ए-इस्लामी हिंद-बनाम-भारत गणराज्य (सुप्रा) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी संगम की

गैरकानूनी गतिविधियां अक्सर गुप्त प्रकृति की हो सकती हैं और इसलिए गैरकानूनी गतिविधियों के सबूतों के स्रोत के लिए जनहित में गोपनीयता जारी रखने की जरूरत पड़ सकती है। संगठन या उसके पदाधिकारियों को ऐसी सूचना के स्रोत का प्रकटीकरण न करने की अनुमति दी जा सकती है और अधिनियम के अनुसार न्यायनिर्णयन के अपने कार्य को करने के लिए, अधिकरण सूचना की विश्वसनीयता का आकलन करने और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उसी पर विचार कर सकता है कि वह उस पर सुरक्षित रूप से कार्रवाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकरण एक उपयुक्त प्रक्रिया तैयार कर सकता है जिससे वह स्वयं ऐसी सामग्री की विश्वसनीयता की स्वयं जांच और परीक्षण कर सकता है, इससे पहले कि वह संगम को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए इसे स्वीकार करने का निर्णय ले सके। सामग्री को कड़ाई से केवल कानूनी सबूतों तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारियों के खुलासों पर न्यायनिर्णयन के अनुपात और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है।

67. भारत सरकार ने एनडीएफबी काडरों की दिनांक 23.11.2014 से बाद की पिछली गतिविधियों पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत दिनांक 23.11.2019 को अधिसूचना जारी की। दिनांक 23.11.2014 से पहले, भारत सरकार ने एनडीएफबी के काडरों की गतिविधियों पर विचार किया और दिनांक 23.11.2014 को अधिसूचना जारी की। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को आतंकी गतिविधियों से निपटने सहित भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध क्रियाकलापों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराने के इरादे से लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए अधिकरण का संदर्भ 23-11-2009 की अधिसूचना जारी करने के कारणों की पर्याप्तता की जांच करना है। स्वाभाविक रूप से इस अधिकरण द्वारा की जाने वाली छानबीन अधिनियम के दायरे में होनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए साक्ष्य के माध्यम से रिकार्ड में रखे गए विध्वंसक कृत्यों पर विचार किया जाना चाहिए। धारा 2 (क) में "संगम" को व्यक्तियों के किसी समूह या निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (ड.ग) में "व्यक्ति" को परिभाषित किया गया है जिसमें अन्य के साथ-साथ व्यक्तियों का कोई संगठन या संगम या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे वह निम्नित हो या नहीं, शामिल है। किसी व्यक्ति या संघ के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप को अधिनियम की धारा 2 (ण) के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

"विधिविरुद्ध क्रियाकलाप", से किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में, ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई (जो किसी कृत्य या शब्दों द्वारा, बोल कर या लिख कर या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिदर्शन द्वारा या अन्यथा की गई हो) अभिप्रेत है, -

- (i) जिसका आशय किसी भी आधार पर भारत के भू-भाग के किसी भाग के अध्यर्पण या संघ से भारत के भू-भाग के किसी भाग के विलगन को प्राप्त करना है या जो इससे संबंधित किसी दावे का समर्थन करता हो या जो ऐसे अध्यर्पण या विलगन को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उत्प्रेरित करता हो; या
- (ii) जो भारत की संप्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता के दावे को समाप्त करता हो, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता हो, उसमें विघ्न डालता हो या जिसका आशय उसमें विघ्न डालने का हो; या
- (iii) जो भारत के विरुद्ध अप्रीति कारित करता हो या जिसका आशय अप्रीति कारित करने का है।"

इसलिए श्री पांडेय द्वारा अपने जिरह में दिए गए बयान के अनुसार दिनांक 27-01-2020 के समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले काडर, संदर्भाधीन अधिसूचना से तब तक प्रभावित नहीं होंगे जब तक कि वे अधिनियम के अंतर्गत 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' की परिभाषा के दायरे में कोई विध्वंसक कृत्य या कोई कृत्य व्यक्तिगत रूप से या संगम बनाकर करने से स्वयं को नहीं रोकते। लेकिन उपरोक्त चर्चा के अनुसार, अधिकरण के समक्ष सामग्री रखी गई है कि एनडीएफबी के एक नए गुट के अस्तित्व में आने की पूरी संभावना है और मैं न्यायनिर्णयन के लिए भी ऐसी संभावना को ध्यान में रखने के लिए बाध्य हूँ।

68. समझौता ज्ञापन पर दिनांक 27-01-2020 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें विशेष रूप से एनडीएफबी के काडरों द्वारा हिंसक गतिविधियों को त्यागने के कार्य के बारे में विशेष रूप से कहा गया है। वे गतिविधियां एक सशस्त्र संघर्ष के रूप

में थीं ताकि संगठन एनडीएफबी के उद्देश्य में अंकित भारतीय प्रभुत्व से बाहर स्वतंत्र बोरोलैंड के घोषित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। दिनांक 23-11-2019 की अधिसूचना में उल्लिखित समझौता ज्ञापन और आधारों पर विचार करने पर, मैं यह कहने के लिए विवश हूँ कि एनडीएफबी काडर उस समय गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे जब दिनांक 23-11-2014 की अधिसूचना लागू थी। इसके अलावा उक्त दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की जाती है कि यदि बोडो लोगों की अच्छी खासी आवादी वाले सोनितपुर और विश्वनाथ जैसे दो जिलों में भर्ती प्रक्रिया के कृत्य पर विचार किया जाता है और इससे एक एनडीएफबी गुट के उद्भव की संभावना प्रकट होती है। दिनांक 23.11.2014 की अधिसूचना की घोषणा को बनाए रखने पर विचार करने के लिए काडरों के उक्त कृत्य अतिरिक्त आधार हैं। दिनांक 23.11.2014 के बाद की अवधि के दौरान और दिनांक 27-01-2020 से पहले मुठभेड़ों, घात लगाने, अपहरण आदि की घटनाएं हुई थीं और यदि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों पर विचार किया जाता है तो एनडीएफबी के काडर, चाहे वे किसी भी गुट के हों, इन घटनाओं में शामिल थे। उक्त काडरों ने एनडीएफबी के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विध्वंसक कृत्यों को अंजाम देते हुए संगठन एनडीएफबी के तहत स्वयं को शामिल किया जो कि अधिनियम के दायरे में कथित रूप से गैरकानूनी है।

69. एनडीएफबी के लिए गवाहों के साक्ष्य किसी भी ऐसी सामग्री को रिकार्ड में रखने में असफल रहे जो भारत सरकार और राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत आधारों से अधिक महत्वपूर्ण हो। साक्ष्य ज्यादातर दिनांक 27-01-2020 के समझौता ज्ञापन की शर्तों और हथियारों और गोला-बारूद के औपचारिक आत्मसमर्पण से संबंधित हैं। यह आश्चर्य की बात है कि औपचारिक आत्मसमर्पण के उक्त कृत्य के बाद भी निचले असम में एनडीएफबी काडरों के गढ़ वाले जिलों से हथियारों का पर्याप्त जखीरा बरामद किया जाता है जिन्हें छिपाकर रखा गया था। कोई भी गुट इस प्रकार बरामद किए गए हथियारों के कब्जे के तथ्य का दावा या खंडन नहीं करता है जो इस तथ्य की संभावना को दर्शाता है कि एनडीएफबी के भीतर गुटबाजी के कारण काडर स्वयं इस विषय में अंधेरे में हैं। यह पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए उपर्युक्त आकलन का समर्थन करता है। यदि जमीनी वास्तविकताओं पर किए गए आकलन के साथ-साथ रिकार्ड पर रखे गए आधारों तथा सहायक सामग्री पर व्यावहारिक रूप से विचार किया जाए तो उन आधारों को बनाए रखने के लिए ये पर्याप्त हैं जिनके आधार पर दिनांक 23 नवंबर 2019 को का.आ. 4255 (अ.) के तहत श्री सत्येंद्र गर्ग संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संदर्भाधीन अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

70. अधिनियम, 1967 की धारा 2(त) के अनुसार "विधिविरुद्ध संगम" का स्पष्टीकरण यहां नीचे पुनः पेश किया गया है:-

"विधिविरुद्ध संगम" से कोई ऐसा संगम अभिप्रेत है,-

- (i) जो अपने उद्देश्य के लिए कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करता है या जो किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है या उसमें सहयोग करता है या जिसके सदस्य ऐसे क्रियाकलाप करते हैं; या
- (ii) जो अपने उद्देश्य के लिए ऐसे क्रियाकलाप करता है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153क या धारा 153ख के अंतर्गत दंडनीय है या जिसके सदस्य ऐसे क्रियाकलाप करते हैं: परंतु यह कि उप खंड (ii) में अंतर्विष्ट कोई भी बात जम्मू एवं कश्मीर राज्य को लागू नहीं होगी।"

71. यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और इसलिए संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) एक गैरकानूनी संगठन है। संदर्भ के निर्णय में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सत्येंद्र गर्ग द्वारा का.आ. 4255(अ) के तहत जारी की गई दिनांक 23 नवंबर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना में घोषणा की पुष्टि की जाती है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार डेका

पीठासीन अधिकारी

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण

एनडीएफबी के मामले में

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3188(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri Prasanta Kumar Deka, Judge, Gauhati High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) of Assam as unlawful, is published for general information:

[F. No.11011/04/2019-NE.V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL**AAI BUILDING, MAGISTRATE'S COLONY, HADAYTPUR, GUWAHATI**IN THE MATTER OF :**NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF BODOLAND (NDFB)****BEFORE****HON'BLE MR JUSTICE PRASANTA KUMAR DEKA****Presiding Officer**

For the State of Assam	:	Mr. D. Saikia, Senior Advocate Mr. P. Nayak, Advocate Mr. A. Chaliha, Advocate.
For the Union of India	:	Mr. S. C. Keyal, Assistant Solicitor General of India.
For the NDFB (RD) & NDFB(Dhirendra Boro Group)	:	Ms. N. Daimari, Advocate.
For the NDFB (S) Group	:	Mr. A. Narzari, Advocate.
Date of hearing/argument	:	01.08.2020
Date of adjudication	:	18.08.2020

ORDER

1. On 23rd November, 2019, a Notification being S.O. 4255(E) was issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to the effect that the Central Government was of the opinion that the activities of the National Democratic Front of Bodoland (hereinafter referred to as NDFB) were detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association.

2. The Central Government was also of the opinion that if there is no immediate curb and control of the unlawful activities of NDFB, the organization may re-group and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds and endanger the lives of innocent citizens and security forces personnel and therefore existing circumstances rendered it necessary to declare the NDFB, along with all its groups, factions and front organizations as an unlawful association with immediate effect. Accordingly, in exercise of powers conferred by Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967(hereinafter referred to as the Act), the Central Government declared NDFB, along with all its groups, factions and front organizations as an unlawful association.

3. The Central Government was also of the opinion that it was necessary to declare the NDFB to be an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act, the Central Government directed that the notification shall,

subject to any order made under section 4 of the Act, would have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

4. For the purposes of Section 3(1) of the Act, the Central Government was of the opinion that the NDFB has been: (i) indulging in illegal and violent activities intended to disrupt, or which may disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland; (ii) aligning itself with other unlawful associations of the North Eastern Region in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland; (iii) engaging in unlawful and violent activities thereby undermining the authority of the Government of India and the Government of Assam and spreading terror and panic among the people; (iv) indulging in extortion of money from various sections of the society with a view to financing and executing its plans for the creation of a separate Bodoland; (v) embarking on a systematic drive for recruitment of fresh cadres with a view to continuing its terrorist and insurgency activities; (vi) creating carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property of non-Bodos inhabiting the Bodo dominated areas in Assam with a view to spreading panic and insecurity among the non-Bodos; (vii) establishing camps and hideouts across the country's border to carry out its secessionist activities; and (viii) obtaining assistance from anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance in its struggle for the creation of a separate Bodoland.

5. The Central Government is of further opinion that the unlawful and violent activities which are attributed to NDFB include- (i) killing of 19 (nineteen) civilians in incidents of violence since January, 2015; and (ii) involvement in about 62 (sixty-two) violent incidents since January, 2015 in which 55 (fifty-five) extremists have been killed, 450 (four hundred fifty) extremists have been arrested and 444 (four hundred forty-four) arms have been recovered from them.

6. Under these circumstances, and in exercise of powers conferred by Section 5(1) of the Act, "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" was constituted by a notification being S.O. 4577(E) dated 20th December, 2019 issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India for the purpose of adjudicating whether or not there were sufficient cause of declaring the NDFB as Unlawful Association. By virtue of Section 4(3) of the Act, the Tribunal was required to adjudicate whether or not there was sufficient cause for declaring the NDFB as an unlawful association within the meaning of the expression defined under Section 2(p) of the Act, by holding an inquiry.

7. In support of its case, the Central Government made a reference to the Tribunal and submitted a resume regarding the aims/objectives and violent activities of NDFB.

8. The reference was received by the Registrar of the Tribunal on 20.12.2019. The reference was placed before the Tribunal on 02.1.2020, after winter vacation of the Hon'ble Gauhati High Court. Having received it, vide order dated 02.1.2020, this Tribunal deemed it fit to direct the issuance of letter to inform the Government of Assam to provide a venue for the Tribunal along with infrastructure to initiate the proceedings. Accordingly, the Government of Assam allotted a venue for the Tribunal on 02.3.2020. Thereafter, the Tribunal listed the reference for preliminary hearing on 14.3.2020. After recording satisfaction on perusal of materials placed by the Central Government and hearing the representatives of the Ministry of Home Affairs, UOI, Department of Home and Political, Government of Assam and of Assam Police, notice under Section 4(2) of the Act was ordered to be issued to the NDFB to show cause within 30 days from the date of service of the notice as to why the said Association should not be declared unlawful and why order should not be made confirming the declaration under Section 3(1) of the Act. Notice was directed to be served in the following manner:-

- (a) By Speed Post/Registered A/D at the last known address of NDFB along with all their factions, wings and front organizations as well as that of their principal office bearers.
- (b) Service of notice on the office bearers of the NDFB in Assam at its addresses, if any or if under detention, through the Superintendent (Jail) concerned.
- (c) Publication along with a copy of the Gazette Notification dated 23rd November, 2019 in three daily newspapers, one in a National Newspaper (in English) and the other two in prominent local newspaper (vernacular) in Assamese and in Bodo respectively, having wide circulation in the areas where the activities of the NDFB are ordinarily carried on, within 14 days from today.

- (d) Affixation of the notice along with a copy of the Gazette notification dated 23rd November, 2019, at the last known addresses of the NDFB along with all their factions, wings and front organizations as well as their principal office bearers.
- (e) Proclamation by beating of drums as well as loudspeakers about the contents of the notice and the Gazette notification dated 23rd November, 2019, in the areas in which the activities of the NDFB were or are ordinarily carried on.
- (f) Displaying the notice along with a copy of the Gazette notification dated 23rd November, 2019, on the notice Board of the Deputy Commissioner, SDM and Superintendent of Police in all the entire district headquarters of the state (s) where the activities of NDFB were or are believed to be ordinarily carried on.
- (g) Serving of notice on the Government of Assam through its Chief Secretary.
- (h) Announcement of notice and the gazette notification dated 23rd November, 2019 in All India Radio/electronic media at the prime time and shall also be pasted at the prominent places in the states where the activities of NDFB were or are believed to be carried on.
- (i) Affixing copies of the notice at some conspicuous parts of the offices, if any, of NDFB.
- (j) Publishing on the website of Ministry of Home Affairs, UOI and of the Department of Home and Political, Government of Assam
- (k) Any other possible modes, including e-mails etc.

9. The next date of hearing was fixed on 2nd of May, 2020 at 10:30 a.m. at the office of the Tribunal, in AAI Building, Magistrate Colony, Hedayatpur, Guwahati.

10. Pursuant to the order dated 14th March, 2020, Sri Simanta Kumar Das, Joint Secretary to the Government of Assam, Home and Political Department filed an affidavit on 30th of April, 2020 before the Registrar of the Tribunal on behalf of the State of Assam regarding service of notice on NDFB by different modes including publication, which was placed before the Tribunal on 02nd of May, 2020. Similarly, Sri R. K. Pandey, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, North Block, NE Division, had filed an affidavit dated 30th of April, 2020, on behalf of the Central Government, regarding due service of notice on NDFB as directed by the Tribunal. In the proceeding dated, 02nd of May, 2020 before the Tribunal, considering the submissions made by the Ld. Counsel of the Central Government and of the Government of Assam and on perusal of the affidavits along with the records showing the manner in which the notice was served upon NDFB, it was held that the show cause notice as required under Section 4(2) of the Act has been duly served upon NDFB.

11. After receipt of notice, Smti Neothwnsona Daimari, the Ld. Advocate representing two factions of NDFB, i.e NDFB (Ranjan Daimari) (hereinafter referred as NDFB (RD)) and NDFB(Progressive) (Dhirendra Boro) (hereinafter referred as NDFB (Dhirendra Boro)), and Sri Austin Narzary, the Ld. Advocate representing NDFB(Songbijit Group) (hereinafter referred as NDFB (S)), have appeared before the Tribunal on 02.5.2020. However, the remaining faction of NDFB i.e. NDFB (P)(Govinda Basumatary) remained absent throughout the proceeding, even after due service of notice. As such, the matter proceeded ex-parte against NDFB(Progressive) led by Gobinda Basumatary.

12. The Ld. Advocate, representing NDFB(S) filed its written statement i.e. the show cause reply in the form of an affidavit on 02.5.2020, stating therein, *inter alia*, that the Gazette Notification dated 23.11.2019 is infructuous as it has lost its significance pursuant to the signing of the Memorandum of Settlement dated 27.01.2020, laying down of arms on 30.1.2020 and after the disbandment of NDFB (S) on 09.3.2020. Likewise, the Ld. Advocate representing NDFB (RD) and NDFB(P)(Dhirendra Boro), sought leave of the Tribunal for filing their show cause reply on another date as the same could not be prepared due to lockdown. After getting the permission of the Tribunal, the joint written statement (show-cause reply) of the aforesaid two factions of NDFB i.e. NDFB (RD) and NDFB (Dhirendra Boro), was filed on 04.5.2020 in the form of an affidavit, wherein, *inter alia*, it is mentioned that the organization should not be termed as unlawful association on the basis of the spirit of the Memorandum of Settlement dated 27.01.2020, laying down of arms and the disbandment of the organization.

13. The Government of Assam, through its authorized representative, Sri Simanta Kumar Das, Joint Secretary, Home and Political Department, filed an affidavit-in-reply in response to the above mentioned written statements of the NDFB groups on 08.5.2020 and also filed an additional –affidavit-in-reply to the said written statements on 16.05.2020.

14. Sri R.K Pandey, Deputy Secretary in the Government of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi had filed an evidence on affidavit dtd. 06.5.2020 on behalf of the Central Government before the Tribunal, on 09.05.2020. The Ld. Advocates representing the NDFB factions cross examined Sri R.K Pandey on oath. The cross examination took place by way of video conferencing on 12.5.2020 due to lockdown owing to COVID-19 pandemic situation, in the presence of the Ld. Advocates of the Central Government as well as the Govt. of Assam.

15. The Ld Advocates representing the afore-mentioned NDFB factions have filed the evidence on affidavits of their witnesses on 12.05.2020. After taking leave of the Tribunal, additional evidence on affidavit of the said witnesses were filed on 15.06.2020 before the Tribunal. They have adduced altogether three witnesses, namely, Sri Dharendra Boro, Sri B. Ohnjalu @Abhiram Basumatary and Sri Saikong Basumatary. On the other hand, the Government of Assam through Sri Simanta Kr. Das, Joint Secretary, submitted evidence on affidavit along with exhibits on 23.05.2020. In addition to that, on the same date, the Superintendents of Police of 12 districts of Assam, where cases against NDFB have been registered, submitted their sworn evidence-on-affidavits in support of the contents of the documents produced.

16. The opinion of this Tribunal is required to be delivered as expeditiously as possible and in any case within a period of six months from the date of issue of the notification under sub-section (1) of section 3 of the Act. The notification was issued on 23.11.2019 and the period of six months expired on 23.5.2020. In the meantime, the Central Government had imposed nationwide lockdown due to COVID-19 pandemic. The Apex Court vide order dated 23.03.2020 extended the limitation period w.e.f 15.3.2020 until further order in Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 3/2020 in Re : Cognizance for Extension of Limitation. The said order was passed under Article 141 of the Constitution of India and it binds this Tribunal. Accordingly, the prescribed period of six months stands extended until further order by the Apex Court in terms of the order dtd.23.3.2020.

17. The Tribunal had fixed 12.05.2020, 09.05.2020, 28.05.2020, 30.5.2020, 01.06.2020, 06.6.2020, 09.06.2020, 24.6.2020 for evidence from both sides. After the closure of evidence, initially the date 01.07.2020 was fixed for argument. But due to imposition of total lockdown in the district of Kamrup (M) (i.e Guwahati City), inter-district movement of people was restricted. As a result, the Ld. Advocates who reside in other districts could not appear before the Tribunal on 01.07.2020 as well as on subsequent date i.e on 18.07.2020. Adjournments were accordingly allowed. Finally, arguments were heard on 01.08.2020 from the Ld. Assistant Solicitor General of India, Sri Subhash Chandra Keyal, representing the Central Government and Ld. Senior Counsel Sri Devajit Saikia representing the Government of Assam in this proceeding, as well as from Smti Neothwnsona Daimari, the Ld. Advocate representing two factions of NDFB, i.e NDFB(RD) and NDFB (Dhirendra Boro), and from Sri Austin Narzary, the Ld. Advocate representing NDFB (S).

18. The Tribunal fixed 10.08.2020 for delivery of final order in the matter of NDFB , but same could not be prepared due to the restrictions imposed by the State Government owing to COVID-19. All the proceedings took place in the office of the Tribunal. No public citizen participated in the inquiry. NDFB (Govinda Basumatary group) remained ex-parte till the final disposal.

19. The notification under reference before the Tribunal had declared NDFB as an unlawful organisation U/S 3(1) of the Act. The reference is made under Section 4 of the Act for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful. The nature of inquiry contemplated by the Tribunal can very well be gathered, as held by the Apex Court in ***Jamaat-E-Islami Hind –Vs- Union of India*** reported in (1995) 1 SCC 428 which requires it to weigh the materials on which the notification under sub-Section (1) of Section 3 of the Act is issued by the Central Government, the cause shown by the Association in reply to the notice issued to it and take into consideration such further information which it may call for, to decide the existence of sufficient cause for declaring the Association to be unlawful. The entire procedure contemplates an objective determination made on the basis of materials placed before the Tribunal by the two sides, and the inquiry is in the nature of adjudication of a lis between two parties, the outcome of which depends on the weight of the materials produced by them. The determination requires the Tribunal to reach the conclusion that the materials to

support the declaration outweighs the material against it and the additional weight to support the declaration is sufficient to sustain it. The test of greater probability appears to be the pragmatic test applicable in the context.

20. The said NDFB factions objected against the issuance of the Gazette Notification vide No. 4255 (E) dated 23rd day of November, 2019 issued by the Government of India under Sub-Section (1) of Section 3 of the Act. The reasons for such objection are :-

- (i) On 11.01.2020 all the leaders of NDFB including those of the various factions crossed over to India from their base camps in Myanmar with an expectation to come over ground by giving up arms and to join the peace talk with the Government of India. This was followed by the entire remaining cadres of the outfit.
- (ii) The Tripartite Suspension of Operation Agreement signed between the Joint Secretary (NE) MHA, Government of India, Commissioner & Secretary, Home & Political, Government of Assam and factional head of NDFB(S).
- (iii) The Memorandum of Settlement dated 27.01.2020 arrived amongst the various NDFB factions, All Bodo Students Union (ABSU), State of Assam represented by the Chief Secretary and the Government of India by the Joint Secretary (NE) MHA. The said execution of the Memorandum of Settlement was witnessed by the Chief Executive Member, BTC, Cabinet Minister, Assam and the Chief Minister, Assam. The NDFB cadres assured abjuring of violence and join the mainstream of the society.
- (iv) All the four factions of NDFB disbanded the organization NDFB as per clause 9.1 of the Memorandum of Settlement dated 27.01.2020. There exists no entity/organization under the name and style "National Democratic Front of Boroland".
- (v) The provisions of the Act are not applicable to the disbanded organization, NDFB when all its members surrendered and disbanded the outfit in terms of the Memorandum of Settlement.

21. It would not be out of place to make an observation here that in the written objections there were no denial of the grounds mentioned in the notification under reference based on which the Government of India drew its satisfaction for issuance of the same dated 23.11.2019.

22. Sri R. K. Pandey, the Deputy Secretary in the Government of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi submitted his evidence in chief on affidavit. It is stated that the NDFB was initially declared unlawful association w.e.f. 23.11.1992 under the Act and the said declaration was extended from time to time. The outfit had a virtual split in its General Assembly held in December 2008 viz NDFB (Pro Talk) led by Dharendra Boro NDFB(P) and NDFB (Anti Talk) led by Ranjan Daimary, NDFB(RD). NDFB(P) was ready to settle its demand within the framework of the Constitution of India and NDFB(RD) insisted for sovereignty of the Bodoland.

23. In August 2012 another faction called NDFB (Songbijit) emerged led by I.K.Songbijit, NDFB(S) who was former self styled Commander-In-Chief of NDFB(RD) and continued the violence in Assam. This faction was later on led by Saoraigwra.

24. NDFB(P) and NDFB(RD) entered into suspension of operation respectively in May, 2005 and November 2013. NDFB(S) also signed a tripartite suspension of operation with Government of India and Government of Assam on 16.01.2020. He admitted the fact of signing of Memorandum of Settlement on 27.01.2020. As per the terms of the Settlement NDFB factions dissolved their respective factions originating from NDFB in March 2020.

25. The cadres of NDFB(P) and NDFB(RD) were lodged respectively in three and two numbers of designated camps at Kokrajhar and Baksa districts. The NDFB(S) faction through its cadres was active in the Bodo Territorial Areas District (BTAD) targeting non-Bodos (particularly Hindi speaking and Muslim Community) and adjoining areas of BTAD. The NDFB(S) had its camp in Taga area in Myanmar. The Myanmar Army in its operation in January 2019 against the various militant outfits of North East India, apprehended several NDFB(S) cadres. The outfit in addition to its bases in Myanmar attempted to establish its bases in Bangladesh and Bhutan. The operational strategy of the NDFB(S) in alliance with other outfits, was to target security forces and non tribal people in BTAD areas. The source of funds were kidnapping, extortions, taxations etc. The top ranking NDFB cadres have bases in Myanmar hideouts engaging in

extortion, kidnappings, recruitment of fresh youths for the outfit and activities prejudicial to the integrity and sovereignty of the country.

26. The Government of Assam, Ministry of Defence, Intelligence Bureau, Cabinet Secretariat (Research and Analysis Wing), Central Reserve Police Force and Border Security Force had recommended the continuance of the declaration of NDFB as an “Unlawful association” beyond 22.11.2019. Accordingly on the basis of the said recommendation the Notification dated 23.11.2019 under reference was issued.

27. Both the learned counsel appearing for the NDFB factions cross-examined Sri Pandey through video conferencing on 12.05.2020 which was recorded by Commissioner. In his cross examination he stated that at the time of issuance of the notification all the factions were not disbanded as alleged. Central Government wants safeguard from the possibility of future organisations taking part in unlawful activities with similar objective as that of NDFB. He stated about the various incidents of violence during the period 23.11.2014 to 12.06.2019. Even after suspension of operation entered in May 2005 and November, 2013 series of unlawful incidents occurred. Memorandum of settlement is applicable to those who came for peace talk and absolved violence and unlawful activities.

28. Sri Simanta Kumar Das, Joint Secretary to the Government of Assam in Home & Political Department submitted the detailed evidence on affidavit. He stated that NDFB (originally known as Bodo Security Force) was formed on 03.10.1986 with the avowed aim and objectives of liberating the Bodo inhabited areas of Assam from India and to form an Independent and Sovereign Bodoland through armed struggle. The NDFB in pursuance of its secessionist objective indulged in large scale terrorist and subversive acts in the Bodo inhabited areas within the districts of Kokrajhar, Sonitpur, Chirang, Udalguri, Baksa, Barpeta and Bongaigaon. Such acts caused widespread panic and a sense of insecurity enveloped the non Bodo people. Keeping in view the objective of the outfit, NDFB was declared as an unlawful association under the Act vide the Government of India Notification dated 23.11.1992. The ban imposed on NDFB was extended time to time and the last extension was vide Notification No. S.O. 2956 (E) dated November 23rd, 2014 and confirmed by the Tribunal on 07.08.2015 for a period of five years. Upon expiry of the said notification, the present one dated 23rd November 2019 was issued on the basis of various grounds referred in the notification itself. During the last period of ban from 23.11.2014 to 22.11.2019, the NDFB was involved in 129 incidents which resulted in death of 85 civilians and 1 (one) security force personnel and kidnapping of 09 persons. During the said period 1292 NDFB cadres alongwith linkmen were arrested and recovered different assorted arms from their possession.

29. Sri Das relying the debriefing statements of top leaders of the outfit stated in the evidence on affidavit as follows:-

“(25) It is pertinent to mention here that the then anti-talk faction of NDFB under the leadership of Saoraigwra was referred to as NDFB (S) for operational reasons and convenience only. However, the entity of NDFB including all factions viz. NDFB (S), NDFB (P) and NDFB (RD) as a whole remains the same singular unlawful association.

(26) The activities of the NDFB(S) was aimed at asserting itself as a group that continued with the armed struggle for sovereign Bodoland. While the other two Bodo militant groups, namely the NDFB (P) and the NDFB (RD), were engaged in peace process with the Government to find a political solution to their demands. There were instances that even the NDFB (RD) had been engaged in unlawful activities violating agreed ground rules by participating in agitational programmes, carrying weapons, extortion and attacking civilians etc.

(27) The formation of “**United National Front of West of South East Asia (UNFLW)**”, (April, 2015) a conglomerate of all the major extremist groups of North-East viz. NDFB(S), ULFA(I), KLO with S.S. Khaplang, chief of NSCN(K) as the Chairman of the joint groups was an ominous sign during the prevailing scenario, at that time since NSCN(K) had distracted from ceasefire. The Joint group UNFLW was formed with the ulterior objective to cause subversive activities, extortion, and arms transshipment etc. with the mutual support of each group forming the conglomerate in the influential areas of their respective zones. Possibility of launching joint operation attacking big target had increased. Distraction of NSCN(K) from the peace process had implications in areas of influence of the stakeholders of the United National Liberation Front of West of South East Asia

(UNLFW). Since the conglomerate was formed in Myanmar consisting of the major militant outfits of the north east including ULFA(I), NDFB(S) and KLO under the Chairmanship of S.S. Khaplang with the objective to liberate with a view to fight jointly for the causes of the member outfits. Orchestrated attack on SF and on the defence installations was also in the agenda of the conglomerate.

(28) Formation of PDCK

After losing the chairmanship of NDFB (S), I.K. Songbijit was suffering from frustration and depression, under the guidance and sponsorship of NSCN (K), specially from SS Khaplang, I.K. Songbijit formed this new Karbi militant outfit consisting of 10/12 Karbi youth (approx) in Taka Camp in June / July 2015 harping on the issue of sovereign Karbi land. Subsequently, PDCK has been incorporated in UNLFW in 2018.

(29) Further the life time conviction of Ranjan Doimary and his associates by the CBI special court on 30-01-2019 in connection with serial blast incident of 30th October, 2008 had generated disgruntlement in the hierarchy of the outfit.

(30) Nexus with foreign Intelligence Agencies :-

As per debriefing statement of surrendered NDFB(S) Foreign Secretary N. Esara, there was also a resolution on the part of UNLFW to take assistance from third nation to fulfill and achieve the goal of UNLFW. Accordingly, UNLFW first preferred China to seek for assistance. Paresh Baruah and Yung Aung @ Thoiba contacted Chinese authority. However, the Chinese refused to provide assistance directly or indirectly.

As an alternative, UNLFW looked for establishing nexus with Pakistan at any cost at the earliest. BR Ferenga (GS, NDFB-S) was entrusted upon with this task. So, BR Ferenga discussed the issue with KYKL (N. Oken, President and Afayaba, Foreign Secretary). KYKL reportedly availed assistance from Pakistan (ISI) since long back. Therefore, KYKL agreed and assured to help in this matter. After contact it was learnt that UNLFW might contact with ISI within 15 days. Accordingly, UNLFW constituted one delegate committee which included one member from each member outfits (NSCN-K, ULFA-I, NDFB-S, KLO, PDCK and NLFT) and directed all concerns to prepare all necessary documents. Niki Sumi assured to provide all financial support, in fact he was ready to provide money. These were the developments during 15th July to 01st August, 2018 during the tenure of Khango Konyak's chairmanship of NSCN(K).

It was learnt that Pakistan (ISI) was providing all sorts of assistance to all outfit groups fighting against India. Pakistan (ISI) was offering assistance to such groups financially, providing arms ammunitions and explosives. Pakistan (ISI) desired such groups to destroy more and more Indian Government's properties, railways, bridges, Army, Police and security forces, oil refineries and other Government properties. However, the plan could not be executed due to two main reasons – i) impeachment of Khango Konyak from NSCN(K) and ii) Attack in Taka Camp by Indian and Myanmar Army jointly.

(31) About Bangladesh Base:-

During tenure as Foreign Secretary of NDFB(S), N. Esara contacted with KYKL leadership (Afayaba, Foreign Secretary) and expressed NDFB(S)'s desire to establish base camp in Bangladesh. KYKL also agreed and assured assistance from their ends. For this reason, he had to visit Taka Camp to finalize the deal in the middle of January'2019. Due to adverse situation, the deal remain incomplete.

(32) Operational Strategy:-

As per statement made by surrendered Foreign Secretary of NDFB(S), N. Esara, in BTAD areas operation was conducted by NDFB(S) alone. In border and outside areas, NDFB(S) conducted joint operations with allied parties. Their main target was Indian Security Forces and Police and non-tribal people in BTAD areas. Source of funds in general, were from kidnapping, extortions, taxation and donations from well-wishers.

NDFB(S) procured arms/ ammunitions through snatching from security personnel, by attacking Police Stations, Force Battalions and Police Reserves and also through purchase. For recruitment, active NDFB(S) cadres in Assam, generally motivated Bodo youths over phone, including those working outside the State and motivated them in joining NDFB(S). The agreed youths were sent to the base camps in Myanmar for training. In this regard, Naga people assisted in crossing Indo-Myanmar border via either i) Dimapur to Mon route or ii) Dimapur to Tuensang route. Generally, new recruits were required to stay in Myanmar for three years after training, unless they were specially called for specific purpose in land. After three years, they were sent back to Assam for operational tasks.

(33) Attempt to set up operational base in Bhutan and Bangladesh

NDFB(S) leadership contacted Bhutanese authorities to seek their permission for setting up an operational base in Bhutan. NDFB(S) vice chairman G. Bidei desperate to get a tactical foothold inside Bhutan to launch operation in Assam besides evading actions by Indian SFs.

Alternatively Myanmar based leaders of the outfit also initiated steps to rebuild their base in Bangladesh with NLFT (B), the long remaining active insurgent group of Tripura in Chittagong hill track region.

(34) Recruitment and training in foreign soil : -

The NDFB leadership continued recruitment of new cadres for their organization with a view to strengthening their organizational base for achieving their ideology of creating sovereign Bodoland. During cessation of hostilities also, the outfit had recruited number of youths from different parts of the State for the organization. The NDFB (S) had set up their GHQ (General Head quarter) and training camp in Taka, Myanmar under patronisation of NSCN(K) and Meitei militant outfits. The new recruits were sent to Myanmar in batches for undergoing training in handling of arms, explosives etc. The outfit also concentrated on recruiting of educated youths.

The NDFB (S) in Taga area and its unit stationed near Thorillo in the NSCN (K)'s Konyak region in Myanmar were coordinating movement of a large group of NDFB (S) cadres. The training included – PT, drill, arms drill, arms handling, obstacles, climbing, etc. Amongst arms, all AK series rifles, HK, M-16, MQ, AK-81, Pistol, RPG, Launcher weapon and LMG. In Taka areas, there were camps of – ULFA(I), NSCN(K), KYKL, KCP, PREPAK, PREPAK (VC), KLO, PLA, MPA (UNLF) adjacent to the NDFB(S) Camp.

The 42 no. batch of NDFB(S) underwent arms training in Lungmak Training Centre of the outfit under 4 (four) instructors, that started from 24-12-2014 to 28-02-2015. Total NDFB(S) recruits were 100 (82 males and 18 females). A five member group of KYKL were also undergoing training with them. Training included Physical Training, drill, handling of various sophisticated weapons viz. AK-series rifles, M-16, HK-33, MQ-81.

Spurt of recruitment drive was taking place from BTAD as it was the stronghold of the group which had a widespread network of OGWs and sympathizers.

(35) Holding of General Council meeting of NDFB(S)

In August, 2015, the General Council meeting of NDFB(S) was held in Taka for three days. In that meeting NE Esara was assigned as Foreign Secretary of NDFB(S) and I Sulung. as Publicity Secretary.

(36) Arms strength of GHQ of NDFB(S), Hoyat base.

Before launching of Myanmar Army Operation there were 10 persons in Hoyat camp (NDFB(S) cadre-09 and 1 (One Myanmar national) Arms component was as below:-

AK-77 rifle	=	1
AK-56 rifle	=	2

AK 47 rifle	=	1
HK 33 rifle	=	2
M-16	=	1
MQ rifle	=	1
Shell	=	2

(37) Nexus with other militant outfits :

In the month of April, 2015, one umbrella group, in the name and style “United National Liberation Front of Western South East Asia *in short UNLFW*” was formed in Taka Camp at the initiative of NSCN(K), consisting of four revolutionary organizations (NSCN-K, ULFA-I, NDFB-S and KLO) initially, for fighting jointly against India. The first idea of forming such an umbrella group started in since 2011. The Western South East Asia region shortly called as “WESEA”.

(38) Nexus with GNLA:-

Important revelation made by surrendered NDFB(S) militants that in September, October and November, 2017, NDFB(S) leadership contacted with Garo National Liberation Army (GNLA). President of GNLA (Champion Sangma) and discussed their intention to establish base camp in Taka area. He enquired about terrain, geographical location, logistic facilities and supports, availability of foodstuff, communications facility and cooperation for joint operations. At that time, he was in Karbi Anglong areas. As per his request, two NDFB(S) cadres (namely - Miniswrang of 40th Batch and Swmjikhang 42nd Batch) were sent to Champion Sangma for joint operation purpose in Karbi Anglong areas, especially for rhino poaching, kidnapping for extortion and fund collections. However, it was not a successful plan. After one month, Miniswrang escaped from Champion Sangma and got apprehended in Sonitpur district. Swmjikhang (now active) went directly to Bhutan for accompanying G. Bidai and B. Batha without meeting Champion Sangma. Thereafter, there was no communication with GNLA.

(39) That there are innumerable instances of extortion by NDFB (Saoraigra faction) across the State. They secretly collected money from individuals, businessmen and contractors by means of extortion and also resorted to kidnapping for extracting ransom. The cadres of the organization were found involved in demanding money over phone calls, whatsapp messages, issuing demand letters to the different civilians, the Heads of the ongoing projects/ political leaders etc. in the name of donation for the organization. This was the tactic adopted by the organization to extort money in the name of donation. The cadres being fully equipped with arms and ammunition extorted money from different individuals, businessmen etc. at gun point.

(40) As per debriefing statement of surrendered NDFB (S) cadre namely Dipti Basumatary @ B. Dufoullu, who underwent arms training in 40th batch of NDFB (S) at Lungmark training centre of Taka in 2013 and stayed there till last part of 2017, was tasked to join NDFB (S) leader Batha’s group in Assam along with 6 (six) other cadres. During this period of almost 9 (nine) months with Batha and his group in Chirang adjacent forest areas, the group possessed sophisticated weapons including one HK-33 and AK-47 rifle, 2 nos. of M20 rifle. During that period the group extorted money from approximately 100 wood cutters at the rate of Rs. 8000/- each per month in the name of NDFB (S).

(41) Killing of specific groups: Adivashis

This gruesome episode took place in the last part of December 2014. In this mayhem that was started by NDFB (S) targeting Adivashi villagers from 23rd December, 2014, which lasted till 25th December, 2014, 63 Adivashi people and two Bengali people were killed. Besides, 13 Bodo people died in retaliatory incidents. This brutal attack on Adivashi people took place in the aftermath of a serious jolt where the outfit lost some important action group cadres and arms when, on 21st December, 2014 two hardcore NDFB (S) cadres got killed in an encounter with SF inside Chirang Reserve Forest along

Chirang-Kokrajhar border area under Runikhata PS of Chirang district in which huge cache of arms ammunition were also recovered. This led to the occurrence of a series of attacks by NDFB(S) cadre from the afternoon of 23rd December, 2014 which continued upto 25th December, 2014. The affected districts were Kokrajhar, Chirang, Sonitpur and some parts of Udalguri.

Immediately after occurrence of the incident, entire law and order machinery was geared up for preventing the situation from further deterioration. Till 12th February, 2015, 179 nos. of NDFB (S) cadres and linkmen got arrested including 2(two) in Bengaluru, Karnataka which included some top level leaders. Huge cache of assorted arms and ammunition that included sophisticated arms like AK 47/ AK-56, HK-33, M-16, M-22, 9mm pistols etc. ammunition, grenades etc. were recovered.

(42) Inputs on explosion by NDFB(S)

There were numerous intelligence inputs on attempts of the outfit to carry out subversive activities throughout the State. However, during recent past, due to adequate preventive measures, many of their nefarious plans could be averted.

(43) Nexus with ULFA(I)

In November, 2015, the bomb-trainers of ULFA viz. A.Z. Hiruam (trainer) and Brindaban Moran (Demonstrator) @ Bipul Asom imparted training on preparation of IED to 17 (seventeen) NDFB(S) cadres in camp of NDFB(S) camp location in Taka.

(44) Attack on SF/ Police/ civilians :

Besides extortion, killing, kidnapping etc. the NDFB (S) indulged in large scale killing of innocent civilians and SF personnel in the State as shown below :

On 05-08-2016, at about 1145 hours, a two member group of armed NDFB(S) extremists came in an autorickshaw to the Balajan Tiniali Weekly Market and started indiscriminate firing on the public/ passers by. They also lobbed grenades on the innocent public. As a result, 14 (fourteen) civilians died and 19 (nineteen) civilians sustained injury.

(45) Boycott India's Republic day Celebration :

NDFB (S) which was a major stakeholder of UNLFW, along with some other N.E. insurgent groups had always been appealing the people of Assam to boycott the "Republic Day" (26 January) and "Independence Day" (15 August) celebrations and to observe general strike on these two specific days in the State. It had always indulged in anti-India and anti-Govt. propaganda.

(46) About attack by Myanmar Army in 2019:-

The Myanmar Army used to visit Taka area and the camps of Indian Insurgent Groups twice a year (approx.). As usual, on 20.01.2019 Myanmar Army (approx. 1000 personnel) arrived at Taka area and settled in temporary camps. They also visited NDFB(S) camps and talked as usual. On 28-01-2019, Myanmar Army cautioned guards of NSCN(K) Camp to surrender immediately. Thus, they arrested six NSCN(K) cadres (names unknown). On 29-01-2019, Myanmar Army warned other outfits in Taka area and gave 20 minutes time to leave the camps. All were surprised; however everybody escaped from camps with minimum belongings, including arms and ammunitions. Subsequently, Myanmar Army occupied the camps and took possession of the camp belongings and used these as their base.

After occupation of the camps, Myanmar Army first attacked the ULFA(I) Camp on 30-01-2019. ULFA(I) could not retaliate the Myanmar Army and escaped eventually. On the same day, KLO, NLFT, PDCK, ULFA(I), NDFB(S), KYKL and KCP tried to resolve the situation jointly by holding dialogue with Myanmar Army which did not accept it. Having no other option, some {ULFA-(I) + PLA + NSCN-K} member escaped and marched towards Pangsau Pass of Arunachal Pradesh-Myanmar border; others

(KLO + NDFB-S + PDCK + NLFT + KYKL + KCP + PREPAK + MPA/ UNLF) proceeded towards Kachin division of Myanmar crossing the Taka River. Some members of the groups (ULFA-I + PLA) escaped towards Konyak Region Camp for shelter.

The Myanmar Army set ablaze the camps of ULFA(I), PLA and MPA/ UNLF of Taka areas and Lungmak areas and seized all available arms ammunitions, properties, files, documents, combat uniforms, foodstuffs and others. Due to this attack, about 50-60 leaders/ cadres of different groups were apprehended. Amongst the apprehended were – D. Rebgon, B. Gwmswr, B. Swrjisula, B. Saronthai, B. Rwmwi Rwmi, B. Jirijiri of NDFB-S; Starson (Finance Kilonser), Angmai (Home Kilonser), Forest Kilonser, Education Kilonser, Agriculture Kilonser, Joseph (PS to Chairman) of NSCN-K and several other leaders/ cadres of different outfit organizations. Besides, about 10-15 leaders/ cadres were injured seriously and about 05-06 leaders/ cadres had died.

About Arms-ammunitions (before Myanmar attack at Taka area):

As per debriefing statement of recently surrendered NDFB (S) leader, this outfit in Myanmar possessed 60 to 65 assault rifles including AK series, M-16, INSAS, Chinese rifle, RPG, Shell launcher, LMG, grenades etc. before the Myanmar Army attacked in their camps in January 2019.

(47) After the Myanmar Army attack the available intelligence input indicated that some top ranking NDFB cadres were still camping in their Myanmar hideouts and were spreading new unholy nexus with other militant outfits for strengthening their arsenal. Recruitment drive were also carried out by the four commands of the outfit. Extortion and kidnapping were going on full swing for purchasing arms/ammunition and explosives from foreign mafia as well as to impart training to cadres in spite of relentless efforts of SF to contain their subversive activities. It was most likely that the NDFB were prepared to indulge in pre-judicial activities affecting the public order and integrity and sovereignty of the country at an opportune moment.

Involvement of NDFB in commission of subversive anti-national, activities was a matter of serious concern. Against this backdrop NDFB had all the criteria to be considered and treated as an anti- national outfit that had no faith in the Constitution of India with the avowed objectives of creating a sovereign country. Hence it was recommended that NDFB should be banned as an unlawful organization under Unlawful Activities (Prevention) Act for a period of another 5 (five) years beyond 22-11-2019 in the interest of maintaining public order and security of the country.

(48) **Recent Development.**

In the wake of the Operation Sunrise launched by Myanmar Army on Indian Insurgent groups w.e.f. January, 2019, 50 nos. of ULFA(I), 8 of NDFB(S) and 5 nos. of KLO surrendered before the Police and Security Forces in Assam and deposited 28 nos. of sophisticated Arms, 1429 rounds of ammunition, 5 nos. of grenades and 42 nos. of magazines.

The relentless pressure mounted upon the militant outfits by the State Police, the Central Armed Police Forces and the Army under the Unified Command Structure has compelled the militants to lie low and resort to launch attacks mostly on soft targets from a safe distance whenever they find an opportunity to strike. The concerted operation launched against the NDFB(S) outfit made their movements exceedingly difficult and the outfits was compelled to lie low and avoid large scale movements with arms. For instances two incidents of encounter with NDFB(S) and SF was reported from the districts Chirang and Kokrajhar on dated 05-01-2020 and 15-01-2020 respectively. In these incidents two hardcore cadres of NDFB(S) killed and 03 (three) arms, 2 (two) grenades and 20 live ammunitions were recovered from their possession.

The multi pronged strategy adopted by the Government under the Unified Command Structure in the form of sustained counter-insurgency operation against NDFB and the peace overtures for a negotiated settlement and rehabilitation of misguided youths

had paid rich dividends. Owing to this initiative by the Govt. and the periodic talks held with SoO groups of NDFB, from time to time, subsequently on 27-01-2020 the four factions of NDFB & ABBSU signed an MoS with GoI & GoA thus ushering in a new era through an agreement in form of BTR Accord. The BTR Accord was signed on 27th January, 2020 at New Delhi in the presence of Hon'ble Union Home Minister of India, Shri Amit Shah. The other signatories of the Accord were Pramod Boro (President, ABSU), Lawrence Islary (Gen. Secy., ABSU), Ranjan Doimary (NDFB), Gobinda Basumatary (NDFB), B, Saoraigwra (NDFB), Dharendra Boro (NDFB), Mihineswar Basumatary (President, UBPO), Shri Kumar Sanjay Krishna, Chief Secretary to the Govt. of Assam, Shri Satyendra Garg, Joint Secretary, NE, MHA. The signing of the agreement was witnessed by Shri Sarbananda Sonowal, Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma, Cabinet Minister, Assam and Shri Hagrama Mohilary (CEM, BTC).

As enumerated in point no. 9.1 of the MoS about abjuring violence. There is no report of any violent activities committed by any of the factions of NDFB since signing of MoS on 27-01-2020.

On 30-01-2020, an Arms Laying Ceremony of all the four groups of the NDFB was held at the GMCH Auditorium, Bhangagarh, Guwahati under the patronage of Home & Political Department, Govt. of Assam and Assam Police. In this ceremony total 1615 cadres { NDFB-P (both faction) -836, NDFB(RD)- 579 and NDFB(S)- 200 } laid down total 178 numbers of assorted Arms, 4803 Ammn. and 14 nos. grenade.

A meeting on the MoS was held at SB HQr on 02-03-2020 which was chaired by Addl. Chief Secretary (Home & Political), Govt. of Assam and attended by Joint Secretary, NE, MHA and other stakeholders. In the meeting all the NDFB leaders of all the four factions namely B. Saoraigra, President-NDFB(S), B Swmkhwr, President NDFB(P), Dhiren Boro, President NDFB(P), and B. Onjalu, General Secretary NDFB(RD) were asked to disband the organization on 9th of March, 2020 and evacuate all the cadres from the designated camps by 15th March, 2020. In this regard report from the IGP, BTAD, Kokrajhar received that on 9th March, 2020 all the factions of NDFB jointly declared disbanding of their organizations.

All the designated camps of NDFB groups have been dismantled. The camps were handed over to Superintendent of Police of the respective districts.

That, the Government of Assam in Home & Political Department received a report dated 11-05-2020, from the office of the Special Branch Headquarters, Assam Police, signed by the Superintendent of Police (SOU), Assam Police, regarding up-to-date information about National Democratic Front of Bodoland (NDFB).

The said report dated 11-05-2020, the office of the Special Branch Headquarters, Assam Police, informed the Government of Assam, Home & Political Department that the 4 (four) factions of National Democratic Front of Bodoland (NDFB), viz. (i) NDFB (Progressive-Gobinda Basumatary faction), (ii) NDFB (Progressive -Dhiren Boro faction), (iii) NDFB (Ranjan Doimary faction) and (iv) NDFB (S) had signed a Memorandum of Settlement (MoS) with the Government of India and the Government of Assam, on 27-01-2020 and made an Agreement in the form of Bodoland Teretorial Region (BTR) Accord. According to the directions in this Accord, the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) surrendered en-masse (1615 cadres) and laid down assorted arms and ammunitions, explosives, etc. on 30-01-2020, before the Government.

Further, the 4(four) factions of NDFB as per clause 9 of the MoS has disbanded the NDFB organization on 09-03-2020. Accordingly, all their designated camps were dismantled on 15-03-2020.

However, amidst all these recent developments, as per available inputs, some members of the outfit may be not satisfied with the Memorandum of Settlement (MoS) dated 27-01-2020. There are reliable information that some leaders and cadres of the outfit are still in foreign soil, like Myanmar, etc., who have not yet joined the mainstream along

with the surrendered cadres of the 4 (four) factions of NDFB. These leaders and cadres may oppose the BTR Accord and may thereby lead to forming renegade groups.

It is pertinent to mention here that in case of NDFB(S) they had deposited only 38 nos. of Arms with 1558 ammunitions during the en-masse surrender ceremony. Further they have also not submitted their final list of cadres to the Government despite several communications made to them.

In view of above developments there is every likelihood that these disgruntled residual leaders and cadres of NDFB who are still taking shelter on foreign soil may reorganize the organisation NDFB and continue secessionist and subversive activities in future in collusion with the like-minded extremist outfits of the North-East who are still operating from foreign soil under the tutelage of their foreign mentors. Besides, the NDFB is still a major constituent of the United National Liberation Front of West of South East Asia (UNLFWSEA) which is a conglomerate of the major extremist outfits of the North East.

Special Branch Headquarters, Assam Police, vide letter dated 22-05-2020, signed by the Superintendent of Police (SOU), Assam Police, further informed the Government in the Home & Political Department that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar handed over 5 (five) nos. of NDFB(S) cadres to the Special Bureau, Government of India on 15th May, 2020, after their release from jail in Myanmar. Subsequently, the Government of India handed over these cadres of NDFB(S) to Assam police on the same day.

That, in view of above stated facts and circumstances, this deponent respectfully submits that the Government of Assam supports the stand taken in the Gazette Notification No. 4255, dated 23rd November, 2019, issued by the Government of India, declaring the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) as an unlawful association, under Sub-Section (1) of Section 3 of Unlawful Activities (prevention) Act, 1967”.

30. Sri Das exhibited various documents and produced the statements of the top leaders of the outfit from the custody of the office of the SP, SOU, Guwahati and proved the same in original.

31. Sri Das was cross examined by the learned counsel representing the three factions of NDFB which was recorded by the Commissioner. In his cross examination Mr. Das affirmed the intent of the Government of Assam to continue the ban of the organisation, NDFB though there were reports about disbanding of the various factions of NDFB with the Government. He denied the suggestion of the apprehension of the Government that disgruntled members of NDFB might again take up arms merely on probability rather he asserted that same was on the basis of inputs received e.g. the recent handover of 5 (five) NDFB cadres by Myanmar Government to Government of India. There was no information with the Government in respect of withdrawal of NDFB from UNLFWSEA. He admitted that the Government has no information of subversive acts of NDFB cadres after the MoS dated 27.01.2020. He asserted to be true the input received by the Government vide letter dated 11.05.2020 from the SP (SOU) Assam that some members were not satisfied with the settlement and they may form renegade groups of disgruntled cadres carrying out the violent acts in order to achieve the object of NDFB, an independent Boroland. He denied of having submitted the list of all the cadres of NDFB to the Government by the leaders of NDFB.

32. The Superintendent of Police of the districts within the State of Assam affected by the terrorist and subversive acts of the members of NDFB under various factions appeared before the Tribunal and submitted their respective evidence in chief on affidavit. As per their evidence they are responsible for maintenance of law and order within the district. They monitor the investigation of the cases more specifically involving terrorist acts and as per practice sent the reports to the Special Branch, Guwahati. The NDFB members are very active in the respective districts under their jurisdiction indulging in large scale unlawful activities. They are waging war against the State by involving themselves in killings/kidnappings/threatening of innocent persons/extortion in order to destabilize the rule and law. In support of their respective contentions each of the Superintendent of Police exhibited various case records which are duly certified by the responsible officers of the office under whom the said records are maintained. The case diaries of the cases so exhibited would reveal involvement of the NDFB members of different factions as per the evidence in chief of the said police officers.

33. The learned counsel appearing for the various factions of NDFB cross-examined each of the said Police Officers and recorded by the Registrar of the Tribunal as the Commissioner.

34. Sri Ripui Das, APS, presently serving as Superintendent of Police, Udalguri District since December, 2019 in his cross examination stated that he submitted Xerox copies of FIRs all certified by the Additional S.P. Udalguri. One copy of the each FIRs is attached in the Crime Branch and one copy of the each FIRs is sent to the Court. The original copies of the FIRs are in the Court of Udalguri.

He submitted the FIR of all the 13 no. of cases within the district of Udalguri. Out of these 13 cases, in 3 cases, I.O. has submitted the Charge-sheet, in 5 cases, I.O. has submitted the Final report and in 5 cases, the investigation is going on. No case has been registered within the district of Udalguri against the NDFB after signing of Memorandum of Settlement dated 27.01.2020.

In all the 13 cases, in the FIRs, the complaints were against NDFB or suspected activists of NDFB.

35. Sri Prateek V Thube, IPS, presently serving as Superintendent of Police, Baksa District since 21st January, 2019 in his cross examination stated that he submitted a list of 16 cases against the NDFB along with his evidence in chief on affidavit. Out of these 16 cases, in 5 cases, charge-sheets have been submitted, in 7 cases Final Reports have been submitted by the I.O. and remaining 4 cases are under investigation process. He had not submitted any registered case against NDFB after the signing of the Memorandum of Settlement, dated 27.01.2020 along with his affidavit. One case was registered against NDFB after signing of Memorandum of Settlement dated 27.01.2020 though the same has not been submitted along with his affidavit and that case is under investigation.

36. Sri Pushpraj Singh, IPS, presently serving as Superintendent of Police, Golaghat District since 23.01.2019 in his cross examination stated that he submitted details of two cases against NDFB registered in Golaghat District along with his evidence in chief on affidavit. He submitted the certified copies of cases against NDFB and alleged activities of NDFB cadres as narrated in his affidavit. No case has been registered in the Golaghat against NDFB after signing of Memorandum of settlement, but received inputs of activities of NDFB cadres after signing of the same. These inputs are intelligence inputs regarding alleged influx of certain NDFB members of Myanmar etc.

37. Sri Amrit Bhuyan, APS, presently serving as Superintendent of Police, Darrang District since 22.01.2019 in his cross examination stated that he submitted two cases against NDFB along with his evidence in chief on affidavit. In both the cases IO has submitted charge-sheet in the court and trial is going on. After the signing of the Memorandum of settlement by the NDFB, no case has been registered in the district of Darrang against NDFB cadres.

38. Sri Dhananjay Ghanwat, IPS presently serving as Superintendent of Police, Dhemaji district since 14.12.2019 in his cross examination stated that the present status of Simen Chapari PS Case No. 59/2015 is that the I.O. submitted charge sheet No. 58/2015 U/S 387/34 IPC. After submission of charge sheet two new facts came to light in 2020. The charge sheet was filed in the year 2015. New facts relate that both the accused of this case namely Moneswar Basumatary and Bana Basumatary committed the alleged offence while being members of NDFB. Hence opened case diary in relation to offence under Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and the prayer for supplementary charge sheet is being made before the court. He reiterated that accused persons in connection with Simen Chapori PS Case No. 59/2015 are members of NDFB cadres. No case has been registered in the district of Dhemaji against any faction of NDFB after the signing of the Memorandum of Settlement by NDFB i.e. on 27.01.2020.

39. Sri Ankur Jain, IPS, S/O Shri Ashok Kumar Jain currently serving as Superintendent of Police, Hojai district since 15.02.2018 in his cross examination stated that I.O. submitted charge-sheet in connection with Kaki PS Case No.79/2016 against NDFB cadres. No case has been registered against any faction of NDFB in the district of Hojai after the signing of Memorandum of Settlement i.e. on 27.01.2020.

40. Sri Sudhakar Singh, APS, presently serving as Superintendent of Police, Chirang District since 24.01.2019 in his cross examination stated that he mentioned about 28 nos. of cases against NDFB cadres in the evidence in chief on affidavit. Out of which, 7 cases have been charge-sheeted, 14 cases have been returned as Final Reports, in 5 cases investigation is going on and in rest of the two cases only GD entry have been registered. He submitted copies of FIR/ejahaar along with his affidavit, certified by him after comparing with the duplicate copies of the same from the records available in the office of Superintendent

of Police, Chirang. The original copies of the FIR are available in the court. No case has been registered in the district of Chirang against any faction of NDFB after the signing of Memorandum of Settlement i.e. on 27.01.2020.

41. Dr. Manabendra Gogoi, APS, presently serving as Addl. Superintendent of Police, (HQ), Dima Hasao District since 23.01.2019 in his evidence stated that he submitted case details of Umrangso PS Case No. 22/2017 in his affidavit. In the said case, at present, the investigation is going on and the arrest of the accused persons is pending. Almost all the other investigation work is over. Though he did not mention in affidavit specifically that the two unknown extremists belong to NDFB, but on the basis of information received from various sources their involvement could be ascertained. One of them is Ranjit Musahary while the other is still unknown. No case has been registered against any faction of NDFB in the district of Dima Hasao after the signing of Memorandum of Settlement i.e. on 27.01.2020.

42. Sri Rajen Singh, APS, presently serving as Superintendent of Police, Biswanath District since 04.03.2020 in his cross examination stated that he submitted 6 (six) number of cases against NDFB, registered in the district of Biswanath, alongwith his evidence in chief on affidavit. Out of which one case (Biswanath Chariali P.S. Case No. 311/2014) has been returned on final report. Investigation is pending in rest of the five cases. He denied the suggestion that there was no involvement of NDFB(S) or any other faction of the NDFB in the Biswanath Chariali P.S. Case No. 67/2016. As of now, the FIR and PM report are the basis to suspect the involvement of B. Rangshaw. There are four factions of NDFB namely NDFB(S), NDFB (RD), NDFB (P) (Gobinda Basumatary) and NDFB (P) (Dhiren Boro). **Apart from these factions, there is NDFB surrendered group, members of which are not affiliated with any of the aforesaid four groups.** No case has been registered in the district of Biswanath against any faction of NDFB, after the signing of memorandum of settlement i.e. on 27.01.2020.

43. Sri Mugdhajyoti Dev Mahanta, APS, presently serving as Superintendent of Police, Sonitpur District since 14.12.2019 in his cross examination stated that he submitted details of 11 cases registered in the district of Sonitpur along with his evidence in chief on affidavit. Out of which, in three cases, I.O. has filed charge-sheet, in one case final report has been filed, one case has been transferred to NIA (National Investigation Agency) and in remaining six cases, investigation is going on. No case has been registered against any faction of NDFB in the district of Sonitpur after signing of Memorandum of Settlement i.e. on 27.01.2020. **As per intelligence information received, recruitment process of NDFB(S) in Sonitpur and Biswanath districts have again started after signing of Memorandum of Settlement but no case has been registered as yet.**

44. Sri Subodh Kumar Sonowal, APS, presently serving as Superintendent of police Bongaigaon district since 12.05.2020 in his cross examination stated that he submitted details of one case against NDFB along with his evidence in chief on affidavit i.e. Bongaigaon P.S. Case No. 130/2017. Charge-sheet has been submitted in this case. No case has been registered against any faction of the NDFB in the district of Bongaigaon after signing of memorandum of settlement i.e. 27.01.2020. Though, the Bongaigaon P.S. Case No. 130/2017 was registered under Section 365 of IPC only and not under Unlawful Activities (Prevention) Act but on the basis of examination one of the accused of the case namely Shri Mijing Wary, it has come to light that he is a member of NDFB (P) (Gobinda Basumatary) faction. The case has been charge-sheeted under Section 365 IPC only.

45. Sri Rakesh Roushan, IPS, presently serving as Superintendent of Police, Kokrajhar District since 23.02.2020 in his cross examination stated that he mentioned about 51(fifty one) cases and 6(six) G.D.entries in his affidavit. In 20(twenty) cases investigation is pending and out of these 20(twenty) cases, two cases have been transferred to NIA. In 7(seven) cases, I/O submitted charge-sheet and in remaining 24(twenty four) cases, final reports were filed. In most of the cases which were referred in his affidavit, listed members of NDFB cadres are involved. No Magistrate Court of Kokrajhar passed any order for enquiry as to the involvement of NDFB members. In 20 (twenty) cases Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was invoked at the time of registration of the said cases. No case has been registered against any faction of NDFB in the district of Kokrajhar after signing of the Memorandum of Settlement i.e. on 27.01.2020. As per his knowledge, in the district of Kokrajhar, all the camps of NDFB have been dismantled after the signing of the Memorandum of Settlement.

46. The evidence of 12 (twelve) number of Superintendent of Police are recorded hereinabove from equal number of the districts in the State of Assam putting on record the acts of the NDFB cadres spanning from 23.11.2014 (date of issuance of the notification dated 23.11.2014) till the recent past. As no other

public came before the Tribunal except the representatives of the NDFB, in order to get the actual ground information prevailing in the districts infested by the terrorist and subversive acts of the cadres of the outfit, I personally interacted with each of the Superintendent of Police who were present in the Tribunal for their respective deposition. As per their assessment the cadres of the various factions of the outfit did not surrender all the arms and ammunition. Further it could be gathered there is every possibility of regrouping of some of the disgruntled cadres of any of the factions of NDFB once they find it difficult to gain power politically in the governance of the BTAD or fail to prosper financially. It was also gathered that after the signing of the MoS on 27.01.2020 the spate of violence had declined substantially.

47. On perusal of the exhibits put on record by the Superintendent of Police, the subversive acts involving purportedly the cadres of the outfit can be classified as follows:-

(A) Extortion:-

- I. On Jan. 05, 2015, Silapathar police apprehended one Mantu Dutta (21) s/ Ratan Dutta of Gutung gaon, PS Silapathar when he came to collect extortion money from one Kaushik Das of Natun Mising gaon under Silapathar PS of Dhemaji district in the name of NDFB extremist. He has been arrested in connection with Silapathar PS case no. 7/2015 U/S 387/34 IPC. (Ext.145)
- II. On Aug, 17, 2015 Police/Army apprehended Moneswar Basumatary, an NDFB surrenderee s/o Ballram Basumatary of Hosong village and Bana Basumatary s/o Samba Basumatary of No. 1 Borbari village (both under Simen Chapori PS) from Lamba Chapori. Reportedly they came there to collect the money demanded earlier from one Mohon Barman (businessman) of Badalpur village (Simen Chapori PS) in the name of NDFB. They were arrested in connection with Chapori PS case no. 59/15 u/s 387 IPC. (Ext. 146)
- III. On Nov. 2, 2015 police apprehended one Jadav Swargiary s/o Thaneswar Swargiary of No. 1 Sonapur Nalbari, PS Gogamukh from near Subansiri bridge while he came to collect extort money in the name of NDFB. He was arrested in connection with Gogamukh PS case no. 210/15 U/S 384/506 IPC. (Ext. 147)
- IV. On Dec. 13, 2015 one Bhubaneswar Gayary of Mairajhar, PS Gobardhana lodged an FIR at Salbari PS to the effect that on the same day (Dec. 13, 2015) at about 1230 hrs, unknown NDFB extremists demanded money from him over phone. In this connection a case was registered at Salbari PS vide no 154/15 U/S 387 IPC R/W Sec.10/13 UA(P) Act. (Ext. 71)
- V. On June 13, 2016 one Jintu Das of Mulanpur, PS Kaki lodged an ejhar at Kaki PS to the effect that on the same day (13-06-16), unknown miscreants left behind a demand letter in the name of NDFB in front of the door of his house demanding rupees 4(four) lacs from the villagers of the said village. In this connection a case has been registered at Kaki PS vide no. 79/16 U/S 384 IPC. (Ext. 152)
- VI. On Nov. 25, 2014 at around 1000 hrs, two unknown miscreants suspected to be NDFB (S) cadres Budharam Basumatary (22) of No. 2 Bugalamari (Barbari PS) along with one unknown associate came to Murkuchiapara (Barama PS) to collect money as demanded earlier from one Dadhi Barman, a grocery shop keeper of that locality. At that time, the local people apprehended Budharam Basumatary and assaulted causing injuries to him. But his associate managed to flee away. On receipt of the information police rushed to the spot and shifted the injured cadre to Barama PHC for treatment, but on the way he succumbed to his injuries. In this connection a case was registered at Barama PS vide no. 80/14 U/S 387/34 IPC. (Ext. 43)
- VII. On Jan, 24, 2015 at around 1630 hours, some local people of Merabillgaon (Rowta PS) apprehended one NDBF(S) cadre namely Rohit Basumatary s/o Khagen Basumatary of Sarbaherua (Rowta PS) from their village while he came to collect money from one Rudramaya Limbu (VCDC Chairman of Merabill) as demanded earlier. Later on, he was handed over to Rowta Police. This refers to Orang PS case no. 10/2015 U/S 385/506 IPC. (Ext. 5)

- VIII. On Jan 25, 2015 at about 1300 hrs, Police/SSB (54 Bn) personnel apprehended one NDFB (S) linkman namely, Thanesar Basumatary (36) s/o Bamun Basumatary of Amlayguri (Bijni PS, Chirang dist), while he came to the house of Smti Anima Boro w/o Phudlen Boro of Oxiguri under Gobardhana PS of Baksa dist. to collect money from her. In this connection a case was registered at Gobordhana PS vide case no.15/2015 U/S 387/324/34 IPC R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 57)
- IX. On September 1, 2015 at about 1930 hrs, police apprehended one Ashok Basumatary (22) s/o Benga Basumatary of Natun Bashbari (Kokrajhar PS) when he came to collect the demanded money in the name of NDFB (S) from one Sahajuddin s/o Baharuddin Paramanik of Silpot (Basugaon PS). Later on he was arrested in connection with Basugaon PS case no.125/15 u/s 387 IPC, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 163)
- X. On Nov. 18, 2015 one Kanak Das, s/o Prasanna Das of Dimilapar, PS Tamulpur lodged an ejahar at Tamulpur PS to the effect that on Nov 18, 2015 at about 1840 hrs, he received a telephonic call from one B. Simang (SS Area Commander, NDFB-S) who demanded money from him within Nov. 22 and threatened to kill him. In this connection a case was registered at Tamulpur PS vide no. 295/15 U/S 387/507 IPC R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 53)
- XI. On 15th Dec, 2015, Kokrajhar police arrested one NDFB(S) linkman namely Sri Harimu Basumatary (19) S/o Sri Charan Basumatary of Bashbari (Kokrajhar PS) while he served a demand letter to the grocery shop keeper at Balijan Tiniali (Kokrajhar PS) in the name of NDFB(S). Police recovered 1 (one) extortion note and one mobile handset from his possession. In this connection a case was registered at Kokrajhar PS vide no. 916/2015 U/S 387/511 IPC. (Ext. 288)
- XII. On March 19, 2016 one Diganta Lawary s/o Jogesh Lawary of No. 1 Chapaguri, PS Dhaligaon lodged an ejhar at Dhaligaon PS stating that some unknown NDFB(S) cadres demanded from him Rs. 1 lakh over phone. In this connection a case has been registered at Dhaligaon PS vide no. 46/16 U/S 387/507 IPC. (Ext. 164)
- XIII. On April, 28, 2016 one Bhaskarjyoti Manta, I/C of Directorate, DRDA, Udalguri lodged an FIR at Udalguri PS to the effect that on April 21, 2016 at about 1035 hrs, he received a telephonic call from an unknown caller who introduced himself as an NDFB(S) cadre and demanded money from him. This refers to Udalguri PS case no. 107/2016 U/S 387 IPC R/W Sec 10/13 UA (P) Act.
- XIV. On May 2, 2016 one Bharat Ramchiary of Murkhchiapara, PS Barama lodged an ejhar at Barama PS to the effect that, two months back he received a telephonic call from an unknown caller who introduced himself as an NDFB (S) cadre and demanded Rs. 1 lakh from him. Again on March 19, 2016 and May 1, 2016, he received same telephonic call to pay the money as demanded earlier otherwise he will face dire consequences. This refers to Barama PS vide no. 70/2016 U/S 387/31 IPC. (Ext. 47)
- XV. On May 28, 2016 one Sailendra Nath Deka lodged an ejhar at Barama PS to the effect that on May 2, 2016 at about 1220 hrs, he received a telephonic call from an unknown caller demanding Rs. 8 lacs in the name of NDFB(S). In this connection a case was registered at Barama PS vide no. 83/16 u/s 387 IPC. (Ext. 49)
- XVI. On June 2, 2016 one Sabibal Chetry of No. 2 Bhetagaon (Bijni PS) lodged an ejahar at Bijni PS to the effect that on May 18, 2016 he received a telephonic call from an unknown caller who identified himself as an NDFB(S) cadre and demanded him cash Rs. 2 lacs in the name of NDFB(S). In this connection a case has been registered as Goreswar PS vide no. 80/16 U/S 387 IPC. (Ext. 65)
- XVII. On Aug 20, 2016, one Sudem Brahma of Chenigaon (Goreswar PS) lodged an ejahar at Goreswar PS to the effect that, on Aug 18, 2016 he received a telephonic call from an unknown caller who identified himself as an NDFB(S) cadre and demanded him cash Rs. 2 lacs in the name of NDFB(S). In this connection a case has been registered at Goreswar PS vide no. 80/16 U/S 387 IPC. (Ext. 65)

- XVIII. On Oct. 01, 2016 at around 1205 hours, one Bhaskar Mazumdar of Kadomtla (Barama PS) lodged an ejarah at Barama PS to the effect that on Sept. 22 he received a telephonic call from an unknown caller who demanded money from him in the name of NDFB(S). In this connection a case was registered at Barama PS vide no. 137/16 u/s 387 IPC. (Ext. 45)
- XIX. On Oct. 7, 2016 at about 1630 hrs police apprehended one NDFB(S) linkman namely, Satyajit Basumatary (24) s/o Pradip Basumatary of Silbaji (Gossaigaon PS) from Ward no. 4, Gossaigaon Town, PS Gossaigaon. Reportedly, he came to collect money from one Mandra Narzary of Ward No. 4, Gossaigaon town (Gossaigaon PS) as demanded earlier. Police recovered cash Rs. 50,000/- from his possession. In this connection a case has been registered at Gossaigaon PS vide no. 550/16 U/S 387/508 IPC. (Ext. 319)
- XX. On Oct. 25, 2016 at about 1145 hrs Police/CRPF and Army with the help of local people apprehended 2(two) NDFB(S) cadres namely Ratan Boro (22) s/o Khagen Boro of Bamunjar (Goreswar PS) and Bimal Rajbongshi (20) s/o Nagen Rajbongshi of Maregaon (Sipajhar PS, Darrang dist.) from Bakulguri while they came to extort money from one Dilip Deb Nath as demanded earlier. The SF recovered 1(one) '22 bore revolver with 3 rds live amm and 1(one) empty case from their possession. The local people also burnt down their motorcycle. In this connection a case has been registered at Goreswar PS vide no. 99/16 U/S 448/326/307 IPC R/W SEC. 25(I-A) Arms Act R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 63)
- XXI. On Dec. 30, 2016 one Biju Das of Nikashi, PS Mushalpur lodged an ejarah at Mushalpur PS stating that on Dec. 2, 2016 at about 0724 hrs, unknown NDFB(S) cadre demanded money over phone to the complainant. In this connection a case has been registered at Mushalpur PS vide no. 162/16 U/S 387/506 IPC. (Ext. 67)
- XXII. On March 8, 2017, one Pankaj Barman of No. 3 Dailongjar (Panbari PS) lodged an ejarah at Panbari PS to the effect that he received a telephonic call from an unknown caller who introduced himself as NDFB(S) cadre demanding Rs. 3 lakhs from him. In this connection a case was registered at Panbari PS vide No. 19/17 U/S 387 IPC and Police arrested 2 (two) NDFB(S) linkmen namely Haren Mandal (42), S/o Sunil Mandal of Guwabari and Kajal Ray (40), S/o Jatin Ray of Pub Chandanpur (both under Tamulpur PS, Baksa dist.) in connection with the case. (Ext. 166)
- XXIII. On June 12, 2017 at around 1300 hrs, one Kamal Kt. Narzary (VCDC Chairman, Hakua Serfang) s/o Hemo Ram Narzary of No. 2 Kashibari (Panbari PS) lodged an FIR at Panbari PS stating that, one NDFB (S) cadre namely, Suni Ram Daimary s/o Leben Daimary of Bangdwguri (Gobardhana PS, Baksa dist.) came to his house 4 (four) months earlier and demanded Rs. 5 lacs in the name of NDFB(S) organization. Since then, he was repeatedly reminded to pay the demanded money over phone and he kept refusing. But, on June 11, 2017 at around 2020 hrs, the said NDFB (S) cadre along with one inmate namely Gobla Boro s/o Rupeswar Boro of No. 5 Kahitema (Gobardhana PS, Baksa dist.) armed with AK-47 rifle physically arrived at complainants house and demanded cash Rs. 1,30,000/- at gunpoint. At this a situation of hue and cry occurred and on hearing this, local people started rushing towards his house. On seeing this, the NDFB(S) cadres fled away from the PO threatening him with dire consequences. In this connection a case has been registered at Panbari PS vide no. 43/17 U/S 387 IPC, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 167)
- XXIV. On June 22, 2017 at around 1600 hrs, the local people of Khagrabari (Biswanath Chariali PS) apprehended one suspected NDFB linkman namely, Kelteng Basumatary (31) s/o late Pitar Basumatary of Binaypur (Biswanath Chariali PS) at Khagrabari. Reportedly, the aforesaid NDFB linkman along with 5 (five) associates including 3(three) surrendered NDFB activists came there to collect money as demanded earlier from the villagers. Later on, he was handed over at Biswanath Chariali PS vide no. 164/17 U/S 420/406/387/506/34 IPC. (Ext. 200)

- XXV. On Jan 10, 2018, one N. Basumatary (District Sports Officer) lodged an ejahar at Mushalpur PS stating that some unknown caller identifying himself as NDFB(S) cadre had been demanding money since last 10(ten) days. In this connection a case has been registered at Mushalpur PS vide no. 06/18, u/s 387 IPC, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 69)
- XXVI. On July 08, 2018 one Manoranjan Karmakar, the Manager of Darrangamela SBI branch (Tamulpur PS) lodged an ejahar at Tamulpur PS to the effect that on July 06, 2018 at about 1845 hours, he received a telephonic call from an unknown caller demanding Rs. 1,00,000/- from him in the name of NDFB. In this connection a case was registered at Tamulpur PS vide no. 245/2018 U/S 387 IPC. (Ext. 51)
- XXVII. On July 18, 2018 Police/Army (14th Garhwal Rifle) apprehended one suspected NDFB(S) linkman namely Sikon Daimary (45) s/o late Daloi Daimari of Milaipur (Mazbat PS) from Ashrabari (Mazbat PS). He was arrested in connection with Mazbat PS case no. 34/18 u/s 387/507 IPC R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. Reportedly he demanded money from one Nileswar Basumatary of Dhupguri (Orang PS) in the name of NDFB(S). (Ext. 15)
- XXVIII. On March 22, 2015 at about 2130 hrs, one Nijen Medhi of Bogijuli, PS Chariduar lodged an ejahar at Chariduar PS of Sonitpur dist. to the effect that on the same day (22.03.15), at about 0700 hrs, one NDFB (RD) surrenderee namely, Dibyajyoti Daimary s/o Hemanta Daimary of the same village assaulted him for non-payment of money which was demanded earlier. Reportedly, the said Dibyajyoti Daimary also demanded money from one Kartik Basumatary of No. 4 Kathaljuli, PS Chariduar. In this connection two cases were registered at Chariduar PS vide nos. 43/15 U/S 387 IPC and 44/15 U/S 384 IPC. (Ext. 228)
- XXIX. On May 12, 2015 at about 1110 hrs, police/BSF (C-Coy, 452 AdHoc Bn.) with the help of local people of Panchnoi Theraibari area apprehended 2 (two) NDFB(R) cadres namely Shankar Basumatary @ Sanjit (26) s/o Lawraram Basumatary of Khoirani Kerkeri, PS Tamulpur, Dist. Baksa and Anil Basumatary @ B. Sangri (35) s/o late Mohan Basumatary of Dobjuli, PS Dhekiajuli from the said area while they came to collect extortion money. The SF personnel seized one pulsar bike (AS-27/4296) used by the extremists. In this connection a case has been registered at Dhekiajuli PS vide no. 267/15 u/s 120(b)/323/387/34 IPC. (Ext. 236)
- XXX. On Oct 22, 2018, the local people of Bardal (Rangia PS) apprehended 2(two) NDFB (RD) cadres namely Lani Brahma @ B. Lukhwmwr s/o Gabenay Brahma of no. 2 singimari (Gossaigaon PS, Kokrajhar dist.) and Geremsa Basumatary @ B. Gubung s/o Banikanta Basumatary of Bathoupuri (Rangapara PS, Sonitpur dist.), while they were demanding money from a road construction contractor. On receipt of the information, police rushed to the PO and apprehended both the NDFB(RD) cadres. In this connection a case has been registered at Rangia PS vide no. 653/18 u/s 387/34 IPC.
- XXXI. On July 31, 2019, at around 2100 hours, three suspected NDFB(S) cadres equipped with sophisticated weapons appeared at the house of Sudarsan Sarkar, a petty businessman of Sidabari Amtaka Bazar (Amguri PS of Chirang district) and demanded Rs. 15 lakhs from said Sudarsan Sarkar. They also opened 1(one) round fire in the air told him that they will contact again for collection of said money. In this connection a case has been registered at Amguri PS vide no. 38/19 U/S 447/387/325 IPC, R/W Sec. 25(1-A)/27 (2) arms act. (Ext. 168)
- XXXII. On Nov. 11, 2019 at around 1000 hours, one Partha Sarathi Roy (47) of Uday Path, Harigaon (Tezpur PS) lodged an FIR at Chariduar PS of Sonitpur district to the effect that some unknown person, identifying himself as NDFB(S) cadre demanded a sum of Rupees 1 lakh from him over telephone and also threatening him with dire consequences on failure. In this connection a case has been registered at Chariduar PS vide no. 299/2019, U/S 387/506 IPC. (Ext. 233)

- XXXIII. On Nov 13, 2019 at around 1620 hours, based on a secret information regarding movement of suspected NDFB (S) cadre for collecting extortion money from Nayan Barman S/O Ramesh Ch. Barman of Simlabari (Panbari PS), police conducted search at Panbari village and trapped Santosh Brahma (25) S/O Basudev Brahma of Chaplalkuchi (PS/Dist-Nalbari). In this connection a case has been registered at Barbari PS vide no. 93/2019, U/S 387 IPC. (Ext. 55)
- XXXIV. On Nov. 17, 2019, at around 21.30 hours, local people of Uttar Bartari village (Salbari PS) apprehended two miscreants namely Mridul Ramchiary (22) and Alongbar Muchahary (14) both s/o Dilip Ramchiary of Lesera (Salbari PS) while they went to said Uttar Bartari village to serve extortion letter in the name of NDFB (S) to one Dhruba s/o Late Brajen Nath of Uttar Bartari village and handed them over at Salbari PS. On their revelation, police apprehended another three accused involved in the said incident namely Ranjan Kalita (14) of Uttar Bartari village, Kapil Dev Basumatary (25) of Lesera and Patgiri (30) of Puthimari (Patacharkuchi PS, Barpeta District.) In this connection a case has been registered at Salbari PS vide no.132/2019 U/S 120(b)/387/506/34 IPC and R/W Sec. 10/13 UA(P)Act. (Ext. 73)

(B) Encounter :

- I. On Nov. 5, 2014 at about 0830 hours, an encounter took place between Police/Army (2nd Rajput Regiment) and NDFB (S) cadres at Bongaon (Gossaigaon PS). As a result, one NDFB (S) cadre namely Philip Wary @ Fwthai @ Paila Basumatary (26) (s/s Platoon Commander of Bongaon) s/o Lalbrai Wary of No. 1 Latamari (Kachugaon PS) sustained bullet injury. He was shifted to RNB Civil Hospital, Gossaigaon for treatment where he succumbed to his injuries. One (1) 9 mm pistol, 1 (one) 7'65 mm pistol, 3 (three) round of live ammunition and 2 (two) grenades, 9 (nine) empty cases, 2 (two) mobile handsets were recovered from the PO. In this connection a case has been registered at Gossaigaon PS vide case NO. 379/14 U/S 120(b)/121/121(A)/353/307 IPC R/W Sec. 25(I-B) (A)/27 arms Act. Sec. 5 E/S act. And Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 322)
- II. On Dec. 20, 2014, at about 1030 hrs, an encounter took place between police/Army (12 & 36 Assam Rifles) and the NDFB(S) cadres near Kharkee centre under Missamari PS of Sonitpur district. As a result, 2(two) NDFB(S) extremists sustained bullet injuries on their persons. One of the grievously injured NDFB(S) cadre was shifted to the Missamari PHC for treatment wherefrom he was referred to the Kanaklata Civil Hospital, Tezpur for better treatment, but the attending physicians declared him dead. The deceased was identified as Rairana Narzary (27) s/o Bireswar Narzary of Bengenajuli, PS Missamari. Another injured cadre was shifted to the Tezpur Medical College Hospital for treatment wherefrom he was referred to the GMCH for better treatment, but he succumbed to his injuries on his way to the GMCH. He was identified as Nayanmoni Medhi (19) s/o late Maheswar Medhi of Ganga Tenki, PS Missamari. The SF personnel recovered 1(one) 7.65 mm pistol with 2 rds of live ammn. and 1 empty cartridge etc. from the PO. In this connection a case has been registered at Missamari PS vide no. 130/14 U/S 121/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec. 27(I-A)/27 (2) Arms Act. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 229)
- III. On Dec. 21, 2014 at about 0730 hours, an encounter took place between police/Army and NDFB (S) cadres inside Chirang Reserve Forest along Chirang-Kokrajhar border. As a result, 2 (two) NDFB(S) cadres, namely, Runu Narzary @ N. Raikhang (30) s/o Dwaren Narzary of Bhanu Nagar, PS Amguri and Ranjit Basumatary @ Kanthal @ B. Rigirigang (27) s/o late Someswar Basumatary of Nalbari, PS Sidli died on the spot. One Sushil Dev (38) s/o Brajananda Dev of Darbhanga village (Bihar) present address Salbari under Bongaigaon PS, Bongaigaon district who has held captive by NDFB (S) cadres was recovered by SF personnel from the P.O. with bullet injuries on his leg. One AK-56 rifle with 3 (three) magazines, 1 (one) INSAS rifle with 2(two) magazines, 1 (one) 7.62 mm pistol with 3 (three) magazines, 1 (one) 9mm pistol with 2 (two) magazines, 3 (three) grenades, 7 (seven) detonators, 46 pieces of fuse wire, 11 (eleven)

mobile handsets, 552 rds of assorted ammunition and some NDFB (S) related incriminating documents were also recovered from the P.O. The injured Sushil Dev was shifted to hospital for treatment. This refers to Runikhata PS case no. 86/2014 U/S 120(B)/121/121(A)/122/123/353/307 IPC, R/W Sec. 25(I-A)/35/27(2) Arms Act, R/W Sec. 4 ES Act and R/W Sec 15/16 UA(P) Act. (Ext. 169)

- IV. On Jan 5, 2015 at about 1800 hrs, an encounter took place between police and suspected NDFB (S) activists in the Golaghat and Karbi-Anglong districts bordering forest area under Bogijan Ps of Golaghat district. As a result, one unidentified militant died on the spot. During search police recovered 1(one) 9 mm pistol along with magazine, 1(one) live ammn. of 9 mm, 5 rds of live ammn. of 7.62 mm, 2(two) grenades and 11 rds of empty cases. In this connection a case has been registered at Bogijan PS vide no. 2/15 U/S 120(B)/121/121(A)/122/387 IPC R/W Sec. 25(1-A) Arms Act & 4/5 E.S Act. Further information received that the deceased militant was identified as Birud Basumatary (32) s/o late Dhiren Basumatary of Ganesh Tangla, PS Gohpur, Sonitpur. (Ext. 88)
- V. On Jan 10, 2015 at about 1300 hrs, an encounter took place inside a jungle merely 5 K.M. Away from Khousi bazaar under Serfanguri PS between police and NDFB (S) extremists. As a result, one hardcore NDFB (S) cadre namely Jablang (25) S/S platoon commander of Kokrajhar unit died. Reportedly he was the man behind the massacre of Adivashis and the Hindi speaking people last year. Police recovered one AK-56 rifle with 22 rds of ammunition and cash Rs. 5 lakh from his possession. In this connection a case has been registered at Serfanguri PS case no. 11/15 u/s 120(B)/121/121(A)/122/307 IPC R/W 25(I-A)/27 Arms act. R/W sec. 4/5 ES R/W 13 UA (P) Act. (Ext. 354)
- VI. On Jan. 28, 2015 at about 2115 hrs, an encounter took place between police and NDFB(S) extremists in Ripu forest area (Kachugaon PS). As a result one NDFB(S) extremist namely s/s sergeant major Jorneluis Narzary @ Jangkla (25) died on the spot. Police recovered 1 (one) 7'62 mm pistol with magazine and 4 (four) rds of live ammunition, 2 (two) empty cases and 2 (two) grenades from his possession. Reportedly, he was involved in the cases of arms snatching from Eco Task Force Territorial Army from Saralbhangra area (Serfanguri PS) and killing of one Priya Basumatary in Chirang district. This refers to Kachugaon PS case no. 21/2015 U/S 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC, R/W Sec 25 (1-A) Arms act, R/W Sec 4/5 E.S. Act, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 374)
- VII. On Feb. 9, 2015 at about 2040 hours, following a secret information about the sheltering of NDFB(S) extremists at Fulkumari under Tipkai Reserve forest (Gossaigaon PS) while police/Army (2nd JAT Regiment) were conducting search operation in the said forest area, an encounter took place between the SF personnel and the NDFB(S) extremist. As a result, one NDFB(S) extremist namely Oriswar Narzary @ Orga (24) s/o Nirjoy Narzary of Singimari (Gossaigaon PS) died on the spot. The SF personnel recovered 1 (one) 7'65 mm pistol with 2(two) magazines and 9 (nine) rounds of live ammunition, 5 (five) empty cases, 1 (one) grenade, 10(ten) detonators, 1 (one) magazine of AK-47 rifle with 5 (five) rounds of AK series live ammunition from the PO. This refers to Gossaigaon PS case no. 59/2015 U/S 120(B)/12/121(A)/122/353/307 IPC, R/W Sec. 25(1-B)(A)/Arms act., R/W Sec. 5 ES act and R/W Sec. 10/13 UA(P) Act.
- VIII. On March 31, 2015 at about 2200 hrs, an encounter took place between police/Army (12th Assam Rifles) and NDFB(S) extremists at Lakhipur village under Biswanath Chariali PS of Biswanath Chariali police dist. As a result, one SS Sec. Commander of NDFB (S) namely, Ratan Narzary @ B. Rangsula (31) s/o Tikini Narzary of Paslogi, Lakhipur (Biswanath Chariali PS) and one SS Dy. Commander of NDFB (S) 3rd Bn namely, B. Sohaisula @ Sanatan Basumatary (35) s/o Samel Basumatary of West Batabari, Bamungaon under Sidli PS, Dist. Chirang received bullet injuries on their persons. They were immediately shifted to the Biswanath Chariali Civil Hospital for

- treatment. But the attending doctor declared them brought dead. The SF personnel recovered 1 (one) AK-47 rifle with 5 rds of live ammn, 1(one) 7.65 mm pistol with 3 rds live ammn., 2 (two) grenades and 10 empty cases of AK-47 rifle from the PO. This refers to Biswanath Chariali PS case no. 92/2015 u/s 120(b)/121/121(a)/122/307 IPC, R/W Sec. 25 (1-a)/27 Arms act, R/W Sec. 05 of E.S Act, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 204)
- IX. On April 13, 2015 at about 1430 hrs, an encounter took place between police/CRPF (210 Cobra Bn) and NDFB(S) cadres on the bank of the Pagla river at No. 4 Sudemjuli along Assam-Arunachal Pradesh border under Mazbat PS of Udalguri district. As a result, a hardcore NDFB (S) militant namely, Jiskel Doimary @ Julunga (30) s/o Birashti Doimary of Village Similguri, PS Rowta died on the spot. During search, the search party recovered 1(one) 32 factory made pistol with magazine, 4 rds of live ammn and 3 empty cases from the PO. This refers to Mazbat PS case no. 23/2015 U/S 120(b)/121/353/307/34 IPC R/W Sec 25(I-A)/27 arms act R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 17)
- X. On April 19, 2015 at about 2115 hrs, an encounter took place between police/Army (36 Assam Rifle) and NDFB(S) cadres at Lakheswar along Assam-Arunachal Pradesh border under Chariduar PS of Sonitpur dist. as a result, one NDFB (S) cadre namely, Elion Doimary @ D. Engarlang (28) s/o Biju Doimary of Bogarigari (Mazbat PS, Udalguri dist.) sustained bullet injuries. He was shifted to hospital, but he succumbed to his injuries. During search SF recovered 1(one) pistol with 1(one) magazine 4 rds. of live ammn, 2(two) mobile handsets with 7 SIM cards, cash Rs. 2,520/- and one Pulsar motorcycle from the PO. In this connection a case was registered at Chariduar PS vide no. 59/15 U/S 120(B)/121/121(A)/353/307/34 IPC R/W Sec. 25(1-A)/27 Arms Act and Sec. 10/13 UA (P) Act. (Ext. 234)
- XI. On April 20, 2015 at about 2010 hrs, while a joint team of police/CRPF (Cobra Bn.) was conducting search operation in Pepsu Reserve Forest area under Kachugaon PS of Kokrajhar dist., an encounter took place between SF personnel and NDFB(S) extremists. As a result, one SS Commander of NDFB(S) extremist namely, Praneswar Narzary @ Daukumwi (23) s/o Chiben Narzary of Ballamjhora, PS Gossaigaon sustained bullet injuries on his person and he was shifted to the Kachugaon PHC for treatment, but the attending physician declared him brought dead. The SF personnel recovered 1 (one) 7.65 mm pistol with magazine and 3 (three) rds of live. This refers to the Kachugaon PS case no. 42/2015 U/S 120(b)/121/121(A)/122/353/307 IPC, R/W Sec. 25 (1-A)/27 Arms act, R/W Sec. 3 /4 ES Act and R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 376)
- XII. On May 7, 2015 at about 1930 hrs, an encounter took place between a joint team of Police/CRPF (Cobra 40 Bn.)/SSB (16 Bn.)/Army (2nd Rajput Regiment) and NDFB (S) cadres in Ultapani forest area under Kokrajhar PS of Kokrajhar dist. As a result, one unidentified NDFB (S) cadre died on the spot and SF recovered 1 (one) 7.65 mm pistol with 4 rds live ammn., 3 (three) grenades and 2 empty cases from the PO. The SF also demolished one NDFB(S) camp at the said forest. Further information has been received that, the slain extremist was identified as Busha Brahma @ Bushum (28) s/o late Rahin Brahma of Labanyapur (Kokrajhar PS). This refers to Kokrajhar PS case no. 467/2015 u/s 120(b)/121/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec. 25(1-A) Arms Act, R/W Sec 4/5 E. S Act and R/W Sec. 10/13 UA (P) Act. (Ext. 282)
- XIII. On May 31, 2015 at about 0515 hrs, while Police/CRPF (210th Cobra Bn) conducted search operation at Ripu Reserve Forest area under Gossaigaon PS of Kokrajhar dist, an encounter took place between the SF personnel and NDFB (S) extremists. As a result, 1 (one) NDFB(S) extremist namely, Dada Basumatary @ Khwmtha @ Ladar (28) s/o Siben Basumatary of Rupnathpur, PS Kachugaon died on the spot and others manage to escape under the cover of dense forest. During search SF personnel recovered 1 (one) 7.65 mm pistol with magazine and 4 rds of live ammn, 2 (two) grenades, 3 (three) 7.65 mm empty cases and 1 (one) mobile handset from the PO. This

- refers to Gossaigaon PS case no. 237/2015 u/s 120(b)/121/121(a)/122/353/307 IPC, R/W Sec. 25(1-b)(a)/27 Arms act, r/w sec. 5 ES Act and r/w Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 325)
- XIV. On June 10, 2015 at about 0430 hrs, an encounter took place between Police/Army (7th JAT Regiment) and NDFB (S) extremists at Pathardubi Pt-I under Kajigaon PS of Kokrajhar dist. as a result, one NDFB(S) cadre namely, Parajit Brahma @ B. Laodar, s/o Gabinda Brahma of Gorolmari, PS Bogribari, Dist. Kokrajhar died on the spot. The SF personnel recovered 1 (one) 7'65 mm pistol with magazine and 8 rds of live ammn, 2 grenades and 6 empty cases from the PO. In this connection a case has been registered at Bijni PS case no. 253/14 u/s 365 IPC. (Ext. 170)
- XV. On June, 22, 2015 at about 1200 hrs, following a secret information about the movement of NDFB(S) extremists in Durgapur area under Chungajan PS, while a joint team of Police/CRPF (Cobra Bn.) were conducting search operation there, an encounter took place between the search party and NDFB(S) extremists. No casualty/injuries have been reported from the either side. During search police recovered 1 (one) 9 mm pistol from the PO. Further information received that the SF personnel also recovered 5 rds. of 9 mm live ammn from the PO. In this connection a case has been registered at Chungajan PS vide no. 13/15 u/s 120(B)/121/307/34 IPC, R/W Sec. 25(1-A)/27 Arms Act, R/W Sec.10/13 UA(P) Act. (Ext. 84)
- XVI. On July 01, 2015 at around 0540 hours, an encounter took place between Police/CRPF (210 Cobra Bn.) and NDFB (S) cadres at Ripu Reserve Forest (Gossaigaon PS). As a result one NDFB (S) cadre namely Khwmtha Goyary (27) s/o Dharmendra Goyari of Mokrapara (Kokrajhar PS) died on the spot. The SF personnel recovered 1(one) 7.65 mm pistol with 4 (four) rounds of live ammunition, 2 (two) empty cases, 2 (two) grenades and 1 (one) mobile handset from his possession. This refers to Gossaigaon PS case no. 307/15 u/s 120(b)/121/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec. 25(1-B)/27 Arms Act R/W Sec. 4/5 E. S. Act and R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 328)
- XVII. On July 17, 2015 at about 1700 hrs, an encounter took place between police and NDFB (S) cadres at Borogaon under Gossaigaon PS of Kokrajhar dist. As a result, one NDFB (S) cadre namely, Junu Brahma @ B. Sijou (SS Dy. Commander of 14th Bn) s/o Ranjit Brahma of Boro Belguri, PS Bagribari died on the spot. During search police recovered 1 (one) 9 mm pistol with 1 (one) magazine, 6 rds of live ammn, 2 (two) grenades and 3 mobile handsets from the PO. This refers to Gossaigaon PS case no. 337/15 U/S 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC, R/W Sec. 25(1-B) (A) Arms Act, R/W Sec. 4/5 E.S Act, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 330)
- XVIII. On July 21, 2015 at about 0345 hrs, an encounter took place between Police/CRPF (Cobra 210 Bn.) And NDBF(S) cadres at Bagansuti under Amguri PS of Chirang dist. As a result, one NDFB (S) cadre namely, Ringsar Basumatary @ Gaitha (24) s/o Pithar Basumatary of Rangijhora, PS Amguri died on the spot. During search recovered 1 (one) 9 mm pistol with 5 (five) rds of live ammn and 1 (one) grenade from the PO. This refers to Amguri PS case no. 43/2015 U/S 120(b)/121/121(a)/122 IPC R/W Sec. 25(1-A) Arms Act & R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 171)
- XIX. On Aug 25, 2015 at about 2205 hrs, an encounter took place between police and NDFB(S) cadres at Nunkhowa village Gossaigaon PS of Kokrajhar dist. As a result, one NDFB(S) cadre namely, Lachit Brahma @ Lukhumwt (22) (SS I/C Tipkai Platoon), s/o Nilkamal Brahma of Choto Bhelguri, PS Bogribari sustained bullet injuries. He was shifted to the R.N.B. Hospital for treatment but the attending physician declared him brought dead. Police recovered 1(one) 7.62 mm pistol along with 1 (one) magazine and 3 rds live ammn., 2 (two) grenades, 1 (one) mobile handset and 4 (four) empty cases from the PO. In this connection a case has been registered at Gossaigaon PS vide no. 393/15 U/S 120(B)/121/121(A)/353/307 IPC, R/W Sec. 25(1-B)(A)/27 Arms Act, R/W Sec. 4/5 E. S. Act and R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 333)

- XX. On Aug 29, 2015 at around 0515 hrs, an encounter took place between Police/Army (7 Sikh LI) and NDFB (S) extremists at the nearby jungle area of Oxiguri village (Amguri PS). As a result, two NDFB (S) extremists namely Gwmsrang Narzary @ N. Gundwi, s/o late Upen Narzary of Oxiguri and Jaysath Basumatary @ B. Jwngthi, s/o Pison Basumatary of Dotoma village (both under Amguri PS) sustained bullet injuries on their persons. The injured militants were shifted to the JSB Hospital, Kajalgaon for treatment. But both of them succumbed to their injuries on their way to the hospital. The SF personnel recovered 1 (one) M-16 (UBGL) rifle with 4 (four) magazines, 1 (one) AK-56 rifle with 3 (three) magazines, 1 (one) 7'65 mm pistol and 136 rds of live ammn from the PO. This refers to Amguri PS case no. 48/15 U/S 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec. 25(1-A)/27/35 Arms Act and R/W Sec. 10/13/15/16 UA(P) Act. (Ext. 172)
- XXI. On Sept. 3, 2015 at about 0540 hrs, an encounter took place between police/CRPF (129th Bn.)/Army (3 Rajput Regiment) and NDFB(S) cadres at Ultapani Forest area under Kokrajhar PS. As a result, 1(one) NDFB (S) cadre namely, Bhalgo Boro @ B. Bilaigra (SS Section Commander, Serfanguri) s/o Suniram Boro of Sagaluhar, Ps Paneri, Dist. Udalguri died on the spot. The SF personnel recovered 1(one) AK-56 rifle with magazine, 32 rds. of live ammn., 2(two) grenades and 18 empty cases from the PO. This refers to Kokrajhar PS case no. 728/2015 U/S 120(b)/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec. 25(1-A) Arms Act R/W Sec. 3 /4 ES Act and R/W Sec. 16/20 UA(P) Act. (Ext. 285)
- XXII. On Oct. 8, 2015 at about 1910 hrs, an encounter took place between police and NDFB(S) extremists at River Towta, near Rowta Gate under Mazbat PS of Udalguri district. As a result, 1 (one) NDFB (S) cadre namely, Thopsa Basumatary @ B. Onsai s/o Mebla Basumatary of Banoguri, Hugrajuli, PS Dhekiajuli, dist. Sonitpur died on the spot. Police recovered 1 (one) 7.65 mm pistol with 1 (one) magazine, 4 rds live ammn., 2 empty cases and 2 (two) mobile handsets from his possession. In this connection a case has been registered at Mazbat PS vide no. 76/15 U/S 120(B)/353/307 IPC R/W Sec. 25(1-A)/27 Arms Act and Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 19)
- XXIII. On Nov 13, 2015 at around 0505 hrs, an encounter took place between Army (7th Sikh LI) and NDFB(S) cadres at Dwigudung village under Runikhata PS. As a result one NDFB (S) cadre sustained bullet injuries. He was admitted at JSB Civil Hospital for treatment where he succumbed to his injuries. During search Army recovered 1 (one) 9 mm pistol with 1 (one) magazine, 4 (four) rds of live ammn, 2 (two) mobile handsets with 3 (three) SIM cards and 4 (four) mobile batteries from the P.O. Reportedly, the slain militant was identified as Jaola Muchahary (33) S/o Hapram Muchahary of the said village. In this connection a case was registered at Runikhata PS vide no. 60/15 U/s 120(B)/121/121(A)/353/307 IPC R/W Sec. 25(I-A)/29 Arms Act and Sec. 16/18/20 UA (P) Act. (Ext. 173)
- XXIV. On Nov, 17, 2015 at about 0830 hours, an encounter took place between police/Army (36th Assam Rifles) and NDFB (S) extremist namely Khamkham Doimary s/o Smti Khaguni Doimary of Thaibung (Dhekiajuli PS) died on the spot. The SF personnel recovered 1 (one) pistol and 1 (one) grenade from the P.O. This refers to Dhekiajuli PS case no. 706/2015 u/s 120(b)/121/353/307/384/34 IPC, R/W Sec 4/5 ES Act, R/W Sec. 25(I-A)/27(B) Arms Act & R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 235)
- XXV. On Dec 8, 2015 at around 0545 hrs, an encounter took place between Police/Army (7th Jat Regiment) and NDFB (S) cadres at Silaimatha (Bagribari PS). As a result one NDFB (S) cadre namely Nerswn Brahma @ Naidaw s/o Sunil ch. Brahma of Bhumka (Gossaigaon PS) died on the spot. During search SF personnel recovered 1 (one) AK-47 rifle with 2 (two) magazines, 44 (forty four) rds of live ammn, 2 (two) mobile handsets with 6 (six) SIM cards and cash R. 11530/- from the PO. This refers to Bagribari PS case no. 160/15 has been registered. (Ext. 384)
- XXVI. On Feb 8, 2016, at around 0330 hrs, an encounter took place between Police/Army (7th Sikh LI) and NDFB(S) cadre at Ranipur (Runikhata PS). As a result one NDFB(S)

cadre namely Uday Narzary @ N. Udang @ Khilikhang (S/S 2nd I/C of NDFB-S, Serfanguri) s/o Jamba Narzary of Edenbari (Runikhata PS) sustained injuries and was shifted to hospital for treatment where he succumbed to his injuries. 1 (one) AK-56 rifle with 9 (nine) rds of ammn, 10 (ten) empty cases and cash Rs. 31000/- were recovered from his possession. In this connection a case was registered at Runikhata PS vide no. 09/16 U/S 120(B)/121/122/353/307 IPC, R/W Sec. 25(I-A)/27(2) Arms Act and Sec 16/18/20 UA(P) Act. (Ext. 174)

- XXVII. On Feb 14, 2016 at about 0600 hours, an encounter took place between Police/Army (3rd Rajput Regiment) and NDFB(S) cadres near Khaoshi Bazaar Reserve Forest (Serfanguri PS). As a result two NDFB(S) cadres namely Jangswrang Basumatary @ Ladai (22) s/o Robin Basumatary of Auzarguri and Sanjib Basumatary @ Kardesh (19) s/o Sunilal Basumatary of Padmabil (both under Serfanguri PS) sustained injuries. They have shifted to Dotma hospital for treatment where the attending physician declared them brought dead. The SF personnel recovered 2 (two) 7.65 mm pistols with 2 (two) magazines, 1 (one) magazines of AK-47 rifle, 13 (thirteen) rounds of AK-series ammunition, 2 (two) grenades, some explosives substances, 12 empty cases and 2 (two) mobile handset from the PO. This refers to Serfanguri PS case no. 12/16 u/s 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec. 25(I-A) Arms Act R/W Sec. 16/20 UA(P) Act & R/W Sec. 3/4 ES Act. (Ext. 357)
- XXVIII. On March 10, 2016 at about 0830 hrs, an encounter took place between Police/Commando Bn. (210th cobra) and NDFB(S) cadres at Garali Chapori near Jiabharali river (Chariduar PS). As a result, one NDFB(S) cadre namely Thulunga Basumatary (30) s/o Prasanta Kr. Basumatary of Gujungapuri under Bashista PS in Guwahati City sustained bullet injuries. He was shifted to Kanaklata Civil Hospital, Tezpur for treatment where the attending physician declared him brought dead. The SF personnel recovered 1 (one) pistol with 1 (one) magazine, 2(two) rds of live ammn. and 1 (one) mobile handset from the PO. In this connection a case was registered at Chariduar PS vide no. 35/16 U/S 120(B)/121/122/387/307 IPC R/W Sec 25(1-A)/27 Arms Act and Sec 10/13 UA(P) Act. (Ext. 230)
- XXIX. On March 15, 2016 at about 0800 hrs, an encounter took place between Police/Army (Red Horn Division) and a group of NDFB(S) extremists and Milaopur under Mazbat PS of Udalguri district. As a result, one hardcore NDFB(S) extremist namely, Swmla Basumatary (22) s/o Genda Basumatary of Pachim Naokata, PS Goreswar, Dist. Baksa died on the spot and others managed to escape from the PO. The SF personnel recovered 1 (one) 7'65 mm pistol with magazine and 2 rds live ammn, 1 grenade, 5 empty cases and 1 extortion receipt book from the PO. This refers to Mazbat PS case no. 21/16 U/S 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec. 25(1-A)/27 arms Act R/W Sec. 3/4 E. S. Act, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 21)
- XXX. On May 11, 2016 at around 0630 hrs, an encounter took place between Police/Army (3rd Rajput Regiment) and NDFB(S) cadres at Ripu Reserve Forest area. As a result one NDFB(S) cadre namely, Birbal Islary @ Banjal (30) s/o Rajen Islary of Pub Domgaon, PS Runikhata, Chirang died on the spot. The SF personnel recovered 1(one) AK-56 rifle with magazine, 31(thirty one) rds of live ammn, 14(fourteen) empty cases, 5 (five) mobile handsets, 3 SIM Cards etc. from the PO. The SF personnel also busted a temporary camp of NDFB(S) at Dampwla/Lalbhita area on the same day (11-05-16). In this connection a case was registered at Kokrajhar PS vide no. 274/16 U/S 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec. 25 (1-A)/27 Arms Act and Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 279)
- XXXI. On May, 18, 2016 at about 1700 hours, an encounter took place between Police/army (168th regiment) and suspected NDFB(S) cadres at Chandanguri area along Assam-Arunachal Pradesh border. This refers to Mazbat PS GDE No. 359 dtd 18.05.2016 and another return G.D.E. No.375 18/05/2016. (Ext. 31)
- XXXII. In the intervening night of July 16/17, 2016, an encounter took place between Police army (3rd Rajput regiment) and NDFB(S) at Khalashi forest area (Serfanguri PS). As a

result one NDFB(S) cadre namely Sudem Borgoyary @ Garam (19) s/o Ranen Borgoyary of Udangshri (Kokrajhar PS) sustained injuries and he was shifted to RNB Civil hospital for treatment where the attending physicians declared him brought dead. Two (2) pistols with 4(four) rds of 7.65 mm live ammunition, 12(twelve) empty cases of AK-series, 2(two) empty cases of 9 mm ammunition, 3(three) empty cases of 7.65 mm ammunition, 2 (two) grenades and 1 (one) extortion note of NDFB(S) were recovered from the PO. This refers to Serfanguri PS case no. 49/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/122/307/35/387 IPC R/W Sec. 25(1-A)/27(II) Arms Act R/W Sec. 4/5 ES Act, R/W 10/13 UA(P) Act. (Ext. 359)

- XXXIII. In the intervening night of July 16/17, 2016, another encounter took place between the Police/Army (3rd Rajput regiment) and NDFB(S) cadres at Ultapani forest area (Kokrajhar PS). As a result, two NDFB(S) cadres namely Ritu Basumatary @ Rugungsha s/o Baloram Basumatary of Samabari Simbwrgaon and Rahul Basumatary @ B. Rakhao s/o Babrubhan Basumatary of Labanypur Ultapani (Both under Kokrajhar PS) sustained injuries. They were shifted to RNB civil hospital for treatment where the attending physicians declared them brought dead. Two (2) 7.65 mm pistols with 5 (five) rds of live ammunition, 1 (one) magazine of AK-series rifle, 2(two) grenades, cash Rs. 1800/-, 2 (two) letter pads of NDFB(S) etc. were recovered from the PO. This refers to Kokrajhar PS case no. 412/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/122/307/35/387 IPC R/W Sec. 25(1-A)/27(II) Arms Act R/W Sec. 4/5 ES Act, R/W 10/13 UA(P) Act. (Ext. 306)
- XXXIV. In the intervening night of July 24/25, 2016 during search operation at North Jharbari under Serfanguri PS, an encounter took place between Police/CRPF (210th cobra)/Army (3rd Rajput regiment) and NDFB(S) cadres. As a result, two NDFB(S) cadres namely Phunka Narzary (22) s/o Ranen Narzary of Namapara (Kokrajhar PS) and Jwngsar Basumatary @ Laodum (23) s/o Kashiram Basumatary of Baganpara (Serfanguri PS) sustained bullet injuries. They were immediately shifted to RNB Civil hospital, Kokrajhar for treatment where the attending physician declared them brought dead. The SF personnel recovered 2 (two) 7.65 mm pistol with few rds of live ammunition and 2(two) Chinese hand grenades from the PO. This refers to Serfanguri PS case no. 50/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/122/307/353/387 IPC R/W Sec 25(I-A)/27 Arms Act R/W Sec. 4/5 E.S. Act and R/W Sec 10/13 UA(P) Act. (Ext. 361)
- XXXV. On Aug. 19, 2016 at around 0500 hours, an encounter took place between Police/CRPF/Army and NDFB(S) extremists at Paharpur forest area along Assam-Arunachal border. As a result 3 (three) NDFB(S) extremists died on the spot. Later, one of the slain extremist has been identified as Bothol @ Bipul Boro (28) (ss section commander) s/o Fuleswar Narzary of Aboi centre, Bathupara (Dhekiajuli PS) and the other is yet to be identified. During search police busted a camp of NDFB(S) and recovered 3(three) pistols 2 (two) grenades, 8(eight) rounds of live ammunition, 5 (five) mobile handsets etc. and also dismantled the camp used by the extremists. Further information has been received that, one among the two unidentified slain extremists have been identified as Hulonga Goyari (23) s/o Hemon goyari of Laigangpara (Rangapara PS). In this connection a case has been registered at Rangapara PS vide no. 98/2016 U/S 121/121(A)/120(B)/384/353/307/34 IPC, R/W Sec 25(I-A)/27 (2) Arms Act R/W Sec 3 /4 E. S Act and R/W Sec10/13 UA(P) Act. The third slain militant has been identified as Rajib Narzary @ Rwkha (25) (SS Platoon commander) s/o Baburam Narzary of No.1 Daorigabni (Sarfanguri PS). (Ext. 232)
- XXXVI. On Sept. 06, 2016 at around 0420 hours, an encounter took place between police personnel and two NDFB(S) cadres in the jungle area located at the Northern side Mainaopur village (Kachugaon PS). As a result, s/s I/C, Logistic and Ration supply, NDFB(S) camp located in Bhutan namely Agun Basumatary s/o Rajen Basumatary of Banjudbari (Basugaon PS, Chirang district) sustained bullet injuries on his person and the other managed to escape under the cover of thick forest. The injured cadre was shifted to the RNB Civil Hospital, Kokrajhar, but the attending physician declared him brought dead. Police recovered 1 (one) AK-81 rifle with magazine, 11 (eleven) rounds

7.62 mm live ammunition, 21 (twenty one) rounds empty cases, 2 (two) HE grenade, cash Rs. 21000/-, 1 (one) mobile handset, 1 (one) copy of the constitution of NDFB(S) etc. In this connection a case has been registered at Kachugaon PS vide no. 63/16 u/s 120(B)/121/121(A)/122/353/307/387 IPC R/W Sec. 25(I-A)/27 Arms Act, Sec. 4/5 ES Act and Sec. 10/11/13/17 UA(P) Act. (Ext. 381)

- XXXVII. On Sept 22, 2016 an encounter took place between Police/NDFB(S) cadres at Labanyapur, Bismuri (Kokrajhar PS). As a result one NDFB(S) cadre namely Rajiv Basumatary @ Mergang (35), S/o Jishway Basumatary of Thaisuguri Lalmati (Runikhata PS, Chirang district) sustained grievous injuries on his person. He was immediately shifted to the RNB civil hospital, Kokrajhar for treatment but, the attending doctor declared him brought dead. Police recovered 1 (one) .22 pistol with 3(three) rds live ammunition, 6 (six) rds of 7.62 mm live ammunition, 2 (two) hand grenades and 2 (two) empty cases from the P.O. this refers to Kokrajhar PS case no. 542/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec 25(I-A)/27 Arms Act R/W Sec. 4/5 E.S. Act, R/W Sec 10/13 UA(P) Act. (Ext. 309)
- XXXVIII. On Oct, 17, 2016 at around 0630 hrs, an encounter took place between Police/Army (24 Assam Rifles) and NDFB(S) cadres at Diringnala near Assam-Arunachal Pradesh border under Biswanath Chariali PS, but no injury was reported from either side. However, the SF personnel managed to apprehend one of the NDFB(S) cadres, namely, Bikram Mushahary @ M. Burlong Buthur (24) s/o Babul Mushahary of No. 8 Gejejuli Batashipur, PS Dhekiajuli and recovered 1 (one) handmade gun from his possession. Two small makeshift camps have also been busted by the SF personnel there and another cadre namely Badaisha fled away. In this connection a case has been registered at Biswanath Chariali PS vide no. 308/2016, U/S 120(B)/121/121(A)/122/307 IPC, R/W Sec 25(I-A)/27 Arms Act, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 208)
- XXXIX. On Oct. 27, 2016 at around 1130 hrs, an encounter took place between police and NDFB(S) cadres at No. 1 Hahini village under Tangla PS. As a result, one suspected NDFB (S) cadre namely, Subun Basumatary @ Gailang (22) s/o late Ajoy Basumatary of Balipara, PS Harisinga sustained bullet injuries. He was shifted to Panery PHC for treatment wherefrom he was referred to GMCH for better treatment. During search police recovered 1 (one) 7.65 mm pistol with 3 (three) rds of live ammn, 1 (one) empty case and 1 (one) mobile handset from the PO. This refers to Tangla PS case no. 137/16 U/S 353/307 R/W Sec. 25(I-B)/27 Arms Act. (Ext. 13)
- XL. On Oct. 20, 2016, at around 2230 hours, during mobile naka checking near Champa River Bridge and Lamoti along Chirang-Kokrajhar district border (Sidli PS), Police signalled one Tata Magic vehicle coming from Sidli side to stop. At this the occupants of the vehicle (suspected to be NDFB-S extremists) turned back their vehicle to flee away and fired towards the Police party. On retaliation, Police also fired upon the suspected unknown extremist. As a result, one suspected unknown extremist sustained bullet injury on his person and others managed to flee away. Police shifted the injured person to the Chirang Civil Hospital where the attending physician declared the said injured person brought dead. Police recovered 1 (one) 7.62 mm pistol, 1 (one) magazine, 2 (two) rounds live ammunition, 2 (two) empty cases, 1 (one) mobile handset and a wallet from the PO and 740 rounds of AK series live ammunition from the said vehicle. Further information has been received that the slain militant has been identified as Arun Borgoyari (29), S/o Rijen Borgoyari of South Batabari (Sidli PS). In this connection a case was registered at Sidli PS vide no. 48/16 U/S 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC, R/W Sec. 25 (1-A)/27 Arms Act. And Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 175)
- XLI. On Dec. 9, 2016 at around 2030 hrs, when a joint team of Police/CRPF (Cobra Bn) and Army (3rd Rajput regiment) conducted search operation in Saraibeel jungle area, Oxiguri village (Gossaigaon PS), then an encounter took place between the said SF personnel and a group of NDFB (S) extremists. On Dec. 10, 2016 morning during search, the SF personnel recovered two dead bodies of NDFB (S) cadres who were

identified as Ranjit goyary @ G. Rangjasula (24) s/o Onthala goyary of Takampur village (Kachugaon PS) and Gaorao Narzary (21) s/o late Ganak Singh Narzary of Oxiguri (Gossaigaon PS) from the said jungle and also recovered 1 (one) AK-56 rifle, 1 (one) 7.65 mm pistol, 21 rds of AK-series live ammunition, 2 (two) rds of 7.65 mm ammunition, 11 (eleven) empty cases, cash Rs. 600/- some ration and medicine from the PO. This refers to Gossaigaon PS case no. 669/16 U/S 120(B)/121/121(A)/122/123/353/307/34 IPC R/W Sec. 25(I-A)/27 Arms Act and R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 336)

- XLII. On Dec. 28, 2016, at around 0130 hours, an encounter took place between police/army (7th Sikh LI) and suspected NDFB(S) cadres at Asrabari village near Laopani river (Kokrajhar PS). As a result, one unidentified NDFB(S) cadre sustained injuries. He was admitted at RNB civil hospital for treatment where the attending physician declared him brought dead. 1 (one) AK-56 rifle with one magazine, 11 (eleven) rounds of live ammunition, 9 (nine) empty cases, 1 (one) grenade and 2 (two) mobile handsets were recovered from the PO. Further information has been received that, the unidentified slain cadre has been identified as Ratan Narzary (40) s/o late Deobar Narzary of Kumguri (Runikhata PS, Chirang district). In this connection a case has been registered at Kokrajhar PS vide No. 734/16 u/s 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC, r/w Sec. 25 (1-a)/27 Arms Act. r/w Sec 4/5 E.S. Act and Sec. 10/13 UA (P) Act.
- XLIII. On Dec. 31, 2016 at around 1530 hrs. an encounter took place between police/ CRPF (cobra Bn) and NDFB (S) cadres at Dhupguri (Orang PS). As a result, one NDFB (S) cadre namely Anthal Raja (30) sustained bullet injuries on his person and one CRPF personnel namely Poritosh Ray (CT/Int) also sustained injuries on his person. Both the injured persons were shifted to Udalguri Civil Hospital for treatment wherefrom Anthal Raja has been referred to GMCH for better treatment. During search the SF personnel recovered 1 (one) 7.66 mm pistol with magazine, 3 (three) rds. live ammunition, 1 (one) grenade, 2 (two) empty cases. In this connection a case has been registered at Orang P.S. vide No. 81/16 u/s 120(B)/ 121/121(A)/ 122/326/387/307/353 IPC R/w sec. 25 (1-A)/27 Arms Act and Sec. 10/13 UA (P) Act. Further information received that said injured NDFB (S) cadre succumbed to his injuries at GMCH on the same day (31-12-16). (Ext. 7)
- XLIV. On Jan 2, 2017 at around 0200 hrs, police/ Army (20th Assam Rifle) conducted search operation at Acharabari area near Laodangi and Batishipur area under Dhekiajuli PS an encounter took place between the SF personnel and NDFB (S) cadre. The SF personnel apprehended the NDFB(S) cadre namely Rahen Mushahary @ M Rakheng @ M Galong (48) S/o Late Bipin Mushahary and one linkman of NDFB(S) namely, Danlal Mushahary (58) S/o Late Durbasu Mushahary, both of Dalphangjuli, P.S. Dhekiajuli. The SF personnel recovered 1 (one) 7.65 mm Chinese pistol, 3 rds live ammn, 1 (one) magazine, 3 mobile handsets with 6 SIM cards etc. from his possession. This refers to Dhekiajuli P.S. vide No. 10/17 u/s 120(B)/121/122/387 IPC R/w Sec. 25 (1-A) Arms Act and R/w Sec. 10/13 UA (P) Act. (Ext. 231)
- XLV. On March, 2017, at around 0445 hours, an encounter took place between police/ Army and NDFB(S) cadres at Simlaguri (Amguri PS). As a result, two NDFB(S) cadres who were identified as Eyob Islary @ David @ Dayub (23) S/o Bineswar Islary of No. 2 Aie Dhuburi and Lukash Narzary @ Langfa (39) S/o Narayan Narzary of Oxiguri (both under Amguri P.S.) sustained injuries. They were shifted to hospital for treatment, but they succumbed to their injuries on way to hospital. The SF personnel recovered 1 (one) Insas rifle with 10 (ten) rounds of live ammunition, 1 (one) China made grenade and some empty cases from the PO. In this connection a case has been registered at Amguri PS vide no. 12/17, u/s 120(B)/121(A)/122/353/307 IPC, R/w Sec. 25 (1-A)/35 Arms Act., R/w Sec. 4 E.S. Act R/w Sec. 10/13/16/18 U/A (P) Act. (Ext. 176)
- XLVI. On May 09, 2017 at around 1600 hours, an encounter took place between police/ Army/SSB (15th Bn) and NDFB (S) cadres at Kuklung area along Indo-Bhutan border

(Bijni P.S.). As a result one unidentified NDFB (S) cadre died on the spot while two other extremists got bullet injuries. It has been reported that one SI of SSB namely Amal Sarker also died on the spot. Further information received that on the same day (May 9), the SF personnel recovered 1 (one) INSAS Rifle, 101 live amm. of INSAS, 131 rds live amm. of AK- series, 23 rds live amm. of SLR. Reportedly the recovered INSAS rifle was looted from Territorial Army in Kokrajhar district in 2014 by Batha-Badal group of NDFB (S). Later the slain militant has been identified as Birbal Islary @ Banso (35) S/o Rajendra Islary of Pub Dumgaon, Bengtal (Runikhata P.S.). In this connection a case was registered at Bijni PS case No. 60/2017 U/s 120 (B)/121/353/307/ 302 IPC R/w Sec 25 (1-A)/27 Arms Act. (Ext. 177)

- XLVII. On May 21, 2017 at around 1655 hrs, an encounter took place between police/Army (7th Sikh LI) and NDFB (S) extremists at Manas Reserve Forest near Sishubari forest village (Amguri PS). As a result, on SS C-in-C of 3rd Bn of NDFB(S) namely, Jirimia Muchahary @ Jarimin sustained bullet injuries on his person. He was immediately shifted to the nearby hospital for treatment where the attending doctor declared him brought dead. The SF personnel also recovered 1 (one) M-16 rifle with 2 rds of live amm., 1 (one) 9 mm Beretta pistol, 2 (two) magazines, 4 (four) rds 9 mm live amm and 18 empty cases were recovered from the PO. Reportedly, the slain militant was involved in various heinous crimes including the Saralpara Adivasi Massacre in Kokrajhar, kidnapping of General Manager of NHPC from Sonitpur, killing of Priya Basumatary and was also a wanted accused of NIA. In this connection a case has been registered at Amguri PS vide No. 21/17 u/s 120(B)/ 121(A)/122/353/307 IPC R/w Sec. 25 (1-A)/27/35 Arms Act, R/w Sec. 10/13/16/18 UA (P) Act. (Ext. 178)
- XLVIII. On June 1, 2017 at around 1945 hours, while Army (3rd Rajput Regiment) laid an ambush at Oxiguri village under Soraibil BOP (Gossaigaon PS), an encounter took place between ambush party and suspected NDFB (S) cadres. In the encounter one civilian namely Rupan Tigga (34) S/O Harha Tigga of Amritpur (Gossaigaon PS) sustained bullet injuries. He was sifted to RNB Civil Hospital, Kokrajhar for treatment wherefrom he was referred to GMCH for better treatment. Army captain T.P. Singh also sustained bullet injuries in the encounter. He was admitted at 151 base Hospital for treatment. Further information received that on 04.06.17 the said Rupan Tigga succumbed to his injuries at GMCH. In this connection a case has been registered at Gossaigaon P.S. case No. 234/2017 u/s 120(B)/121/121(A)/122/353/323 IPC R/w Sec. 27 Arms Act, R/w Sec. 10/13 UA (P) Act. (Ext. 338)
- XLIX. On July 24, 2017, at around 0130 hours, based on secret information, while police was conducting search operation at New Bashbari village (Kokrajhar PS), an encounter took place between police and NDFB (S) cadres. As a result, one NDFB (S) cadre namely Janimun Basumatary @ Biwdoa @ Galor sustained bullet injuries on his person but others managed to escape under cover of darkness. The injured cadre was immediately shifted to RNB civil hospital, Kokrajhar for treatment where the attending doctor declared him as brought dead. Police recovered 1 (one) AK-series rifle with 15 (fifteen) rounds live ammunition and magazine, 10 (ten) empty cases of AK-series rifle, 1 (one) hand grenade, 1 (one) mobile handset from his possession as well as from the P.O. One S.I. (UB) Ramcharan Rabha of Kokrajhar PS sustained minor injury on his leg. In this connection a case has been registered at Kokrajhar PS vide No. 480/17 u/s 120(B)/121/121(a)/122/353/307 IPC, R/w sec. 25 (1-a)/27 Arms Act R/w sec. 4/5 ES Act and Sec 10/13 UA (P) Act.
- L. On Nov, 2, 2017 at about 1900 hrs, on the basis of secret information regarding movement of NDFB (S) leader Bidai and his associates, police laid an ambush at the forest area of Kalamati (Amguri PS). At about 0600 hrs of Nov. 3, an encounter took place between said police team and NDFB(S) extremists but, the extremists managed to flee away to the adjoining jungle. During search police recovered 2 (two) SIM cards and some personal belongings of the extremists. In this connection a case has been registered at Amguri PS vide no. 48/17 U/S 121/121(a)/120(B)/307/353 IPC, R/W Sec. 25(-A)/27 Arms Act and R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 179)

- LI. On Dec. 4, 2017 at around 0530 hrs, an encounter took place between police and NDFB (S) extremists at Bollambari Bagan (Runikhata PS). As a result, one unidentified NDFB(S) linkman died on the spot. During search police recovered one 9 mm pistol with magazine, 5 rds 9 m live ammn., some iron balls, 2 (two) mobile handsets, 1 (one) Khukri etc from the PO. In this connection a case was registered at Runikhata PS vide no. 41/17, U/S 120(B)/121/121(A)/122/353 IPC, R/W Sec. 25(1-A)/27 Arms Act and R/W Sec. 10/13 UA(P) Act and Sec. 51 WL (P) Act. Further information has been received that the slain linkman has been identified as Rajib Basumatary @ Fwila Gabda (34), S/o Shyama Charan Basumatary of No. 4 Samudwisa (Runikhata PS). (Ext. 180)
- LII. On Dec. 11, 2017 at around 2100 hrs, an encounter took place between police and NDFB(S) extremist near No. 2 Burijhar village (Runikhata PS.). No casualty/injury have been reported from either side. Bengtol OP GDE No. 309 dtd. 11-12-17. (Ext. 190)
- LIII. On Dec. 13, 2017 at around 2015 hrs, an encounter took place between Police and NDFB(S) cadres at Dum Bazar (Gossaigaon PS). As a result, one NDFB(S) cadre namely Sohetan Narzary @ Sandw, S/o Late Dharam Das Narzary of Oxiguri, Dum Bazar (Gossaigaon PS) died on the spot and 2 (two) APRR Commandos sustained bullet injuries on their hands. The other NDFB(S) cadres managed to flee away taking advantage of darkness. Police recovered one AK-56 rifle with magazine, 219 rds of AK-series live ammn., 16 rds of AK-series empty cases, 1 (one) country made rifle, 2 (two) grenades, 1 (one) detonator, 2 (two) pistol magazine, 2 (two) mobile handsets, 4 (four) SIM cards, Cash Rs. 10,000/- etc. from the PO. In this connection a case has been registered at Gossaigaon PS vide No. 482/2017, U/S 120(A)/121/121(A)/122/323/387/506/34 IPC, R/W Sec. 25(1-A)/27 Arms Act., Sec. 10/13 UA(P) Act and Sec. 3 ES Act. Further information has been received that on 15-12-2017 a joint team of Police/Army (3rd Rajput regiment) apprehended one bullet injured NDFB(S) cadre namely Martyars Narzary @ N Maothi (24) s/o Dhojen Narzary of Dum Bazar (Gossaigaon PS) from the Forest area of the said locality. The SF personnel also recovered 1 (one) 9 mm pistol with 1 (one) magazine and 5 (five) rounds of live ammunition from the PO. The injured NDFB(S) cadre was admitted at Barpeta Civil Hospital for treatment. (Ext. 340)
- LIV. On Dec. 15, 2017 at around 2330 hours, Police (Assam & Meghalaya/43rd Assam rifles) jointly conducted search operation at Assam Quarry (Umrangso PS) in connection with Khliehrait PS case No. 404/(12)/2017 U/S 363 IPC regarding kidnapping of one Mohendra Rai S/o Late Joy Rai of Khliehrait (Meghalaya) by unknown miscreants from Pyrdung village, East Jayantia Hills Khliehrait on Dec 04. On Dec. 16 at around 0540 hours, an encounter took place between the SF personnel and kidnapers at the said Assam Quarry resulting bullet injuries to the two suspected NDFB(S) militants and recovery of kidnapped person. The injured extremists were immediately shifted to Umrangso hospital for treatment but the attending doctor declared them to be brought dead. In this connection a case was registered at Umrangso PS vide no. 22/17, U/S 120(B)/364(A)/307/353 IPC, R/W Sec. 25(1-B) Arms Act. Further information has been received that the SF party also recovered 1 (one) Austria made pistol, 7 (seven) rds of 9 mm live ammn. and 1 (one) empty case from the P.O. Further information has been received that one of the unidentified dead militant has been identified as Ranjit Mushahari @ Mongla (25) s/o Late Arjun Mushahari of Bosabil (Gossaigaon PS) by the mother. (Ext. 194)
- LV. On Jan 27, 2018 at around 0530 hrs, an encounter took place between police/Army (3rd Rajput regiment) and NDFB(S) cadres at Ride No. 4 of Ripu reserve Forest (Gossaigaon PS). As a result, one NDFB(S) cadre namely, Ricardo Hazuary @ Rekhai (26) s/o Bijoy Hazuary of No. 2 Kusumbil (Gossaigaon PS) died on the spot but his inmates managed to flee away into thick jungle. The SF personnel recovered 1 (one) 9 mm pistol along with 1 (one) magazine, 4 rds of live ammn and 26 rds empty cases, 2 (two) mobile handsets with 2 (two) SIM cards, 17 nos. extortion notes without

addressee, 3 nos. blank letters of NDFB(S) etc. from the PO. In this connection a case has been registered at Gossaigaon PS vide no. 32/18 U/S 120(B)/121/121(A)/122/387/506/34 IPC, R/W Sec. 25 (1-A) Arms Act and Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 352)

- LVI. In the intervening night of Feb. 4/5, 2018 on the basis of secret information about taking shelter of two suspected militants in one house of Belguri village (Amguri PS) Police/Army conducted search operation at the said village. On seeing the search party, the militants opened fire towards search party from a house of the said village. The search party also retaliated the fire. Later on, the search party found one of the militants in injured condition was later identified as NDFB(S) cadre Jordan Narzary of No. 1 Oxiguri (Amguri PS). He was immediately shifted to hospital for treatment but the attending doctor declared him brought dead. The search party also recovered 1 (one) .22 pistol with 1 (one) magazine, 2 (two) rounds of live ammunition and 12 (twelve) empty cases of assorted ammunition from the P.O. This refers to Amguri PS case no. 08/2018 U/S 120(b)/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec 25 (1-A)/27/35 Arms Act, R/W Sec 4 E.S. Act & R/W Sec 10/13/17/18 UA(P) Act. (Ext. 181)
- LVII. On March, 5, 2018, at around 0330 hrs, an encounter took place between Police/Army (3rd Rajput Regiment) and NDFB(S) cadres at Ride Nos. 7 & 9 of Ripu Reserve Forest (Serfanguri PS). As a result, one unidentified NDFB(S) cadre sustained bullet injuries. He was immediately shifted to RNB civil Hospital, Kokrajhar for treatment where the attending physician declared him brought dead. The SF personnel recovered 1 (one) AK-47 rifle with 1 (one) magazine, 16 rds live ammn, 13 nos. empty cases, 1 (one) mobile handset with Bhutan SIM card, 10 nos. extortion notes, some utensils, cash Rs. 2740/- etc. from the PO. In this connection a case has been registered at Serfanguri PS vide No. 13/18 U/S 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec. 25 (1-A)/27 Arms Act and R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. Further information received that the slain militant was identified as Manash Brahma @ B. Mwkhtang (24) s/o Jagat Brahma of Labanyapur Ultapani (Kokrajhar PS). (Ext. 364)
- LVIII. On June 16, 2018, during the hours of search operation (1300 hrs to 1630 hrs) at Janaligaon (Gossaigaon PS) a cross firing took place between Police and NDFB (S) cadres but the NDFB(S) cadres fled away taking advantage of dense forest. No casualty/injury has so far been reported from either side. This refers to Soraibil BOP GDE No. 213/2018 and 214/2018.
- LIX. On Jan 5, 2020, at around 1230 hrs., an encounter took place between Police/Army (5 Garwal rifles) and NDFB(S) cadres in the jungle area of Dwimalupara (New Basti) village under Runikhata PS of Chirang district, as a result, one unidentified cadre sustained bullet injuries and he was shifted to JSB Civil hospital, Kajolgaon where attending physician declared brought dead. The SF personnel also recovered 2 (two) 7.62 mm pistol with 2 (two) magazines, 15 (fifteen) rounds of live ammunition, 2 (two) hand grenades, 2 (two) detonators, 1 (one) mobile handset, 5 (five) extortion letters, 9 (nine) empty cases, cash Rs. 58,500/-, some wearing apparel etc. from the PO. Further information has been received that the cadre who succumbed to his injuries has been identified as Sansula Basumatary @ B. Satbangsha S/o Baliram Basumatary of No. 1 Gwjwnpuri (Runikhata PS). A case has been registered at Runikata PS vide No. 03/2020 U/S 120(B)/121/121(A)/122/353/384 IPC, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act. Sec. 25(1-B)/27(1) Arms Act and Sec. 4/5 ES Act in connection with the said incident. (Ext. 182)
- LX. On Jan 15, 2020 at around 1530 hrs, one NDFB(S) cadre namely Tamang has been killed in an encounter by army (12th Sikh li) at Dekadamra village under Bishmuri OP (PS/Dist.-Kokrajhar). Further information has been received that the slain NDFB(S) militant was identified as Jewel Narzary @ Tamang @ N. Jwnwm S/O Joybhodra Narzary of Thaisuguri under Serfanguri PS. The SF party also recovered 1 (one) Glock 19 Austria made pistol with 5 (five) rounds of live ammunition, 2 (two) magazines, 1 (one) Yamaha motorcycle etc. from the PO. Later on army handed over the dead body along with recovered articles at Bishmuri PP (Kokrajhar PS). In this connection a case

has been registered at Kokrajhar PS vide no. 29/20 U/S 120(B)/121/121(A)/122/307 IPC R/W Sec. 25(1-A)/27(2) Arms Act and Sec. 10/13 UA(P) Act.

(C) Kidnappings:-

- I. On Feb 14, 2017 one Smti Indu Jain w/o Naveen Jain of Ward No. 5 Barpara (Bongaigaon PS) lodged an FIR at Bongaigaon PS stating that her husband Naveen Jain (43) of Ward No. 5 Barpara did not return home after closing the shop at around 1830 hours of Feb 13. In this connection a case was registered at Bongaigaon Ps case no. 130/2017 U/s 365 IPC. On 17.02.2017 Kokrajhar Police and Bongaigaon district Police jointly launched a search operation at Kurshakati village area under Salakhati OP of Kokrajhar PS and apprehended 2 (two) prime accused person namely (1) Mijing Wary (30) (NDFB-P Cadre) s/o Chandra Wary, vill-Thaigirguri, PS & Dist – Kokrajhar and (2) Nitul Brahma (26) s/o Apurba Brahma, vill- Boro Kurshakati, PS & Dist – Kokrajhar from Salakhati area who are involved in kidnapping. Subsequently Police also recovered the victim from Basugaon Area. (Ext. 241)
- II. On Nov. 18, 2014 at around 1200 hrs, one Smti. Rupa Ray w/o Chitta Ray of Kawatika Chouhan (Bijni PS) lodged an FIR at Bijni PS stating that on Nov. 17, 2014 morning, her husband Chitta Ray (petty trader) with one Amar Basumatary of Gerukabari (Bijni PS) went to Panbari area for purchasing silkworm. Since then he has not returned home. On Nov. 18, 2014 at around 0700 hrs, Smti Rupa Ray received a phone call from unknown person suspected to be NDFB(S) extremists that her husband has been kidnapped and an amount of Rs. 20 lacs is demanded for his release. Further information has been received that the said kidnapped Chitta Ray arrived at his home safely at around 1100 hours of Nov 29, 2014. In this connection a case was registered at Bijni PS vide No. 331/14 U/S 364 (A) IPC. (Ext. 183)
- III. On Nov. 24, 2014 morning, Runikhata police recovered an ambulance lying abandoned near Champa river in Santipur area under Runikhata PS of Chirang dist. Reportedly on Nov. 23, 2014 at about 1030 hrs, the said ambulance was hired by some unknown persons suspected to be NDFB (S) extremists for lifting patient from Sanitpur and accordingly, the driver Chiranjit Dey (25) of New Colony, Bongaigaon town (Bongaigaon PS, Bongaigaon dist.) went for the same from Bongaigaon with the said vehicle and since then he remained missing. In this regard a case has been registered at Runikhata PS no. 78/14 U/S 365 IPC. Further information received that on the night of 05.12.2014, Runikhata police recovered the dead body of Chiranjit Dey at Madati near Champa river, PS Runikhata with bullet injury marks. (Ext. 184)
- IV. On Dec. 2, 2014 at around 0930 hrs, following a secret information, I/c, Labdanguri PP (Gobardhana PS) along with his staff recovered the dead bodies of Jamal Khandakar (50)s/o late Anowar Khandakar and Isab Ali (40) s/o Abdul Kader, both of Barapeta (Gobardhana PS) from the jungle area of Moinamata Pathar under Labdanguri PP (Gobardhana PS) with bullet injury marks and their hands tied with ropes. Reportedly, when the aforesaid persons went to Helochiguri (Gobardhana PS) for purchasing paddy straws, some unknown miscreants suspected to be NDFB (S) extremist kidnapped them from Helochiguri and proceeded towards Moinamata jungle area and shot dead them there. In this connection, two cases were registered at Gobardhana PS vide nos. 235/14 U/S 120(B)/364/302/34 IPC and 236/14 U/S 120(B)/364/302/34 IPC. Further information received that on 03.12.2014 Gobardhana police arrested 3 (three) persons, namely, Nakul Basumatary (35) s/o Mahadev Basumatary, Maheswar Daimary (48) s/o late Dhananjay Daimary, both of Labdanguri and Budhbar Basumatary (32) s/o late Rameswar Basumatary of Moinamata Helochiguri all under Gobardhana PS in connection with above cases. (Ext. 59)
- V. On Dec. 09, 2014, acting on a tip off, Chirang Police with the help of Bongaigaon Police/Army (18 Mahar regiment) apprehended 6 (six) NDFB(S) cadres namely Ajoy Basumatary (33) s/o Nikhil Basumatary, Surat Basumatary (22) s/o Jiten Basumatary, both of Patgaon, Derhasat Narzary (19) s/o Ajit Narzary of Serfanguri (All under Serfanguri PS), Ringkhang Narzary (18) s/o Anthai Narzary of Moinaguri (Kachugaon

PS, all in Kokrajhar district), Rakhan Narzary @ Biju (29) s/o Lt. Babu Ram Narzary of Banduguri and Jiban Basumatary (22) S/o Bisti Basumatary of Shantipara Baikhungaon (both of Dhaligaon PS) from Nilibari (Dharigaon PS) while they tried to kidnaped one Bimal Bhowmik, a grocery shopkeeper of that locality. 1 (one) 7.65 mm pistol with one magazine, 4 (four) rounds of 7.65 mm live ammunition, 1 (one) hand grenade and 5 (five) rounds of 9 mm live ammunition were recovered from their possession. Police also seized 1 (one) Maruti Van (AS-01-AD/2055) used by them. This refers to Dhaligaon PS case no. 222/2014 U/S 120(B)/121/121(A)/122/346(A)/511 IPC, R/W Sec. 25(I-A)/35 Arms Act, R/W Sec. 4 E. S. Act & R.W Sec. 10/13 UA(P) Act. (Ext. 185)

- VI. On Dec 27, 2014 one Bishu Sawra s/o late Propino Sawra of Lamabari T.E. of Mazbat PS lodged an ejahar at Mazbat PS stating that his son Sona Sawra (12) and other three persons namely, Kabir Sawra (10) s/o Rupen Sawra, Birju Sawra (42) s/o Apena Sawra and Yubraj Munda (40) s/o Nabendra Munda all of Lamabari T. E. Under Mazbat PS of Udalguri dist. were missing since 24.12.14. In this connection a case was registered at Mazbat PS vide Mazbat PS case no. 74/2014 U/S 365 IPC. (Ext. 23)
- VII. On Jan 2, 2015 the dead body of Kinu Hasda (25) s/o Jhalka Hasda of No. 2 Khoirabari, PS Runikhata of Chirang district was recovered from the said village. Reportedly he was missing since Dec 25, 2014. This refers to Runikhata PS case no. 01/2015 U/S 147/447/436/302 IPC. (Ext. 186)

(D) Ambush/Attack:

- I. On Nov. 2, 2014 at about 0935 hrs, based on a secret information about the movement of suspected NDFB (S) cadres at Kahitoli under Sipajhar PS of Darrang district, police conducted search operation in the said area. During the search operation, 5 (five) persons suspected to be NDFB(S) cadres coming in two motorcycles arrived there and then the police party signalled them to stop, they started firing towards the police party. Police also retaliated the fire. As a result, one suspected NDFB (S) cadre namely, Bimal Rajbongshi (27) s/o Nagen Rajbongshi of Bamunjhar, PS Sipajhar received bullet injuries on his person. The injured person was shifted to Mangaldoi Civil Hospital for treatment wherefrom he was referred to the GMCVH for better treatment. Police also recovered some empty cartridges and 2(two) motorcycles (AS-23 A/8384 & AS-21 D/3189) used by them. This refers to Sipajhar PS case No. 675/2014 U/s 353/307/34 IPC R/w Sec. 25(1-A)/27 arms act sec.10/13 UA (P) Act. (Ext. 138)

48. Sri B. ohnjalu @ Abhiram Basumatary Ex. General Secretary of NDFB(RD) in his evidence on affidavit stated that he is the Ex.-General Secretary of NDFB (Ranjan Daimari Group) and stated about the MoS dated 27.01.2020, joint disbandment ceremony on 09.03.2020 of the NDFB factions and the dismantling of designated camps. In his cross examination by the counsel for the Government of India and Government of Assam he admitted filing of evidence in chief on affidavit before the Tribunal on behalf of NDFB (RD) as its Ex-General Secretary. He received the notice to show cause from the Tribunal in the name of NDFB. He was aware about the gazette notification of the Ministry of Home Affairs, Government of India dated 23.11.2019. He admitted that he did not submit the list of cadre strength directly to the Central Government but submitted it to the Central Government through the Special Branch of Assam Police of Government of Assam. Denied the suggestion that all cadre members of NDFB (RD) had not surrendered and laid their arms and that some of them are still engaged in unlawful activities and they had not laid down all the arms and ammunitions before the Government and have hidden or concealed some of the arms and ammunitions with them.

Cross examination on behalf of State Government

He was authorised by the organization to file written evidence in chief on affidavit on behalf of NDFB(RD) as its Ex-General Secretary and the Ex-President, Ranjan Daimari is in jail. This authorization was given after receipt of show cause notice from the Tribunal on the basis of discussion in the group. The split in NDFB took place in the year 2008 due to ideological differences among its members and differences resulting from the submission of charter of demands. It is not a fact that split in NDFB took place as the Dharendra Boro group started talks with the Government which was not approved by their

faction. The NDFB(RD) group declared ceasefire unilaterally in the year 2011. He is not aware about the mentioning of unlawful activities of NDFB in the year 2011, 2012, 2013 etc., as per the Government records. Admitted that he did not deny the assertion of Government of Assam in its evidence on affidavit filed by Sri Simanta Kr. Das, that NDFB was engaged in unlawful activities in the year 2011, 2012, 2013 etc., as he is not aware about such mentioning in Government records. Sri I.K. Songbijit formed another group as he could not come from Myanmar probably due to some difficulties. He was not aware of any ideological differences with Sri I. K. Songbijit and whether Songbijit formed another group due to his disliking of their engagement in talks with Government. Admitted that he did not specifically deny in his evidence in chief on affidavit the grounds asserted by the Central Government in its Notification dated 23.11.2019 for declaring NDFB as unlawful association.

49. Sri Saikong Basumatary @ B. Saoraigwra, Ex. President and representative of NDFB(S) stated in his evidence in chief on affidavit that he is the Ex-President and representative of the now disbanded NDFB (S) faction. He received the show cause notice issued by the Tribunal. He termed the MoS dated 27.01.2020 as the 3rd Bodo Accord signed within the past 27 years. All the cadres including the one of other NDFB factions laid down their arms on 30.01.2020 and on 09.03.2020 all the factions disbanded their organisation, NDFB. The said fact was acknowledged by the Superintendent of Police, Chirang at Kajalgaon. The notification has become infructuous due to the MoS and if the notification remains in force the purpose of MoS would be nullified, moreso when the NDFB (S) faction projected its ex-president as one of the participants in the ensuing election of BTC. He had moved the Central Government to denotify the NDFB from Schedule I of the UA (P) Act, 1967 showing NDFB as a terrorist organisation.

50. He was cross-examined by the counsel for both the Central Government and the State of Assam. He admitted that he filed his evidence in chief on affidavit as Ex-President of NDFB(S) faction. As shown in the Notification of Central Government dated 23.11.2019, NDFB was declared as an unlawful association on the basis of unlawful incidents mentioned therein. He admitted in his cross-examination that he had not specifically denied the assertion made by the Central Government in its Notification dated 23.11.2019, that Central Government is of the opinion that the violent activities of the NDFB include killing of 19 civilians in incidents of violence since January, 2015 and involvement in about 62 violent incidents since January, 2015. He denied the suggestion that all the members of NDFB(S) cadres had not surrendered and some of them were still engaged in unlawful activities and that NDFB(S) has laid down only few arms and ammunition and concealed the rest of the arms and ammunition.

Cross-examination on behalf of Government of Assam

He admitted that NDFB(S) is a breakaway faction of NDFB(RD). At the time of splitting he was not a National Council Member of NDFB(RD), though, he was only a cadre member. Ideological differences was the reason for the breaking away. He left from NDFB (RD) group in the year 2012 and at that time president of NDFB(S) was Shri. I.K. Songbijit. At the time of breaking away the NDFB(RD) faction was under ceasefire.

All the cadre members of NDFB(S) surrendered after the laying down of arms ceremony, which took place on 30.01.2020. In other words, as of now there is no member of NDFB(S) who is yet to surrender. All the five persons whose names are mentioned in Ext. 410 namely Shri. Rajen Daimary, Shri Sansuma Basumatary, Shri. Gangaram Basumatary, Shri. Surju Brahma and Shri. Sukuram Brahma are members of NDFB(S) and they have reached their respective homes after their quarantine, but he does not know about Shri. Shiba Basumatary @ Sujlan though read about him in the newspaper. He was not a member of NDFB(S).

51. Sri Dharendra Boro, Ex- President of NDFB(P) (Dhirendra Group) also submitted his evidence in chief on affidavit and stated that he is the Ex.-President of NDFB(P) Dharendra Group. Admitted the objective of NDFB to free Boro and other indigenous tribal people of Assam from the forcible domination by the ruling clique through armed struggle. Admitted the banning of the organisation and the execution of ceasefire signed by it in 2005 and the subsequent MoS dated 27.01.2020. Further admitted the disbanding of NDFB. In his cross-examination he admitted that he is the Ex-President of NDFB(P). In his cross examination he stated that he is aware of the notification dated 23.11.2019. He failed to state the date on which the list of cadres was submitted to the Central Government. He denied the suggestion that all the cadres of NDFB didnot surrender.

He was authorised by NDFB(P) (Dhirendra Boro Group) to file the evidence and written objection. Denied the suggestion about the existence of NDFB(P) (Dhirendra Boro) after 09.03.2020. He was a member of BSF (Boro Security Force) before coming into existence of NDFB. BSF and NDFB are same associations. Admitted non-denial of the violent activities carried out by NDFB since the ceasefire in 2004 in his written statement on being confronted the written statement.

Difference existed between NDFB(P) (Dhirendra Boro Group) and NDFB(RD) as the former abandoned the demand for sovereignty and it led to splitting of NDFB. Ext.405 was not denied by him.

DISCUSSION AND FINDINGS

52. Mr. Keyal the learned Asstt. Solicitor General of India supported the action of the Government of India in issuing the notification. In support of his contention he referred to the evidence of Mr. Pandey who stated that on the basis of the inputs of the Government of Assam the notification was issued. Referring to the evidence on record of the police officers it is submitted that the inputs to the officials in MHA are authentic so far the unlawful activities of the cadres of the outfit are concerned. He also raised the issue that the persons who raised objection against the issuance of the notification have no locus standi inasmuch as they are not the representatives of the NDFB rather, they are either the Ex. General Secretary or the Ex-President of the outfit. The written objections are totally silent in respect of the crimes purportedly carried out by the NDFB cadres nor there is any denial to it. The Memorandum of Settlement which is an admitted position is a development after the issuance of the notification and the question of its consideration by the Tribunal doesnot arise at all. The notification speaks of the unlawful activities which the outfit continued even after issuance of the earlier notification on 23.11.2014. The activities of the cadres of the outfit subsequent to 23.11.2014 and preceding 22.11.2019 are the consideration for the notification under reference. The Government of India on the basis of the grounds mentioned in the notification rightly issued the same.

53. Mr. Saikia, the learned Senior Counsel representing the Government of Assam supported the submission of Mr. Keyal. In respect of the point raised by the learned counsel for the outfit that the confirmation of the Tribunal U/S 4 of the UA(P) Act, 1967 is of no use as the organization NDFB had already been disbanded, Mr. Saikia objected strongly. In support of his objection Mr. Saikia refers Section 41 of the UA(P) Act, 1967 and submits mere formal act of dissolution of the organization shall not deemed to have ceased to exist unless any actual combination for the purposes of such organization stops between any members thereof. The three persons objecting the notification under reference were admittedly the members of NDFB. Purportedly they disbanded their respective factions but thereafter on receipt of the notice they again combined objecting confirmation of the notification which declared the outfit NDFB as an unlawful association for its involvement in unlawful activities. According to Sri Saikia, the confirmatory order or any order passed by this Tribunal shall bind the organization as per Section 41 of the UA(P) Act, 1967. Mr. Saikia finally concludes his submission that the inputs to the Government of India by the Government of Assam have the basis to conclude that the cadres of the outfit involved themselves in the terrorist and subversive acts with the sole object for creation of an independent Boroland on its cessation from the Indian territory. The said acts are unlawful activities calling upon the Government of India to declare the outfit as an unlawful organization.

54. Ms. Daimary the learned counsel for the NDFB (Dhirendra) and (RD) factions submitted her written argument. Mr. Narzary on the other hand submitted his oral argument. Both the learned counsel opposed the issuance of the notification under reference on the ground that as per the MoS dated 27.01.2020 the cadres of the NDFB of all the factions have surrendered indicating the number of cadres pre and post surrender stages. Arms and ammunition are also surrendered. The Government of Assam being satisfied with the subsequent acts of the cadres also closed the designated camps. According to the counsel, the cadres already abjured violence after dropping the agenda of a separate state. There remains no active cadres in Myanmar base camps. In support of the contention it is submitted that most of the Police Officers in their cross examination admitted the fact that no fresh cases of violence were registered after signing of the MoS.

55. The Government of India and the Government of Assam promised to rehabilitate the cadres of the outfit under various schemes to be formulated by it including dropping of criminal cases which are not heinous in nature pending against the cadres. Referring to the evidence of Sri Pandey and Sri Das, both the learned counsel submit that merely on the probability of taking up arms again by the cadres the issuance of notification under reference, belies the grounds mentioned in the notification and the said probable cause

cannot be a ground for confirmation of the reference. Both the counsel projected that after the organization was disbanded there is no entity as such like NDBF to bind the organization referred in the notification under reference by any order and Section 41 of the UA(P) Act, 1967 cannot be invoked by the Government. Thus both the learned counsel sought for non confirmation of the notification under reference mainly due to signing of the MoS dated 27.01.2020 and the subsequent acts on the part of the cadres as hereinabove stated.

56. I have given due consideration to the submissions made by the learned counsel. The learned counsel for the NDFB factions raised the issue that the notification has become redundant once the Government of India and Government of Assam had entered into MoS dated 27.01.2020 and on the basis of the terms of MoS, the cadres abjured the path of violence and surrendered disbanding the outfit (organization) NDFB. This submission is opposed by the learned counsel representing the Government of India and Government of Assam on the ground that on the relevant date of notification under reference, the MoS was not in existence. So the question of consideration as one of the grounds, the execution of said MoS doesnot arise at all rather, the considerations were the subversive acts of the cadres of the outfit in order to achieve the Boroland as an independent state seceded from the Indian territory.

57. The notification dated 23.11.2019 under reference was issued by the Government of India through the MHA on the specific grounds mentioned therein itself under Section 3(1) of the UA(P) Act, 1967. The said Section prescribes that if the Central Government is of opinion that any association is, or has become, an unlawful association, it may, by notification in the Official Gazette, declare such association to be an unlawful and it is mandatory to specify the grounds on which it is issued and such other particulars as the Central Government may consider necessary. However no such notification shall have effect until the Tribunal has, by an order made under Section 4, confirmed the declaration made in the notification and the order is published in the Official Gazette.

58. Section 4 of the UA(P) Act, 1967 stipulates that it is mandatory on the part of the Central Government within thirty days from the date of publication of the notification under sub-Section (1) of Section 3 of the UA(P) Act, 1967 to refer the notification to the Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful. On receipt of reference it is the duty mandated on the Tribunal to call upon the association concerned to show cause why the association should not be declared unlawful. The Tribunal thereafter shall hold an inquiry in the manner specified under Section 9 of the UA(P) Act, 1967 and after calling for such further information as it may consider necessary from the Central Government or from any official bearers or member of association the Tribunal is mandated to decide the sufficiency of causes shown for declaring the association to be unlawful.

59. The Government of India for the purpose of Section 3(1) of the UA(P) Act, 1967 opined that the NDFB has been indulging in illegal and violent activities intended to disrupt or which may disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective, of achieving a separate Boroland. For furtherance of its objective the outfit aligning itself with other underground outfits of North Eastern Region, engaging in unlawful and violent activities undermining the authorities of Government of India and the Government of Assam spreading terror and panic among the people including other acts of extortion, kidnapping and recruiting new cadres etc.

60. From the evidence of the Superintendent of Police of various districts it is found that terrorist and subversive acts, extortion and kidnapping took place w.e.f. 23.11.2014 till 22.11.2019 and also thereafter purportedly carried out by the cadres of the outfit. The stand of the counsel representing the factions of NDFB itself indicates that the cadres abjured the path of violence after the MoS dated 27.01.2020. The said acts of violence, prior to execution of MoS are considered as the grounds/causes in issuing the notification dated 23.11.2019. The said acts are unlawful acts of the cadres of the NDFB transforming the outfit as an unlawful organization within the scope of the UA(P) Act, 1967. Accordingly the Tribunal has the jurisdiction to adjudicate the reference even after the MoS dated 27.01.2020 was executed by NDFB and the Government of India and Assam. Due to the said reason in the written objection and in his evidence submitted by Saikong Basumatary representing the NDFB(S) stated that the outfit had submitted petition to the Government of India under sub-Section (2) of Section 36 and sub-Section (2) of Section 6 of the UA(P) Act to denotify the name of the outfit NDFB from list of Schedule I of the UA (P) Act, 1967 (Sl. No. 12 of the Terrorist Organization) along with further prayer for withdrawing the Gazette Notification vide S.O. 4255(E) dated 23rd November, 2019 which is referred to this Tribunal.

61. Further from the evidence of the Police Officers it is found that during the period starting from January 2015 till the recent past there were 34 (thirty four) cases of extortions, 60 (sixty) cases of

encounters, 7 (seven) cases of kidnappings and 1 (one) case of ambush involving the NDFB cadres and security forces. The encounters also led to recovery of assorted arms and ammunition and AK series rifles. It is also put on record by the Government of Assam that the cadres of the outfit are involved in killings of people from Adivasi and Muslim Community in the BTAD area. In the cross examination of the witnesses for the outfit they have admitted the fact that they did not deny the presence of the cadres of the outfit in the cases mentioned aforesaid and the one of killing of 19 civilians as asserted by the Government of India in the notification itself dated 23.11.2019.

62. The aforesaid subversive acts were carried out by the cadres of the outfit with an avowed intent to achieve an independent Boroland. The cadres even put up armed resistance against the security forces. In order to go ahead with the object of liberating Boroland from the Indian dominion the cadres indulged in communal clashes. Persons were kidnapped for ransom. The outfit carried out such acts to terrorise people so that a sense of fear psychosis prevail in the society. The said acts indicate the determined intent of the members of the outfit for intensifying the armed struggle. The outfit indulged in carrying on such acts to terrorise people so that out of fear psychosis the people buckle down to the demands of money by way of extortion or any other demands, the outcome of which is favourable to the outfit but to the inconvenience of the society as a whole. The outfit has been able to establish the brutality with which it handles the mission undertaken by it and as a result, the outfit gained in its act of kidnapping insofar as the ransom is concerned. It is not required that the subversive acts by the outfit should be undertaken frequently in order to cause fear in the minds of the people forming the society. An act of subversion as referred hereinabove causes ripples of fear amongst the mass where the outfit has its dominance. Such ripples of fear is sufficient to create a situation of abnormal phenomenon disturbing the even tempo of the society.

63. In *Hitendra Vishnu Thakur and others etc. –Vs- State of Maharashtra and others* reported in *AIR 1994 SC 2623* the Apex Court articulated the term “Terrorism” as one of the manifestations of increased lawlessness and cult of violence. Its main objective is to overawe the Government or disturb harmony of the society or “terrorise” people and the society and not only those directly assaulted, with a view to disturb even tempo, peace and tranquility of the society and create a sense of fear and insecurity. Experience has shown that “terrorism” is generally an attempt to acquire or maintain power or control by intimidation and causing fear and helplessness in the minds of the people at large or any section thereof and is a totally abnormal phenomenon. Looking back the evidence on record discussed hereinabove in the present reference, suffice it to hold that there exists an abnormal phenomenon in the districts which are stronghold of the outfit within the state of Assam.

64. The outfit NDFB was formed in the year 1986. Following the arrest of some of the top leaders NDFB declared unilateral ceasefire w.e.f. 15.10.2004. The agreement of Suspension of Operation (SoO) was signed between Government of India, Government of Assam and NDFB leadership w.e.f. 01.06.2005. But as per evidence of Sri Simanta Das, during the year 2005 after the signing of SoO the cadres of NDFB were involved in several number of violent incidents killing civilians. The NDFB leadership in Assam including Gobinda Basumatary, the then General Secretary of NDFB submitted the charter of demands dropping the issue of sovereignty. But Sri Ranjan Daimary, the self styled president of NDFB who was camping at his hideout at Dhaka did not accept the act of dropping of the issue of sovereignty and there was a virtual split in the organization giving birth to NDFB(RD) faction in 2008. This faction was instrumental in indulging violent subversive acts in the state, killing civilians and security forces. The SS President, Ranjan Daimary was arrested and resulted in declaration of unilateral cessation of hostility w.e.f. January 2011. Later on, Agreement of Suspension of Operation was signed by the Government of India and Assam on November 29, 2013. In the interim period between January 2011 and November 2013, I. K. Songbijit, Myanmar based leader of the outfit again decided to continue the violent struggle for their cause and the NDFB(S) faction came into existence since the year 2013. The Songbijit faction received the logistic support from the ULFA(I) and NSCN(K) leaders at Myanmar. Because of the said consolidation of power, I. K. Songbijit was able to motivate the renegade cadres of NDFB(RD) who started resorting to killings, extortion, kidnapping etc. in the State. The aforesaid facts are admitted by the witnesses of the NDFB in their deposition.

65. Thus the existence of factionalism within the organization either due to difference of ideology or for any other matter is established. It is also established that the cadres under the organization NDFB were in unison to achieve its objective of an independent Boroland through armed struggle. The said objective received public sympathy and as a result substantial number of youths joined the organization or helped the organization acting as linkmen or in any other mode. Further as stated by one of the Superintendent of

Police in his evidence that the surrendered NDFB cadres, prior to signing the MoS dated 27.01.2020 formed a group, independent of the cadres of various factions surrendered within the purview of the MoS dated 27.01.2020. The said cluster of surrendered NDFB cadres are not affiliated in any of the factions. Sri Mugdhajyoti Dev Mahanta, the Superintendent of Police, Sonitpur district in his cross examination made a specific statement that after the signing of the MoS dated 27.01.2020, recruitment process of NDFB(S) in Sonitpur and Biswanath districts have again started. During my interaction with the Superintendent of Police it was informed that the aforesaid information was received by Sri Mahanta from a very reliable source which I am satisfied to accept. This statement is a specific pointer of rising disenchantment amongst the cadres of NDFB(S) more specifically from the aforesaid two districts and if we look back to the history of NDFB there is a probability of coming into existence a new faction to achieve the original objective of NDFB for creation of an independent and sovereign Boroland and gain the public sympathy more specifically the young generation. In this regard the statement of Sri Simanta Das, in his evidence in chief that as per available inputs some members of the outfit are not satisfied with the MoS and cadres of the outfit are still in foreign soil like Myanmar is significant.

66. The notification under reference has nothing to do with the MoS dated 27.01.2020 inasmuch as the reference to the Tribunal is the requirement of law which is to be adjudicated on the basis of evidence after hearing the parties concerned. The Apex Court in *Jamaat-E-Islami Hind –Vs- Union of India* (Supra) held that the unlawful activities of an association may quite often be clandestine in nature and, therefore, the source of evidence of the unlawful activities may require continued confidentiality in public interest. Non disclosure of the source of such information to the organization or its office bearers may be permitted and to perform its task of adjudication as required by the Act, the Tribunal can look into the same for assessing the credibility of the information and satisfying itself that it can safely act on the same. The Tribunal in such a situation can devise a suitable procedure whereby it can itself examine and test the credibility of such material before it decides to accept the same for determining the existence of sufficient cause for declaring the association to be unlawful. The materials need not be confined only to legal evidence in the strict sense. So the disclosures of the police officials during my interaction can very well be considered keeping in view the ratio and the nature of adjudication.

67. The Government of India considering the past activities of the NDFB cadres i.e. from 23.11.2014 onwards issued the notification dated 23.11.2019 under Section 3(1) of the Act. Prior to 23.11.2014, the Government of India considered the activities of the cadres of the NDFB and issued the notification dated 23.11.2014. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was enacted with its intent to make powers available for dealing with activities against the integrity and sovereignty of India including dealing with terrorist activities. The reference to the Tribunal made under Section 4 of the Act is to examine the sufficiency of causes for issuance of the notification dated 23.11.2009. Naturally the scrutiny by this Tribunal shall have to be within the scope of the Act and for that purpose the subversive acts which are placed on record by way of evidence are to be considered. Section 2(a) defines “Association” as any combination or body of individuals. Section 2(ec) of the Act defines “person” which includes amongst others an organization or an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not. The unlawful activity in relation to an individual or association is defined under Section 2(o) of the Act as follows:-

“ *“unlawful activity”, in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise),-*

- (i) *which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession; or*
- (ii) *which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or*
- (iii) *which cause or is intended to cause disaffection against India.”*

So the cadres who surrendered as per the stipulations in the MoS dated 27.01.2020 as deposed by Sri Pandey in his cross-examination, would not in anyway affected by the notification under reference unless they restrained themselves individually or forming association from carrying out any subversive acts or any act or acts within the scope of the definition of ‘unlawful activities’ under the Act. But from the discussions hereinabove materials are placed before the Tribunal that there is every possibility of coming

into existence of a new faction of NDFB and I am bound to take into consideration such possibility also for the adjudication.

68. The MoS was signed on 27.01.2020 wherein it is specifically stated about the act of abjuring of the violent activities by the cadres of NDFB. Those activities were in the form of an armed struggle in order to achieve the avowed objective of an independent Bodoland carved out of the Indian dominion as inscribed in the objective of the outfit NDFB. On consideration of the said stipulation in the MoS and the grounds mentioned in the notification dated 23.11.2019, I am constrained to hold that the NDFB cadres were involved in unlawful activities at the time when the notification dated 23.11.2014 was in force. Further the said view is reinforced if the act of recruitment process in the two districts viz Sonitpur and Biswanath, having a sizeable population of Bodo people is considered and it probablise emergence of a new NDFB faction. The said acts of the cadres are additional grounds for consideration of the sustenance of the declaration of the notification dated 23.11.2014. During the period post 23.11.2014 and preceding 27.01.2020 incidents of encounters, ambush, kidnappings etc took place and if the evidence of the police officers are considered the cadres of NDFB were involved irrespective of the factions. The said cadres involved themselves under the organization NDFB while carrying out the subversive acts in order to achieve the avowed objective of the NDFB hereinabove stated which is admittedly unlawful within the purview of the Act.

69. The evidence of the witnesses for the NDFB failed to place on record any materials which outweigh the grounds put forth by the representatives of the Government of India and the State. The evidence mostly relates to the terms of the Memorandum of Settlement dated 27.01.2020 and the formal surrender of arms and ammunitions. It is surprising to note that even after the said act of formal surrender, substantial cache of arms are recovered from the districts having stronghold of the NDFB cadres in lower Assam which were kept hidden. None of the factions claim or deny the fact of possession of the arms so recovered which probablise the fact that the cadres themselves are in a hazy notion in that aspect because of factionalism within NDFB. This supports the assesment made by the police officials referred hereinabove. If a pragmatic view is taken vis-à-vis the grounds and the supporting materials placed on record alongwith the assessment made on the ground realities, the same are sufficient to sustain the grounds on the basis of which the notification under reference was published vide Gazette Notification dated 23rd November 2019 being SO 4255 (E) issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India.

70. The explanation of “unlawful association” as per Section 2 (p) of the Act, 1967 is reproduced hereinbelow:-

“ *unlawful association* ” means any association,-

- (i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or
- (ii) which has for its object any activity which is punishable under section 153A or section 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which the members undertake any such activity: Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir”.

71. It has already been held that the outfit is involved in unlawful activities and as such the organization National Democratic Front of Bodoland (NDFB) is an unlawful organization. The reference is decided confirming the declaration in the Gazette notification dated 23rd November, 2019 being S.O. 4255(E) issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India

JUSTICE PRASANTA KUMAR DEKA
PRESIDING OFFICER
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL
IN THE MATTER OF NDFB